C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2020/1942 (Saka)
No. 06, Saturday, September 19, 2020/ Bhadrapada 28, 1942 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
PAPERS LAID ON THE TABLE	8-60
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	61-672
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS	
14th to 20th Reports	673-674
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 275th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Tourism	
Shri Arjun Ram Meghwal	675
OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2019;	
INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2019	
AND	
CODE ON SOCIAL SECURITY, 2019-Withdrawn	676-686
GOVERNMENT BILLS -Introduced	
(i) Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020	687-699

(ii) Industrial Relations Code, 2020 700

(iii) Code on Social Security, 2020 701

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Migrant labourers from West Bengal not getting Central assistance during lockdown 734-736

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA 741-742, 881

MATTERS UNDER RULE 377 743-748

(i) Regarding collapse of a under construction bridge at Thalassery, Kerala
Shri K. Muraleedharan 743

(ii) Need to extend medical, manpower, management and financial assistance to UT of Puducherry to combat Covid pandemic
Shri Ve. Vaithilingam 744

(iii) Regarding recent legislations in Agricultural Sector
Shri T.N. Prathapan 745

(iv) Need to reconsider the construction of a new 8 track road from Salem to Chennai
Shri Gautham Sigamani Pon 746

(v) Regarding according administrative sanction to provide amenities and infrastructure to handicraft workers

Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 747

(vi) Regarding grant of reservation to Maratha Community

Shri Hemant Patil 748

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION OF CERTAIN PROVISIONS) ORDINANCE , 2020

AND

TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION AND AMENDMENT OF CERTAIN PROVISIONS) BILL, 2020 749-880

Shri N.K. Premachandran	749-757, 871-872
Shrimati Nirmala Sitharaman	749, 856-869, 874-876
Motion to Consider	749
Shri Subhash Chandra Baheria	759-767
Shri B. Manickam Tagore	767-771
Shri Gautham Sigamani Pon	772-774
Sushri Mahua Moitra	775-780
Shri Shriniwas Dadasaheb Patil	781-783
Shri E.T. Mohammed Basheer	784
Shri Gopal Shetty	785-789

Shri Bhartruhari Mahtab	790-793
Shri Arvind Sawant	794-796
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	797-801
Shri Dileshwar Kamait	802-803
Shrimati Sangeeta Azad	804-806
Shri Nama Nageswara Rao	807-808
Adv. A.M. Ariff	809-811
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	812-814
Shri P. Raveendranath Kumar	815-816
Shrimati Navneet Ravi Rana	817-818
Shri Thomas Chazhikadan	819-821
Shri Anurag Singh Thakur	821-842
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	835, 843-853
Statutory Resolution – Withdrawn	874-875
Clauses 2 to 11 and 1	875-880
Motion to Pass	880
COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2020	882-932
Motion to Consider	882
Shrimati Nirmala Sitharaman	882, 926-927
Shri Manish Tewari	883-889
Shrimati Aparajita Sarangi	890-898

Prof. Sougata Ray	899-901
Shri Sridhar Kotagiri	902-905
Shri Arvind Sawant	906-909
Shri Malook Nagar	910-911
Shri B.B. Patil	912-914
Shri Gaurav Gogoi	915-916
Shri P. Raveendranath Kumar	917
Shri Dileshwar Kamait	918-919
Shri N.K. Premachandran	920--922
Kunwar Danish Ali	923-925
Clauses 2 to 66 and 1	928-932
Motion to Pass	932
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
17th Report	919

<u>*ANNEXURE – I</u>
Member-wise Index to Unstarred Questions

<u>*ANNEXURE – II</u>
Ministry-wise Index to Unstarred Questions

*Available in Master copy of the Debate placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Saturday, September 19, 2020/ Bhadrapada 28, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Fifteen of the Clock

[Hon. Speaker *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

15.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2604/17/20]

(3) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी भविष्य-निधि (संशोधन) योजना, 2020 जो 28 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 225 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) का. आ. 1513(अ) जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 320 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 2605/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2606/17/20]

(3) (एक) नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्युजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्युजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2607/17/20]

(5) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2608/17/20]

(7) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फ़ाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फ़ाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2609/17/20]

(9) (एक) नेशनल कल्चर फ़ंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फ़ंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2610/17/20]

(11) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2611/17/20]

(13) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2612/17/20]

(15) (एक) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2613/17/20]

(17) (एक) इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2614/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री संजय शामराव धोत्रे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2615/17/20]

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2616/17/20]

(5) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2617/17/20]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2618/17/20]

(9) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2619/17/20]

(11) (एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2620/17/20]

(13) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2621/17/20]

(15) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2622/17/20]

(17) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2623/17/20]

(19) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2624/17/20]

(21) (एक) राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छतीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छतीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2625/17/20]

(23) (एक) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2626/17/20]

(25) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एडुकेशन सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एडुकेशन सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2627/17/20]

(27) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2628/17/20]

(29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2629/17/20]

(31) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2630/17/20]

(33) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2631/17/20]

(35) (एक) झारखंड एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2632/17/20]

(37) (एक) बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2633/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल हाउसिंग बैंक ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रैस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2634/17/20]

(2) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2635/17/20]

(3) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दीअ तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2636/17/20]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/08 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेटरी सैंडबॉक्सस) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/10 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/22 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/23 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/21 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/20 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/19 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/18 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/17 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/16 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेमस्टमेंट ट्रस्ट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/15 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/14 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फण्ड्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/07 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेसट इन्वेस्टेमेंट ट्रस्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/06 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/05 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/24 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और खुलासा आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/24 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2637/17/20]

(6) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.1165(अ) जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मेघालय राज्य एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में न्याधय क्षेत्र अनुप्रयोग करने के लिए अभिहित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2638/17/20]

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)(संशोधन) नियम, 2020 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)(दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2639/17/20]

(8) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 14 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा)(संशोधन) विनियम, 2020 जो 28 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2640/17/20]

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 (क) के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारोबार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दीस तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2641/17/20]

(10) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी(तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2579(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) दूसरा संशोधन योजना, 2020 जो 31जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2580(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) दूसरी संशोधन योजना, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2581(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1124(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1125(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[Placed in Library, See No. LT 2642/17/20]

(11) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 76 की उप-धारा (2क) के अंतर्गत भारतीय स्टाम्प (शेयर एक्सचेंजों, क्लियरिंग निगमों और निक्षेपागारों द्वारा स्टाम्प शुल्क का संग्रहण)(दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2643/17/20]

(12) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 जो 5 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4355(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2644/17/20]

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 937(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2645/17/20]

(14) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.840 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बॉम्बे. स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अंतर्भूत कम्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है ।

(दो) का.आ.841 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्लियरिंग एण्ड सेटलमेंट सिस्टम और क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्भूत कम्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

(तीन) का.आ.842 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेडिंग सिस्टम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्भूत कम्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

(चार) का.आ.843 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्लियरिंग एण्ड सेटलमेंट सिस्टम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड के अंतर्भूत कम्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

[Placed in Library, See No. LT 2646/17/20]

(15) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का-निर्माण (श्री श्यामाशरण लाहिड़ी महाशय की 125वीं प्रस्थान पुण्य तिथि के अवसर पर 125 रूपये के स्मारक सिक्के का निर्गम) नियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2647/17/20]

(16) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट लेनदारों के व्याक्तिगत गारंटरों के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को लागू होना) नियम, 2019 जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 855(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2648/17/20]

(18) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1034 (अ) जो 11 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय बैंककारी कंपनी, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (49 का 10) की धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है, को छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2649/17/20]

(19) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते(संशोधन) नियम, 2020 जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 311(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा.का.नि. 312(अ) जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तीन) सा.का.नि. 431(अ) जो 7 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा.का.नि. 434(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 7 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 431(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 2650/17/20]

(20) कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 21-सीडब्यू ए/2020 जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि 28 जून, 2020 को आयोजित संस्थान की परिषद की 325वीं बैठक में अनुशासनात्मक निदेशालय द्वारा प्राप्त किसी सूचना या शिकायत के संबंध में जांच के लिए श्री राजेन्द्र बोस, संयुक्त निदेशक को निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदविहित किया है ।

[Placed in Library, See No. LT 2651/17/20]

(21) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अगस्त 2020 की अधिसूचना सं. आईसीएसआई सं. 1 जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री अशोक कुमार दीक्षित, संयुक्त सचिव को 1 सितम्बर, 2020 से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदविहित किया है।

(दो) कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2652/17/20]

(22) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 215(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-जापान वृहद आर्थिक सहभागिता आर्थिक करार (आईजेसीईटीए) के अंतर्गत आयातित विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से टेरिफ रियायत में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 246(अ) जो 9 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2020 के पारित होने के पश्चात् वित्त विधेयक, 2020 के विभिन्न उप-खंडों को वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की संबंधित धाराओं को प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 247(अ) जो 9 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2020 तक वेंटीलेटर्स, निजी सुरक्षा उपकरण, फेस मास्क और सर्जीकल मास्क, कोविड-19 टेस्टिंग किट्स पर और इसके विनिर्माण में काम आने वाले सभी मदों पर अधारभूत सीमाशुल्क से छूट देना है जिससे कि इन मदों की

लागत कम हो सके और कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के साथ-साथ उद्योगों को भी राहत प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 293(अ) जो 12 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-मलेशिया वृहद आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया में उत्पादित और वहां से निर्यातित " रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड पामोलिन और रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड पॉम ऑयल" जो कि सीमा-शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टेरिफ मद (1511 90 10) या टेरिफ मद (1511 90 20) के अंतर्गत आयात पर 180 दिन के लिए सीमा-शुल्क की दर में जो 5 प्रतिशत की अनंतिम बढ़ोत्तरी की गई थी, उसको अभिपुष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 341(अ) जो 2 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न देशों में मूलत: कुछ उत्पादित या वहां से निर्यातित लेन्टिल (मसूर) पर और संयुक्त राज्य अमेरिका से मित्र देशों में मूलत: कुछ उत्पादित या वहां से निर्यातित लेन्टिल (मसूर) पर आयात शुल्को को कम करके क्रमश: 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, दोनों ही मामलों में 31 अगस्त, 2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 358(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगरबतियों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए बॉस के आयात पर जो 10 प्रतिशत की रिआयती दर लगायी गई हैं से वापस लिया जा सके और बॉस (एचएस 1401 1000) के आयात पर 25 प्रतिशत की एक समान दर लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 398(अ) जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुछ विशिष्टं मदों में प्रति विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्ध "इन - कोटा टैरिफ्स" से संबंधित तरीकों और प्रविष्टियों को विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 430(अ) जो 6 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत- कोरिया बृहद आर्थिक सहभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर, एक द्विपक्षीय वैकल्पिक रक्षोपाय के रूप में, भारत कोरिया बृहद आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और यहां आयातित "प्थैलिक एनहाइडाइड के आयात पर सीमाशुल्क की दर में 200 दिनों तक की अवधि तक वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 444(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के अनुसार भारत गणराज्य के मध्य सम्पन्न बृहद आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और यहां आयातित पोलीबूटाडीन रबर पर सीमा शुल्क की बढ़ती दर संबंधी द्विपक्षीय रक्षोपाय को, मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी अर्थात् उक्त माल पर 10 प्रतिशत तक, 200 दिनों की अवधि तक के लिए लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 494(अ) जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुडनकुल्लीम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 5 और 6 की स्थापना के लिए आयातित वस्तुओं पर आधारभूत सीमाशुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह)का.आ. 719(अ) जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्री य कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्या के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) अधिसूचना सं. 15/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 20 फरवरी, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) का.आ. 855(अ) जो 25 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह)का.आ. 900(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के पुनर्संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) अधिसूचना सं. 19/2020-सीमाशुल्क (एनटी) जो 4 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) अधिसूचना सं. 20/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 5 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) अधिसूचना सं. 21/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 9 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह)अधिसूचना सं. 22/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 12 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस)अधिसूचना सं. 23/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 13 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) का.आ. 1059(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस)अधिसूचना सं. 25/2020-सीमाशुल्क (एनटी) जो 16 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस)सा.का.नि. 306(अ) जो 21 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) सा.का.नि. 439(अ) जो 10 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 9/12-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस)सा.का.नि. 213(अ) जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस)इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली के अंतर्गत नेपाल को कार्गो का ट्रांसशिपमेंट (संशोधन) विनियम, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीएस) विशेष भाण्डागार में विनिर्माण और अन्य प्रचालन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 509(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) भाण्डागार में विनिर्माण और अन्य प्रचालन (संख्या 2) संशोधन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 510(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) विशेष भाण्डागार (कस्टडी एण्ड हैण्ड्लिंग ऑफ गुड्स) संशोधन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त , 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 511(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सीमाशुल्क (व्यापार समझौते के अंतर्गत उद्भूत के नियमों का प्रशासन) विनियम, 2020 जो 21 अगस्त , 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा.का.नि. 277(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संकलित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 18 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस)सा.का.नि. 547(अ) जो 7 सितम्बदर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है ताकि एम-फीचर सहित कागज आधारित टग्गांट पर आधारभूत सीमाशुल्क में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2653/17/20]

(23) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 252(अ) जो 15 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर अधिसूचना सं. 05/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015 के साथ लगाये गये अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क और सऊदी अरबिया तथा चीनी ताईपे में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर अधिसूचना सं. 13/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के साथ लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को 14 अक्टूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार-

उपचार महानिदेशालय के द्वारा शुरू की गयी समीक्षा के अनुपालन में जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 302(अ) जो 19 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार-उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडियम साइट्रेट" के आयात पर 5 वर्ष की और अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 314(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार-उपचार महानिदेशालय की 26 मार्च, 2020 के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चायात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 330(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाइलैंड में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 30 नवम्ब र, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखना है, ऐसा व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा की जा रही सन्सेट रिव्यू जांच के परिणाम के लंबित रहने के कारण किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 344(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और कोरिया गणराज्यो में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेश स्टील के हाट रोल्ड

फलैट प्रोडक्टस, इसके सभी वैएिण्ड्स" पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 4 दिसम्बर, 2020 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 345(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर (प्रिंटरयुक्त कैलकुलेटर्स, जिन्हें सामान्य तया प्रिटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है: प्लाट और चार्ट तैयार करने की क्षमता वाले कैलकुलेटर्स जिन्हें सामान्यतया ग्राफिग कैलकुलेटर्स और प्रोगामेंबल कैलकुलेटर्स कहा जाता है, को छोड़कर) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्यांख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 363(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "1-फेनाइल-3-मेथाईल-5-पाइराजोलोन" के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 364(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मोलीकुलर वेट 3000-4000 वाले फलेक्सिबल स्लैब स्टाक पोलियोल" के आयात पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी 'सनसेट रिव्यूत' के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन पांच वर्ष तक की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.366 (अ) जो 10 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम लंबित रहने तक चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्भूत उत्पादित या वहां से

निर्यातित 'नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 11 दिसम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.397 (अ) जो 23 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं.6/4/2019-डीजीटीआर, दिनांक 21 फरवरी, 2020 के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'इस्पात के फ्लैट रॉल्ड उत्पाद, जो कि एल्यूमीनियम और जिंक एलॉय से पलेटेड या कोटेड हो'' इस पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात 15 अक्तूबर, 2019 से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.433 (अ) जो 8 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फा.सं.7/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020 के अधार पर चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक'' पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.435(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में दक्षिण अफ्रीका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित फेनोल के

आयात पर अधिसूचना सं. 32/2015 सीमाशुल्क (ए डी डी),दिनांक 10 जुलाई, 2015 के तहत लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को 9 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.459 (अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "फलूओरोलास्टोमर्स (एफकेएम)पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को अगले तीन महीने तक तक अर्थात 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखा जा सके, और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की पांचवी अनुसूची द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मूल अधिसूचना में उल्लिखित टैरिफ मदों को इकट्ठा करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह)सा.का.नि.471 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षक 8541 40 11 या 8541 40 12 के अंतर्गत आने वाले 'मोडूयल या पैनल में असेम्बल किए जा सकने या नहीं किया जा सकने वाले सोलर सेल' के आयात पर एक वर्ष की अवधि (30 जुलाई, 2020 से 29 जुलाई, 2021 तक) (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए सुरक्षा शुल्क लगाने को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.472 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं.6/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 मई, 2020 के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान और वियतनाम में मूलतः उत्पादित या वहां से

निर्यातित 'डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स'' पर इस पर लगाए गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की तारीख, अर्थात 30 जनवरी, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह)सा.का.नि.474(अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'एनिलाइन या एनिलाइन ऑयल', के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.498(अ) जो 10 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपे में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'ब्लैक टोनर' पाउडर रूप में, के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.501 (अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम लंबित रहने तक चीन जनवादी गणराज्य और हाँगकाँग में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'फ्लेक्स फैब्रिक' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 11 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.505 (अ) जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में जिससे कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "डिकेटोपाइरोलो पाइरोल पिग्मेन्ट रेड 254 (डी पी पी रोड 254)" के आयात पर लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को तीन महीने की अवधि अर्थात 16 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.507 (अ) जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) की उप-धारा 5 के अनुसार अभिहित प्राधिकारी के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" के आयात पर लगाये गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 17 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.519 (अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिपाटन सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "फास्फेरिक एसिड, सभी ग्रेड के और इसके सभी सान्द्र (कृषि/उर्वरक ग्रेड समेत)" के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.520 (अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "एक्रीलोनाट्राइल ब्यूटाडीन रबर" पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 3 दिसम्बर, 2020 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.544 (अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड', के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.545(अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "क्लीयर और साथ ही साथ टिंटिड किस्म (ग्रीन ग्लास के अतिरिक्त) 2 एमएम से 12 एमएम (दोनो मोटाई शामिल) मोटाई के फ्लोट ग्लास किंतु इसमें सज्जा, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त रिफलेक्टिक ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं है," के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 7 दिसम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख शामिल है, बढ़ाने के लिए दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के 47/2015-सी.शु. में सशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2654/17/20]

(24) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 179(अ) जो 16 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विदेशी एयरलाइनों को प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 193(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के विलय के बाद इनमें करदाताओं के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 194(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉरपोरेट देनदारों के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 195(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर) के अन्तर्गत विशेष संरचना योजना का विकल्प न चुन सकने वाले करदाताओं के लिए 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 196(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को ई-इनवॉयस जारी करने से छूट देना तथा ई-इनवॉयसिंग के कार्यान्वयन की तारीख को 1.10.2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 197(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को डायनामिक क्यूआर कोड कैप्चर करने से छूट देना तथा क्यूआर कोड के कार्यान्वयन की तारीख को 1.10.2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 198(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त वर्ष 2018-19 से 30.06.2020 तक के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 44 के अन्तर्गत निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 199(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम का तीसरा संशोधन (2020) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 200(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यक्तियों के उस वर्ग को निर्दिष्ट करना है जिन्हें आधार प्रमाणन से छूट दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 201(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख को अधिसूचित करना है जिससे किसी व्यक्ति को पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए आधार संख्या का प्रमाणन कराना होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह)सा.का.नि. 202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए आधार संख्या का प्रमाणन कराना होगा, व्यक्तियों के उस वर्ग को निर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 203(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन करदाताओं, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जुलाई,

2019 से अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 204(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर या जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अक्टूबर-दिसंबर, 2019 की तिमाही के लिए 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि. 205(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 के लिए फरवरी से 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह)सा.का.नि. 206(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है और जिन पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 तक प्रत्येक माह के लिए 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 207(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए जुलाई-सितम्बर, 2019 की तिमाही के लिए प्ररूप

जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 208(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 के माह के लिए जीएसटीआर-3(ख) प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 24 मार्च, 2020 या उससे पहले तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह)सा.का.नि. 209(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 के माह के लिए उक्त नियमों का प्ररूप जीएसटीआर-3(ख) को कॉमन पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की नियत तारीख 24 मार्च, 2020 या उससे पहले तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस)सा.का.नि. 210(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये तक है, के लिए अप्रैल, 2020 से जून, 2020 और जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा.का.नि. 211(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्गों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, द्वारा लिए अप्रैल, 2020 से

सितम्बर , 2020 तक प्रत्येक माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस)सा.का.नि. 212(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-3(ख) में विवरणी तथा अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त प्ररूप प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस)सा.का.नि. 230(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपोजिशन स्कीम के विकल्प का चयन करने की तारीख को 30.06.2020 तक और नियम 36 (4) में शर्त के संचयी रूप से लागू करने की अनुमति देने के लिए सीजीएसटी नियमों में संशोधन (चौथा संशोधन) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा.का.नि. 231(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए सशर्त ब्याज दर में कमी के द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस)सा.का.नि. 232(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 तक की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में देरी से विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विलम्ब शुल्क की सशर्त छूट द्वारा राहत प्रदान करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस)सा.का.नि. 233(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2020 से मई, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में बाहरी विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क की सशर्त छूट की राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस)सा.का.नि. 234(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 को प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 7.7.2020 तक करना और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 को दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15.7.2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस)सा.का.नि. 235(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20.03.2020 से 29.06.2020 की अवधि के दौरान किए जाने वाले अनुपालन की नियत तारीख को बढ़ाकर 30.06.2020 तक करना और ई-बिल की वैधता का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस)सा.का.नि. 236(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मई, 2020 में की गई आपूर्ति के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस)सा.का.नि. 266(अ) जो 28 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 87 (13) के उपबंधों तथा प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पॉचवा संशोधन) नियम, 2020 जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस)सा.का.नि. 273(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉरपोरेट देनदारों के लिए विशेष प्रक्रिया में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा.का.नि. 274(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20.03.2020 से 15.04.2020 की अवधि के दौरान समाप्त होने वाले और 24.03.2020 तक जनरेट किए गए ई-वे बिल्स की वैधता को बढ़ाकर 31.05.2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतीस) सा.का.नि. 275(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9/9ग प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौंतीस) सा.का.नि. 276(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लद्दाख में पंजीकृत करदाताओं के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जनवरी-मार्च, 2020 की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा.का.नि. 299(अ) जो 16 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.07.2017 से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 128 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस) सा.का.नि. 357(अ) जो 8 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एसएमएस द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में शून्य विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियम 67क के उपबंधों को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैतीस)सा.का.नि. 360(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती संघराज्य क्षेत्रों दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली के विलय के कारण जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशन की तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तीस)सा.का.नि. 361(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) के अन्तर्गत आदेश पारित करने की अवधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतालीस) सा.का.नि. 362(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24.03.2020 को या उससे पूर्व जनरेट किए गए ई-वे बिल (जिनकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके बाद समाप्त हो चुकी है) से 30 जून, 2020 तक जनरेट किए गए ई-वे बिल की वैधता को आगे बढ़ाने के संबंध में दिनांक 05.05.2020 की अधिसूचना संख्या 40/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चालीस)केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2020, जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतालीस) सा.का.नि. 402(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2020 से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2, 109, 168 और 172 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 118, 125, 129 और 130 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बयालीस)केन्द्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2020, जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैतालीस)सा.का.नि. 404(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की कर अवधि के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चवालीस)सा.का.नि. 405(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत न किए जाने के लिए विलम्ब शुल्क को घटाकर/छूट देकर एक बारगी छूट प्रदान करना है तथा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क में सशर्त छूट द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतालीस) सा.का.नि. 406(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मासिक विवरण दाखिल करने वालों के लिए मार्च, 2020 से जून, 2020 के लिए तथा तिमाही आधार पर विवरण दाखिल करने वालों के लिए जनवरी, 2020 से जून, 2020 की तिमाहियों की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में आउटवॉर्ड विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क में छूट द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छियालीस) सा.का.नि. 407(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 करोड़ रूपये तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अगस्त, 2020 में की गई आपूर्ति के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैंतालीस) सा.का.नि. 416(अ) जो 27 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय “20.03.2020 से 30.08.2020” की अवधि के दौरान अनुपालन की नियत तारीख को 31.08.2020 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तालीस) सा.का.नि. 417(अ) जो 27 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) के अन्तर्गत आदेश पारित करने की अवधि को और आगे बढ़ाकर 31.08.2020 तक करने या कुछ मामलों में तत्पश्चात् 15 दिन तक करने के लिए अधिसूचना संख्या 46/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनचास) सा.का.नि. 424(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जुलाई, 2020 की अवधि के लिए विलम्ब शुल्क में सशर्त छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या 52/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचास) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2020, जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्यावन) सा.का.नि. 443(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 को दाखिल करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बावन) केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2020, जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तिरपन) सा.का.नि. 481(अ) जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-इनवॉयस के प्रयोजन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग में संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर में सशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौवन) का.आ. 2064(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय निर्दिष्ट करदाताओं के लिए पंजीकरण रद्द किए जाने को वापस लिए जाने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचपन) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दावां संशोधन) नियम, 2020, जो 20 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छप्पन) सा.का.नि. 527(अ) जो 25 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.09.2020 से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में संशोधन करने के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 100 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्तावन) सा.का.नि. 539(अ) जो 31 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 31.10.2020 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठावन) सा.का.नि. 542(अ) जो 1 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय “20.03.2020 से 29.11.2020” की अवधि के दौरान धारा 171 के अन्तर्गत अनुपालन की नियत तारीख को 30.11.2020 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 03.04.2020 की अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनसठ) सा.का.नि. 221(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर सीजीएसटी दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(साठ) सा.का.नि. 216(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर(दर) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2655/17/20]

(25) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 222(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर आईजीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 217अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 224(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर में संशोधन करना है ताकि किसी व्यक्ति को आपूर्ति किए गए वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में आगे उपयोग के लिए अथवा प्राप्तकर्ता के स्थान में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवा की आपूर्ति के स्थान में बदलाव किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 242(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 409(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2020 से आईजीएसटी अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 134 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 410(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी .2020 से जुलाई, 2020 की का अवधियों के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2656/17/20]

(26) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 242(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 243(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 223(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर सीजीएसटी दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 218(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 408(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधियों के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2657/17/20]

(27) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 278(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्तर सीमाशुल्क (एसएईडी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 12 रूपये प्रति लीटर और डीजल में 4 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 9 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 279(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहीत सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 18 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 2658/17/20]

(28) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 145 और 181 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 275(अ) जो 20 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 के अध्याय 6 के भाग-3 और भाग-9 की धारा 183, 184 और 185 के उपबंधों को लागू करने के लिए 20 जनवरी, 2020 को नियम किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2659/17/20]

15.02hrs

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. No. 1151 to 1380)

*(Page No. 61 to 672)

* Available in Master copy of the Debate placed in Library.

15.03 hrs

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
14th to 20th Reports

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2020-21): -

*(1) 14th Report on 'Accelerated Irrigation Benefits Programme' - Ministry of Jal Shakti.

*(2) 15th Report on Action taken by the Government on the Observations and Recommendations contained in their 89th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Non-compliance by Department of Posts'.

(3) 16th Report on Action taken by the Government on the Observations and Recommendations contained in their 105th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Creation of Tourist Infrastructure in Andaman and Nicobar Islands'.

(4) 17th Report on Action taken by the Government on the Observations and Recommendations contained in their 112th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Incorrect Adoption of Exchange Rate and Undue Benefit to the Service Provider'.

---

* These two Reports were presented to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on 23rd March, 2020 under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The matter was duly notified vide Lok Sabha Bulletin Part-II dated 20th April, 2020 and Rajya Sabha Bulletin Part-II dated 14th May, 2020.

(5) 18th Report on Action taken by the Government on the Observations and Recommendations contained in their 123rd Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Ineffective Monitoring by APEDA'.

(6) 19th Report on Action taken by the Government on the Observations and Recommendations contained in their 124th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Delay in Commissioning of CCTV Surveillance System, Irregular Leave Travel Concession Claims and Idling of Servers and Software and Avoidable Expenditure on Rent of Hired Servers'.

(7) 20th Report on Action taken by the Government on the Observations and Recommendations contained in their 131st Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Avoidable Procurement of a Mobile Nitrogen Gas Generator Plant, Infructuous Procurement of Material, Development of Integrated Aerostat Surveillance System and Irregular Expenditure on Construction of Vehicle Testing Ground'.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

15.04 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 275th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Tourism.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Prahalad Singh Patel, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 275th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Tourism.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2660/17/20.

15.05 hrs

OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2019; INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2019 AND CODE ON SOCIAL SECURITY, 2019-Withdrawn

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

रिसर्च कोर्ट बिल, 2019, आईआर कोर्ड बिल, 2019 और सोशल सिक्योरिटी बिल, 2019 ये वर्ष 2019 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे और इंट्रोडक्शन के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर को रेफर किए गए थे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों लेबर कोर्ट के संबंध में

पूरी चर्चा की और करीब 233 अनुशंसाएं दी थीं। उनमें से करीब 174 अनुसंशाएं मान भी ली गई थीं। इन अनुशंसाओं के कारण बहुत सारे मूलभूत पर्रिवर्तन हुए हैं और लेबर कोर्ट्स में किए गए हैं। इस तरह सोशल सिक्योरिटी कोर्ट में प्रिएम्बल में भी परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार इंट्रोड्यूस किए गए बिल में अधिक संख्या में परिवर्तन किए जाने के कारण यह उचित है कि पुराने बिल्स को विद्ड्रॉ किया जाए तथा उनके स्थान पर ओएसएच कोर्ट बिल, 2020, आईआर कोर्ट बिल, 2020 तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 को पुनः इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने आपको जो बातें बताई हैं, इसके आधार पर आपसे इन तीनों बिल्स के विद्ड्रॉल की अनुमति मांगता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज की कार्यसूची में क्रम सं. 7,8 और 9 परिसूचित बद्ध तीनों विधेयक वापस लिए जाने के लिए लगे हुए हैं। माननीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार जी तीनों विधेयकों के प्रभारी मंत्री हैं। माननीय सदस्य श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी ने प्रक्रिया नियम 111 के तहत इन तीनों विधेयकों को वापस लिए जाने के प्रस्ताव का विरोध करने की सूचना दी है। इसलिए माननीय मंत्री जी द्वारा क्रम संख्या 7 पर सूचीबद्ध विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी को इस प्रस्ताव का विरोध करने का अवसर दूंगा, चूंकि तीनों विधेयकों के प्रभारी मंत्री एक ही हैं, इसलिए माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे तीनों विधेयकों के बारे में एक साथ अपना पक्ष रख दें, ताकि दोहराना न पड़े और कीमती समय भी बच सके। मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा

उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। "

"कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। "

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for affording me this opportunity under Rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha to oppose the withdrawal of all the three Bills. It may be treated as objection to all the three Bills listed under Item Nos. 7, 8, and 9 in today's List of Business. These Bills are;

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019

The Industrial Relations Code, 2019

The Code on Social Security, 2019.

The objections to all these three Bills are same, so, they may be treated as one.

My objection to the withdrawal of the Bills is purely on technical grounds. I fully appreciate the Labour Minister's stand that 74 per cent of the recommendations of the Standing Committee have been accepted. This is the observation made by the hon. Minister.

If that be the case, I have no opposition and I fully agree with it. But the technical point which I would like to highlight is regarding Rule 110. Sir, you may kindly see Rule 110. The Member in charge of a Bill may, at any stage of the Bill, move for leave to withdraw the Bill on some grounds. Yes, I fully agree that the Member who moves the Bill has an ample authority, liberty, and freedom to withdraw the Bill at any time as he likes, provided that where a Bill is under a consideration by a Select Committee of the House or a Joint

Committee of the Houses, as the case may be, notice of any motion for the withdrawal of the Bill shall automatically stand referred to the Committee and after the Committee has expressed its opinion in a Report to the House, the motion shall be set down in the List of Business.

So, here, the matter has already been referred to the Departmentally Related Standing Committee on Labour. The Departmentally Related Standing Committee on Labour went in-depth of the Bill and finally, they have submitted the Reports on all the three Bills. The Departmentally Related Standing Committee is one of the important Committees which is being constituted by the hon. Speaker. I think the hon. Chairperson of the Committee is here. The Committee has already submitted the Reports. The Government is withdrawing the Bills on which the Committee has already submitted its Reports. Yes, I do agree that the Standing Committee is not mentioned here. Why is it not mentioned here? It is because at the time of making Rules, the Departmentally Related Standing Committee was not there.

Kindly go to Rule 74, by which the Bills are referred to the Standing Committees:

> “When a Bill is introduced or on some subsequent occasions, the Member in-charge may make one of the following motions in regard to one’s own Bill, namely:

(i) that it be taken into consideration;

(ii) that it be referred to the Select Committee; or

(iii) that it be referred to the Joint Committee."

At that time, there was no Departmentally Related Standing Committee. The Departmentally Related Standing Committee is also a Joint Committee. The Departmentally Related Standing Committee consists of Members from both the Houses of Parliament. So, my strong objection is that without referring the matter to the Standing Committee, how can the Bill be withdrawn? That is the first objection which I would like to make.

My second objection is this. I am not going into the procedure of Rule 331H. Much time and effort have already been spent on all these provisions of the Bill and much pain has been taken in submitting a Report. But unfortunately, after the presentation of the Reports in the House, these Bills are being withdrawn. Definitely, the opinion of the Standing Committee has to be taken before withdrawing the Bills because as per Rule 331N, the Report of the Standing Committees shall have a persuasive value and shall be treated as considered advice given by the Committees.

So, I would like to know from the hon. Minister regarding the status of the Reports -- whether its recommendations have been accepted or not. The Government is going to introduce new Bills. After withdrawing all the three Bills, the Government is going to introduce all the three Bills today. So, I would

like to seek an explanation from the hon. Minister. How has the Report of the Standing Committee not been taken into consideration? Why have the Chairperson and the Committee not been consulted before withdrawing the Bills? That is the technical objection which I would like to make regarding all the three Bills because the observations of the Standing Committee as well as the Reports of the Committee have their own sanctity. That should be respected. Without referring it to the Committee, it is an irregular procedure on the part of the Government in withdrawing the Bills. I do not want to use that word. It is a 'disrespect' to the Departmentally Related Standing Committee on Labour. That is not fair. That is the main objection with regard to withdrawal of the Bills.

Regarding the merits, we do not know about the Bills because each Bill is having more than 150 pages. I would like to urge upon the hon. Speaker one more thing. Kindly issue a direction to provide hard copies of the Bills to us. Otherwise, it is very difficult for us. We are not the New-Gen MPs. We are not able to go through the contents of the Bill. There are more than 150 pages of the Bill. How will we be able to have a reading of the Bill online? How will we be able to make and elicit our own opinion and make amendments in the Bills online? It is very difficult for us. These three Bills are very important Bills as far as the labour community in the country is concerned and as far as the working class in the country is concerned.

Therefore, kindly supply hard copy of the Bills and give sufficient time to us so as to have a detailed discussion on the Bills. This is the submission which I would like to make along with these Bills.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मित्र को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि वे काफी जानकारी के आधार पर बोलते हैं। श्रम कानूनों के संशोधनों के संबंध में प्रधान मंत्री जी की रुचि शुरू से ही थी, इसलिए 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बदला जाए, इसके लिए हम वर्ष 2014 से ही इस प्रक्रिया में चल रहे थे। हमने पहला कानून इस लोक सभा के सत्र के शुरूआत में किया था और उसके तहत हम लोगों ने कोड ऑफ वेजेज को पास करने का काम किया था। बाकी तीन बिलों के बारे में इस लोक सभा के कार्यकाल के शुरू होते ही हमारी सरकार इस काम में लग गई थी और उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। इसमें माननीय सदस्य जो टेक्नीकल बात कह रहे हैं, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे जो सुझाव दे रहे हैं, उनके सुझाव की पूरी मान्यता रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में जब यह इंट्रोड्यूज हुआ, जैसा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर को यह रेफर हुआ और स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों लेबर कोड्स के बारे में पूरी चर्चा की।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भर्तृहरि महताब जी को हम बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने श्रमिकों के हित में बहुत अच्छी अनुशंसाएं कीं और हमने उन्हें माना। उन्होंने इन बिलों में 233 अनुशंसाएं कीं और उनमें करीब 174 अनुशंसाएं हमने मान लीं। इन अनुशंसाओं में कुछ बहुत मूलभूत परिवर्तन लेबर कोड्स में किए गए और सोशल सिक्योरिटी कोड के प्रिएम्बल तक में भी परिवर्तन किया हुआ है। इस प्रकार इंट्रोडक्शन के आधार पर ओरिजनल बिल में अधिक परिवर्तन हुआ है, इसलिए पुराने बिलों के स्थान पर नए बिल को लाने की बात सामने आई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि श्रमिकों के हित में, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, तब 44 श्रम कानून थे। कुछ रिपील हो गए, तब 29 श्रम कानूनों को हम चार कोड्स में बदलने का काम कर रहे हैं। इस सदन ने पहला कोड पूरी सहमति के साथ पारित किया था। बाकी तीन भी अब हम लेकर आ रहे हैं और ये सारे के सारे मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर लाए जा रहे हैं। आप अभी इन पर

चर्चा भी करेंगे। मेरा आग्रह है कि इन बिलों को विदड्रा करके हम नए बिलों को इंट्रोड्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी अनुमति आपके द्वारा दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो तकनीकी विषय उठाया है, उस तकनीकी विषय का क्लैरीफिकेशन मैं करता हूं, वैसे करना माननीय मंत्री जी को चाहिए था। किसी भी नियम में यह नहीं लिखा है कि बिल को वापस लेने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कई बिल वर्तमान में चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत वापस लिए जाते हैं। नियम 110 और 111 क्लीयर है। नियम 110 में भी इजाजत नहीं दे सकता हूं और नियम 111 में भी इजाजत नहीं दे सकता हूं।

प्रश्न यह है :-

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

"कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

15.20 hrs

GOVERNMENT BILLS-Introduced

(i)OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2020*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर – 10, श्री संतोष कुमार गंगवार जी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सर, अभी सारे माननीय सदस्य इससे अवगत हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि चार लेबर कोड्स बनाने का काम हम लोग एक बहुत ही व्यापक कंसल्टेशन की प्रक्रिया के तहत कर रहे थे। इस कंसल्टेशन प्रॉसेस के अंतर्गत हम ने ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस, राज्य सरकारें, एक्सपर्ट्स व श्रम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा सबसे महत्वपूर्ण आम जनता के सुझावों को भी ध्यान रख कर प्रावधान बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, हम ने इस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब नौ ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस किए हैं, चार सब-कमेटी मीटिंग्स कीं, दस रीजनल कॉंफ्रेंसेज भी किए, देश के विभिन्न स्थानों पर लेबर कोड्स के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की है। इन लेबर कोर्ड्स पर दस बार इंटर-मिनिस्ट्रीयल कंसल्टेशंस भी हुए हैं। इसके माध्यम से दूसरे मंत्रालयों तथा विभागों से सुझाव भी लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी लेबर कोड्स मंत्रालय की वेबसाइट पर दो से तीन महीने तक रखे भी गए हैं, जिसके दौरान सभी हितधारकों के करीब छ: हजार से ज्यादा कमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। इन कंसल्टेशंस प्रक्रिया के बाद ही हम ने लेबर कोड्स के प्रावधानों को उचित स्वरूप दिया है। मंत्रालय की इस प्रक्रिया के बाद तीनों लेबर कोड्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर किया गया तथा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त 233 रेकमेंडेशंस दी हैं। इनमें से मंत्रालय ने 174 यानी 74 प्रतिशत रेकमेंडेशंस को स्वीकार कर

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 19.09.20.

लिया है। यह लेबर कोड्स के प्रावधानों का जो परवर्तन किया है, वह आपके सामने है। मैंने संक्षेप में आपको बात बताई है।

मैं प्रस्ताव करता हूं "कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, since I am opposing the introduction of all the three Bills, perhaps it would be appropriate if the hon. Minister could move all the three Bills and then I could submit whatever I have to say.

माननीय अध्यक्ष : दोनों को एक साथ ही करें।

SHRI MANISH TEWARI : Sir, ok.

माननीय अध्यक्ष : आप और शशि थरूर जी दोनों इक्वल हैं, तो एक साथ ही बोल दें।

SHRI MANISH TEWARI : Hon. Speaker, Sir, I metaphorically rise to oppose the introduction of the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 on the following grounds.

While the hon. Minister has correctly submitted that the Standing Committee has considered all these legislation extensively and has made significant recommendations which have been incorporated in the new legislation, but propriety demanded that since the previous legislation has been fundamentally changed, before the new legislation was brought to the House, the stakeholders, the labour unions, the unorganised sector should have been, once again, re-consulted with regard to the substance of the Bill since the Bill has undergone a substantive transformation after going through the Standing Committee process. Unfortunately, since that process that has not been

followed, if I am correctly instructed, therefore, it would have been appropriate had the Ministry or the hon. Minister followed that process.

Sir, my second objection, with your permission, is that the Government has a pre-legislative consultative policy in place. That pre-legislative consultative policy, which was put in place in February, 2014 and to the best of my knowledge has not been repealed by the subsequent Governments, mandates that every Bill must be put in the public domain, for at least 30 days, so that stakeholders and other people interested in the contents of the Bill can give their comments with regard to the substance of the Bill.

As I had earlier pointed out that since the Bill has undergone a significant change post the Standing Committee process, this particular consultative process should have been followed. The pre-legislative consultative policy also has certain other mandates which also have not been fulfilled before the Bill has been brought to the House.

My third objection, Mr. Speaker, with your permission, is that the Code on Social Security is discriminatory. Nine labour enactments have been subsumed into the new Code, but many others have been left out. For example, the Beedi Workers Welfare Fund Act of 1976, the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act of 1972. Therefore, notwithstanding the Government's avowed objective in order to consolidate the labour laws, you will still have multiple paradigms which will continue to exist and which will

defeat the entire purpose of the exercise which is being attempted by this codification.

My penultimate objection is that too much has been left to delegated legislation in the Bill. At various places in the Bill, you will find phrases like “as may be specified”, “as may be prescribed”, “as may be framed”, and they occur very frequently in the Bill. My submission is that labour rights are very hard won fundamental freedoms which have a struggle of 100 or 200 years behind them. Therefore, these fundamental freedoms cannot be left to the vagaries of executive or delegated legislation to be defined at the whims and fancies of whosoever is in power.

My final objection, Mr. Speaker Sir, with your permission, is that there are definitional nightmares in the Bill. …(*Interruptions*). I will just conclude in one minute, Mr. Speaker, Sir. The Occupational Code defines migrant workers as contract labour. अध्यक्ष महोदय, ये वही माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो करोड़ों की संख्या में विस्थापित होकर पिछले दिनों अपने घर पैदल चलकर गए थे। ऐसा ही एक और कानून है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट जिसमें इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। ऐसी दो-दो परिभाषाएं होने से ऐसे मजूदरों और श्रमिकों के हक पर सीधा-सीधा प्रहार है। मैं आपकी अनुमति से आपके संरक्षण से माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह आग्रह करता हूं कि इन तीनों विधेयकों को वापिस लें और हमारी सारी आपत्तियों को संज्ञान में लेकर उन पर एक सुनिश्चित विचार बना कर इन तीनों विधेयकों को वापस सदन में ले कर आएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शशि थरूर जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । आप वरिष्ठ सदस्य हैं । इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहे हैं, आप तो विरोध नहीं कर रहे हैं। आप अपने डिबेट में डिटेल से बोलें।

…(व्यवधान)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): At the time of introduction of the Bill, the objection with respect to legislative competence can be raised. The objection with respect to merit of the Bill, at the time of introduction, cannot be raised. …(*Interruptions*). That can be done at the time of consideration of the Bill.

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): महोदय, क्या आप चाहते हैं कि हम इन तीनों बिलों का विरोध एक साथ करें?

माननीय अध्यक्ष : यह सदन अध्यक्ष की आज्ञा से चल रहा है।

DR. SHASHI THAROOR : Mr. Speaker Sir, thank you for giving me the floor. I have six objections to the first Bill, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; five objections to the Bill on Industrial Relations Code, 2020; and four objections on Code on Social Security. So, I hope you will give me the time to briefly summarize them.

On the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code..

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा कहना इतना ही है कि जब बिल पर डिटेल में चर्चा होगी, तब बोलिए।

डॉ. शशि थरूर : सर, ये सब कंस्टीट्यूशनल प्वाइंट्स हैं। The Code fails to specify explicit provisions to safeguard the overall interest of the unorganized sector workers with a special emphasis on safety and health aspects as prescribed by ILO resulting in a dereliction of the Central Government's duty under Article 253 and 51 (c) of the Constitution.

Secondly, the Code fails to incorporate an exclusive chapter on Inter-State migrant workers, as has been pointed out by my colleague, Manish, and as prescribed by the Standing Committee and proceeds with the splitting up of existing provisions contrary to the Standing Committee's recommendations. This violates the Directive Principles of State Policy under Article 38 of the Constitution.

Third, the Code permits the Central Government to reinvent Rules in an arbitrary manner by failing to define some key terms and operates instead on narrowly-drafted definitions contrary to the Standing Committee's observations. This also curtails the scope of welfare measures prescribed under the Code.

Fourth, the Code introduces arbitrariness by providing sole discretion to the Central Government to decide the quantum of wages that the migrant workers shall draw by failing to honour the recommendations of the Standing Committee to incorporate the term 'appropriate government', which would also have permitted the State Government to have a say in this crucial matter.

Fifth, the Code is discriminatory since it fails to include effective provisions for women welfare which in turn curtails their rights and has a

debilitating effect on their participation. This violates the equality clause of the Constitution.

Finally, on the first item, the Minister has not complied with Direction 19B of the Speaker's Directions which requires the Minister to circulate copies of the Bill at least two days before the Bill is proposed to be introduced. The same is the position with all the three Bills.

On the Industrial Relations Code, I have some objections to make. First, it violates the constitutional principle of Separation of Powers by allowing the Central and State Governments to adopt a judicial function such as rejecting or modifying an award given by the Industrial Tribunal.

Secondly, the Code further violates this principle by allowing the State or Central Government to amend the threshold for applicability of provisions relating lays-off and retrenchment.

Thirdly, the Code severely restricts the right of workers to strike by stipulating stringent conditions that render a strike virtually impossible or ineffective. Though the Minister mentioned that 74 per cent of the Standing Committee's recommendations have been accepted, he has actually blatantly disregarded those recommendations of the Standing Committee which have not been incorporated and which had an enabling effect on the rights of workers relating to fixed employment, job security, definition of industry, definition of wages, and unified definition of workers or employees. All these have been ignored by the Government.

On the Code on Social Security, I have four brief objections. The Code allows the Government to prescribe such other experience and qualifications for persons to be appointed as competent authorities. But the use of such discretion to prescribe such experience and qualifications violates the Fundamental Right to Equality under Article 14. They have to conform to the ones specifically listed in the Code.

Secondly, the Code does not contain sufficient provisions to ensure that the social security benefits are extended to unorganised workers thereby discriminating against them in violation of Article 14.

Third, the Code fails to provide maternity benefits for women workers in the unorganised sector. There again, there is denial of equality clause of the Constitution. Fourth, most social security schemes stipulated under the Code require the intervention of the appropriate Government for their formulation and notification. This violates the Principle of Separation of Powers by assigning a legislative function to the executive. ‘

Sir, it is not fair to expect the Members to go through a voluminous Bill consisting of 151 pages and prepare objections in a matter of few hours. Given the crucial importance of this Bill, as my colleagues, Shri Premachandran and Shri Tewari have pointed out, I would urge the Minister to consider the Standing Committee’s recommendations, as 26 per cent of their ideas have been ignored, and incorporate them by taking these objections into account and bring the Bill back to the House because the alternative would be

to face constitutional challenges in the court. And after all the work that he has done to produce these Bills, does he want to face judicial scrutiny again? Thank you, Sir.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I would like to oppose the introduction of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. As my other colleagues have said, the Code is repealing the Inter State Migrant Workers Act, 1979. The main point is that all the meetings of the Standing Committee have been held during the COVID period. Many Members of the Committee could not attend these meetings. So, a wider discussion is needed on the subject. So, most of the Members conveyed their inconvenience and their concern. So, I request the Minister to send all the three Bills to the same Standing Committee for a wide discussion which is required….(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, बिल के इंट्रोडक्शन के टाइम पर उसके मेरिट पर बोलने की आप परम्परा बनाना चाहते हैं, तो आप बनाइए। हम लोग भी दे देंगे। It is because we go by the rules. मेरिट में तो नहीं है। हम लोग देखते हैं that a few Members are giving notices every day and they are speaking on merits every day. अल्टीमेटली बिल पर चर्चा के समय हम लोगों के बोलने के टाइम में कमी हो जाती है।

आप लोग चाहते हैं तो हम लोग भी कल से दे देंगे, मेरिट पर सभी पहले बोलेंगे, उसके बाद होगा। आप देख लीजिए कि आप क्या करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, there are two stages in the consideration of a Bill. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: वकील साहब, मैंने नियम प्रक्रिया अलग से पढ़ रखी है। आपकी अगर कोई नई बात हो तो आप बता दें।

…(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी : सर, मैं उसका रूल बता रहा हूं। …(व्यवधान) One is introduction, and the other is consideration of the Bill. So, Rule 72 specifically provides that at the time of introduction of the Bill, if legislative competence is not there, then only it can be argued upon merit. Otherwise, it cannot be. It is very specifically provided under Rule 72. …(*Interruptions*) As far as merit part is concerned, that can only be discussed at the time of consideration of the Bill. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ सम्माननीय सदस्यों को मौका दिया जाता है। नियम-72 मैंने भी पढ़ रखा है। आप सभी सीनियर एडवोकेट्स हैं, यह बात सही है, लेकिन मैं भी आसन पर बैठा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, पर मैं दो-चार सन्टेन्स ज़रूर बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 में तत्कालीन सरकार ने द्वितीय श्रम आयोग की मीटिंग में 44 श्रम कानूनों को चार या पांच कोड में बदलने का एक निर्णय लिया था। दुर्भाग्य है कि अगले दस वर्षों में जो सरकार रही, उसने इस पर कोई विचार नहीं किया। वर्ष 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छे सुझाव थे, इन पर तुरंत विचार होना चाहिए, तब हम इस प्रक्रिया को लेकर आए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में जो सरकारें रहीं, उन्होंने इस पर विचार नहीं किया? हम पूरी सक्रियता के साथ इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, हमने नौ ट्रायपाटाइट कन्सलटेशन्स किए, चार सब-कमेटी मीटिंग्स हुईं, दस रीजनल कॉन्फ्रेंसेज़ कीं और हमने तीन महीने के लिए लेबर कोर्ट्स को मंत्रालय की वेबसाइट्स पर डाला और उस पर छ: हजार सुझाव प्राप्त हुए। इसके बाद भी हर तरीके की हमने बात की और 233 रिक्मेन्डेशन्स पर श्रीमान भर्तृहरि महताब जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा की, उसमें से करीब 74 रिक्मेनडेशन्स हमने मान लीं। अब इस सबके बाद भी और कितनी चर्चा की आवश्यकता है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं।

मेरा कहना है कि आज सदन चल रहा है, आप सब लोग इस विषय पर जो सुझाव देंगे, उन पर विचार किया जाएगा, पर मेरा मानना है कि वास्तव में एक अच्छी प्रक्रिया के तहत आदरणीय प्रधान मंत्री जी इस दिशा में इसे लेकर आए हैं। वे खाली दस करोड़ श्रमिकों की ही बात नहीं कर रहे हैं, वे देश के 50 करोड़ श्रमिकों की चिंता कर के उनकी बात कर रहे हैं। हम ये सारी बातें इसमें लेकर आए हैं। जब सदन इस पर चर्चा करेगा तो बहुत सी बातें समझ आएंगी।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि इसे इंट्रोड्यूस करने दें और आगे, कल-परसों में इस पर जो भी चर्चा होगी, उसमें अपने सुझाव देने का काम करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब माननीय मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

---

* Introduced with the recommendation of the President.

15.38 hrs

(ii) INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020*

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 11

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 19.09.20.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.39 hrs

(iii) CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020*

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 12

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। वे बहुत लंबा जवाब भी दे सकते थे, जितनी लंबे जवाब के बारे में माननीय सदस्यों ने बोला है, लेकिन वे जानते हैं कि जब फुल डिबेट होगी, तब वे पूरा जवाब देंगे।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 19.09.20.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय अध्यक्ष: अब लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे लिए जाएंगे।

श्रीमती सुमलता अम्बरीश।

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Mr. Speaker, Sir, 'Unity in Diversity' is the one quality that sets our great country apart in the world and the biggest evidence of this can be found in my home State of Karnataka where we have always welcomed, accepted and respected multiple cultural and linguistic identities. At the same time, we take immense pride in our language Kannada which is thousands of years old and also has been recognised as a classical language by the Government of India.

Sir, it goes without saying that each region and language have contributed and displayed to the entire world that there are bonds that can exist beyond language and cultural barriers. However, some regional concerns do exist and need to be addressed. One such is the proposed Three Language Formula. I think I speak for millions of South Indians when I say that we fear if Hindi is being pushed as the major or sole medium of communication, it might lead to the eventual decline of a regional language and this is not acceptable. Also practically speaking, for instance, when it comes to the banking sector, various Government schemes do not reach the intended poorer sections because of the employees' inability to communicate in the regional language and the common man not being able to articulate his issues in turn has led to a lot of negative sentiments about this.

We love and respect Hindi. सर, हमें हिन्दी भाषा से बहुत प्यार है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार हम मातृभाषा से करते हैं । I think any national policy has to be approached keeping the regional linguistic identities and sentiments in mind. *Naavu Kannadigaru, Naavu Bharatiyaru* as much as anybody who speaks in Hindi, Bengali, Marathi, Punjabi etc.

Lastly, I urge the Government of India, through you, to look into this matter and take it up seriously and ensure that our precious past is preserved intact for a beautiful future. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Kannada.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी. के. सुरेश, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती सुमलता अम्बरीश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि सभी सदस्य अपनी बात एक मिनट में पूरी कर दें। Hon. Members, please conclude your submissions in one minute.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Mr. Speaker, Sir, according to John Locke, English political philosopher, the protection of life, liberty and property is the sole purpose of State. But the State of Kerala is doing just the opposite. Two Youth Congress activists Kripesh and Sharath Lal were murdered by some CPI (M) activists on 17th February, 2019 at Periya in Kasaragod. The murder was done as per a conspiracy hatched by CPI (M) leaders. But the police charge-sheeted against some dummy accused sparing the real culprits and conspirators. The parents of the victims appealed in the High Court for quashing the charge-sheet and transfer the case to the CBI. A

Single Judge Bench of the High Court quashed the charge-sheet observing that the charge-sheet had been prepared solely based on the deposition of the dummy accused with a design to save them in trial and ordered the CBI investigation as the Court found that the murder was politically motivated and done under a criminal conspiracy involving the top brass of CPI (M) leadership.

Subsequently, the CBI demanded the Case Diary and related documents from the Crime Branch of the State Police. But the State Government refused to hand over the Case Diary even after 9 months of the High Court order. The CBI has sought permission of the High Court to wind up the investigation due to the non-cooperation and delaying tactics of the State Government. Meanwhile, instead of complying with the High Court order, the State Government is still reluctant to hand over the Case Diary and related evidence to the CBI with an intention to obstruct the investigation.

Hence, I pray the Government of India to issue directions to the State of Kerala to hand over the Case Diary and related documents to the CBI in the case immediately to ensure justice to the victims.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय, अध्यक्ष महोदय ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हल्दिया से लुधियाना तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर मेरठ से होकर जा रहा है। निश्चित ही यह कॉरिडोर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परंतु मुझे ज्ञात

हुआ है कि मेरठ में माल उतारने, चढ़ाने के लिए इस कॉरीडोर के किसी भी स्टेशन साइडिंग का प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

महोदय, मेरठ औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से देश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है।

मेरठ में विभिन्न उत्पादों से संबंधित लगभग 20 हजार छोटी-बड़ी इकाइयां कार्यरत हैं। यहां से पूरे देश तथा विदेश में स्पोर्ट्स गुड्स, हैण्डलूम, कागज, कैंची, चीनी और आलू आदि की आपूर्ति एवं निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों की जरूरत की पूर्ति हेतू कच्चे एवं निर्मित माल का विभिन्न देशों से यहां आयात भी किया जाता है। वर्तमान में मेरठ शहर छः नेशनल हाईवे तथा दो एक्सप्रेस वे के माध्यम से अन्य औद्योगिक शहर जैसे मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, बुलंदशहर एवं नोएडा से जुड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ शहर का औद्योगिक महत्व तथा कनेक्टिविटी को देखते हुए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मेरठ में एक स्टेशन, माल साइडिंग बनाने की कृपा करें। आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री मलूक नागर और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, the recent affidavit filed by the hon. Ministry in the Andhra Pradesh High Court, stating that it has no role in deciding the location of the State Capital, has left many of the farmers and citizens of Andhra Pradesh in a state of shock with a feeling of abandonment.

The confusion arose as the subject of ‘Capital’ has not been listed under the Union List nor the State List nor the Concurrent List. Here, I would like to draw the attention of this august House to Article 248(1) of the Constitution,

which deals with residuary powers of the legislation, which says that 'Parliament has the exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or the State List.'

Sir, this Parliament can bring a law to include the issue of 'Capital' in the Union List and put an end to this issue once and for all. If not, the move of the Government of Andhra Pradesh will create a precedent for other States to follow, and the Centre will be unable to intervene in such decisions in the future. It will open a Pandora's Box that we will not be able to close.

HON. SPEAKER: Yes, now, Mr. Sundaram.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, give me just 30 seconds.

Sir, I would like to once again highlight here that the need for a Capital arose due to an Act of the Parliament when they passed the Andhra Pradesh Reorganisation Act. The Centre has also given funds to the tune of Rs. 1,500 crore for the development of Amaravati. A total of Rs. 41,000 crore worth of projects including buildings, roads, etc., have already been grounded and are in various stages of completion. Is the State not accountable to the Centre and the people?

Sir, this is not my request, but the request of the 29,000 farmers of Andhra Pradesh…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shri Sundaram.

श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री जयदेव गल्ला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*__SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI):__ With the financial help of Union Government, at a cost of Rs 230 Crore through Government Order of Tamil Nadu G.O. (M.S.) No. 209, the Tamil Nadu Government has been engaged in de-silting and laying in concrete work along the banks of the river Noyyal and also in the water bodies and banks of ponds around, under the extension, renovation and modernization scheme of the Noyyal river which passes through Coimbatore, Tiruppur, Erode and Karur districts of Tamil Nadu. This concrete laying work of Noyyal river is carried out affecting the bio-diversity and environment of that area. Habitats of birds, small living organisms and other living beings are being destroyed. Traditionally, granite was used for strengthening the banks of ponds and lakes during olden days. On the contrary concrete blocks are being laid for such purpose which is against the environment and the ecosystem. The water Management systems followed in Tamil Nadu during the days of Chola dynasty were acclaimed and the structures have been helpful for the human beings as well as various living beings. In this project, Tamil Nadu government has not been engaged in de-silting of ponds and cleaning of waste. Noyyal river and its water bodies should be protected and renovated only by using scientifically proven techniques.

This river should be protected from effluents from dying industries and other wastes being dumped into it. A thick green cover should be developed at the place where the river Noyyal originates. In order to spend money as swiftly

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

as they can, the Tamil Nadu Government is engaged in spoiling the water bodies by laying in concrete mixture and concrete blocks. These water bodies should be protected under the guidelines given in the Wetlands Conservation and Management Rules of 2017 of the Union Government. But presently the work is being undertaken at this Noyyal river without following these guidelines. Smart City related project in Coimbatore is also carried out with a huge spending of several Crores of Rupees affecting the environment. I urge upon the Union Government to intervene in this matter and ensure that the project work regarding extension, renovation and modernization at Noyyal river should be carried out as per the guidelines. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री के. षणमुण सुंदरम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दीपक बैज (बस्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार जान-बूझकर छत्तीसगढ़ राज्य के हक की जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं कर रही है। वर्तमान समय में कोविड-19 की महामारी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनकी आय के साधन अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित करने से राज्य के किसान, मजदूर और बेरोजगारों के विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के 2,824 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि केन्द्र सरकार के समक्ष विगत पांच माह से लंबित है। केन्द्र सरकार के द्वारा वित्तीय संस्थानों से महंगी दरों पर ऋण लेने की सलाह दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह है कि केन्द्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की जीएसटी की राशि का तत्काल भुगतान कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री दीपक बैज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री किशन कपूर जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय कुमार मंडल – उपस्थित नहीं।

कई माननीय सदस्य राज्य सभा में भी बैठे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी लिस्ट में लिखे हुए सदस्यों के नाम लिए जा रहे हैं। आप अपने हाथ मत खड़े कीजिए। पहले लिस्ट पूरी हो जाने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री किशन कपूर जी।

…(व्यवधान)

श्री किशन कपूर (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने गत जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। यह शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैले हुए विशाल हिमालयी राज्यों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को लेकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हिमालयी राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी है। हिमालयी राज्यों के दूर-दराज

के क्षेत्रों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, अध्यापकों और स्कूलों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहुंच का अभाव है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाने का संकल्प भी वर्तमान स्थिति में पूरा होने की संभावनाएं क्षीण हैं। पहाड़ी राज्यों में एक कहावत प्रचलित है कि कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। मेरे राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए तो यह अक्षरशः सत्य बैठता है। मेरे राज्य में 12 जिले हैं। इन 12 जिलों में 14 बोलियां बोली जाती हैं, जो कि राज्य अधिकृत रूप से केवल हिन्दी और अंग्रेजी पर आश्रित हैं। वहां मातृभाषा में पढ़ाना तब तक संभव नहीं है, जब तक पहाड़ी भाषाओं पर शोध कर उन्हें पढ़ाए जाने योग्य बनाया न जा सके। जैसा कि शिक्षा नीति में वर्णित है।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि हिमालयी राज्यों के लिए एनसीआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित की जाए, ताकि इन राज्यों में नई शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से लागू की जा सके और मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम आदि की समस्या पर विचार किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री किशन कपूर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र आनंद की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे एपीडा भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना दिसंबर, 1985 में की गई थी। एपीडा नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय, 5 क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद, गुवाहाटी और 13 आभासी कार्यालयों के द्वारा कृषि निर्यात समुदाय को सेवाएं प्रदान करता रहा है। लेकिन गुजरात जैसे कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रदेश में एक भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।

एपीडा अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जारी करती है। यह सर्वविदित है कि मेरा संसदीय क्षेत्र आनंद, जहां बहुत बड़ी अमूल डेयरी भी है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है। यदि एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय आनंद में भी संचालित होने लगे, तो पूरे गुजरात के किसान एवं निर्यातकों के हितों के दृष्टिगत बड़ी सुविधा स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो जाएगी, जो अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों में वृद्धि के साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से अभूतपूर्व संबल प्रदान करने में मददगार साबित होगा।…(व्यवधान)

मैं इस सदन के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (भारत सरकार) से यह मांग है कि वह एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात के आनंद जिले सह मेरे संसदीय क्षेत्र में संचालित करने हेतु संबंधित प्राधिकरण को निर्देशित करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री मितेश पटेल (बकाभाई) द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, I would like to raise a matter regarding running the trains during this COVID-19 pandemic scenario. Now, the Railways have scheduled running of trains with limited number of stops. In Kerala, trains have stops only at one station in each district and the distance between the stops is more than 100 kilometres. This is the main reason for shortage of number of passengers.

I would request the Railway authorities to evaluate the situation and explore the possibility of running more trains with more stops including Vadakara, Thalassery, Alwaye, Varkala, Haripad, etc. at the convenience of

passengers adhering strictly to the COVID protocol. This will help the Railways to minimise the loss in running trains.

Sir, 86 new special trains were announced by the Central Government, but Kerala is not included in that. Kerala should be included in that list.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री के. मुरलीधरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Hon. Speaker, Sir, I would like to raise a very important issue. In Andhra Pradesh, as of now, a constructive destruction is happening with regard to the Hindu temples. …(*Interruptions*) This is with regard to the Hindu temples. …(*Interruptions*) Let them please sit. …(*Interruptions*) Let me speak. …(*Interruptions*) Why are they standing up? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ कर बोलिए

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU : Let me complete. …(*Interruptions*) There is a constructive destruction of Hindu temples in the State of Andhra Pradesh. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Raju, be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: So, let there be a commission, a *dharmic* commission or a Hindu commission in line with Christian minorities or Muslim minorities to address the issue. …(*Interruptions*) How there are commissions? …(*Interruptions*) Let there be a Commission for Hindus also. Though we are a majority, we are being treated like a minority. …(*Interruptions*) Even in the case of the very famous Tirupati Temple, for the sake of one individual, they are changing the rules which have been there since ages. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please be seated.

… (*Interruptions*)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: They are changing the rules of the Hindu temples for the sake of one individual. …(*Interruptions*) Let them sit, Sir. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Ajay Mandal *ji*.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ कर बोलिए

…(व्यवधान)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU : This issue has to be addressed. …(*Interruptions*) Only a *karmayogi*, our hon. Prime Minister, shall address this issue. …(*Interruptions*) Otherwise, atrocities are going on in our State. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ कर बोलिए

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी को श्री रघु राम कृष्ण राजू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

श्री अजय कुमार मंडल (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे संरक्षक, गार्जिन हैं और मैं शून्य काल में पहली बार बोल रहा हूँ। …(व्यवधान) आज का अपना शून्य काल का मुद्दा उठाने से पहले मैं एक-दो मिनट में कुछ अच्छी बात कहना चाहता हूँ। …(व्यवधान) कृपया मुझे अनुमति दें। …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, महाभारत कालीन दानवीर कर्ण का अंग प्रदेश – भागलपुर-गंगा में पाए जाने वाले डॉलफिन, नौगछिया का मक्का, कतरनी चावल, जर्दालु आम, अंगिका भाषा, भागलपुरी रेशम, विक्रमशिला, विक्रमशिला, बटेश्वर स्थान, दिगंबर जैन मंदिर, महर्षि आश्रम, माँगनशाह दरगाह, तिलकामांझी, रविन्द्र नाथ टैगोर के कारण देश-विदेशों में विख्यात है।

भागलपुर की रेशमी साड़ी को कौन नहीं जनता । हमारी बहन आदरणीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी वस्त्र मंत्रालय को एक सफल मंत्रालय बना रही हैं। भागलपुर सिल्क के लिए वे जरूर कुछ अच्छा करेंगी। ऐसी मेरी आशा है। माननीय मुख्य मंत्री नीतीश बाबू और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की भागलपुर पर विशेष कृपा है।

जब सन् 2015 में पीएम पैकेज घोषित किया गया था, तब विक्रमशिला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना हेतु 500 करोड़ घोषित किए गए थे, परंतु अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। भागलपुर स्मार्ट सिटी घोषित हुआ था, परंतु यह परियोजना ठीक ढंग से अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रही है। परंतु इन दो परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं की प्रगति संतोषप्रद है, जिसमें एनएच-106 बिहपुर से बीरपुर का अपग्रेड होना, भागलपुर बाई पास निर्माण, भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन की स्वीकृति, भागलपुर-नौगछिया विक्रमशिला वैकल्पिक पुल, मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन, पेट्रोलियम, संचार, रेल और विद्युत मंत्रालय की परियोजनाएं, ट्रिपल आईटी – भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रो-केमिकल्स एण्ड टैक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना आदि शामिल है।

पांच हजार करोड़ से भी ज्यादा की राशि मेरे संसदीय क्षेत्र को मिली है, माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से। मैं इस मदद के लिए प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ।

16.00 hrs

मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, भागलपुर स्मार्ट सिटी में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति, रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और भागलपुर हवाई अड्डे की स्थापना के लिए आग्रह करता हूँ।

हमारे क्षेत्र को बहुत कुछ मिला है। मैं प्रधान मंत्री जी को पुन: कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी द्वारा कल 18.09.2020 को नवनिर्मित शिवनारायणपुर-

भागलपुर रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई। इस अवसर पर मुझे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में रखा गया था। आमंत्रण पत्र में मेरा नाम भी उल्लेख था, परन्तु डीआरएम मालदा द्वारा न तो मुझे सूचना दी गई और न ही आमंत्रण दिया गया। इस डीआरएम की कार्य शैली भी आम तौर पर आपत्तिजनक है। महोदय, इस घटना से पता चलता है कि अगर वह सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जनता के साथ कैसा करते होंगे…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री अजय कुमार मंडल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. सौगत राय।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, the situation in Jammu and Kashmir after one year of abrogation of Article 370 is causing concern. Thirty elected Members of the last J&K Assembly were arrested. Seven of them including Ms. Mehbooba Mufti, former Chief Minister, have not been released. Forty political leaders of mainstream political parties were arrested. Half of them have not been released. Eighteen Journalists were arrested and intimidated and some were allegedly physically assaulted by police. Mobile internet that is 2G was suspended on 84 occasions; 4G internet has not still been restored in J&K. The State Human Rights Commission has been closed along with seven other Commissions including State Commission for Protection of Child Rights. The prisons in J&K have become COVID-19 hotspots. In Anantnag, 96 prisoners, mostly undertrials, tested positive for Covid-19, almost half of the population of that prison. Arbitrary internet shutdown is harming the education of the students. Some leaders, who were earlier released, have signed bonds that

secure their release on condition of maintaining silence on political issues. Access to education is limited. Dr. Farooq Abdullah is here. After his release, I demand the release of all political leaders.

Now, 230 political leaders are still in detention.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***SHRI RAJAN BABURAO VICHARE (THANE):** Hon’ble Speaker Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in this Zero Hour on the serious issue of Maratha Reservation in Maharashtra. The Maratha Reservation case has been refered to the Constitution Bench by the Supreme Court of India. This is done on the basis of the 102nd constitutional amendment. According to this 102nd constitution amendment, any state can give reservation to any community on the basis of backwardness. But it has to be certified by the Backward Commission of that state.

But in this case, the Supreme Court of India has challenged this right of states given by the constitution amendment. Now the right of constituting Backward Commission and deciding backwardness of any community is being questioned by the Supreme Court.

In this scenario of constitutional conflict, justice should be done to the Maratha Community. Hence, I would like to request the Union Government to stand with the Maratha community and extend their support in this regard. Thank you.

Jai Maharashtra.

माननीय अध्यक्ष : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

*__DR. PRITAM GOPINATHRAO MUNDE (BEED):__ Hon'ble Speaker Sir, kindly allow me to speak in Marathi. The issue of Maratha Reservation has been pending for the last many years. Earlier, Maratha Community had organized peaceful protests but now it is becoming more violent. We should not politicize this issue and rather we all should come together to resolve this issue. The then BJP Government had given reservation to the Maratha Community by considering many aspects and that is why Supreme Court of India had considered it valid.

The Government of Maharashtra should study the reservation given beyond the cap of 50% in other states and on the basis of that we should fight for it. If that is not possible, we should provide all the facilities of reservation to the Maratha Community like the then BJP Government had given it to the Dhangar Community when it was not possible to give ST reservation to Dhangars.

Government of Maharashtra should follow what the then BJP Government had done and take all the measures to do justice to the Marathas. But while taking these steps no injustice should be done to the OBC Community. Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री गोपाल शेट्टी, डॉ. सुजय विखे पाटील, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, my constituency, Nandurbar is a tribal area, and the villages are formed of multiple hamlets which we call ‘padas’. Some *padas* are small and some are big. There are many problems in these areas, which include malnutrition, illiteracy and anaemia. Several Government schemes do not reach these areas due to lack of road connectivity. Our district has the lowest human development index in Maharashtra. Our district is one of the aspirational districts also. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, 250 plus habitations are provided with road connectivity whereas in Schedule V areas, 100 plus habitations are covered under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana but currently, only the Naxalite areas are given priority. Nandurbar district comes under Schedule V area. We have around 201 *padas* that are hamlets, which have 100 plus habitations, and these hamlets require urgent road connectivity. Therefore, I request the Government, through you, Sir, to consider these *padas,* which have 100 plus habitations, and provide with road connectivity under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे, डॉ. भारती प्रवीण पवार और डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे को डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फारूख अब्दुल्ला साहब, आप अपने सब्जेक्ट पर पूरा डिटेल में नोटिस दे देना।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): सर, क्या मेरे बोलने में कोई दिक्कत है?

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आपके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे नोटिस दे देना। मैं आपको बोलने की इजाजत दे दूँगा।

SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Hon. Speaker, Sir, in the fourth tranche of the Aatma Nirbhar Bharat initiative, the Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman had announced on 16th May the decision to corporatize 41 Government ordnance factories. This is a completely ill-advised move. In response, the three main federations of the ordnance workers representing 80,000 permanent employees and lakhs of contract workers have said that the move has exposed the Government's game plan, and thus they have opposed the Government's plan. The three federations, which represent the employees, have argued that a corporate entity would not be able to survive the unique market environment of defence products which have an unstable demand and supply dynamics.

Hon. Speaker, Sir, as a former military officer, I urge the Ministry of Defence to reconsider the decision to corporatize, and probably, privatise the ordnance factories in future. I appeal to the Government to not embark on a path which will destroy the 200 years' legacy of State-owned Government factories in India. Together, the 41 ordnance factories have over 82,000 permanent employees, besides lakhs of contract workers and several other lakhs of families who are depending on the ordnance factories.

I, therefore, urge the Defence Minister to withdraw the move to corporatize the ordnance factories and invite the workers' unions for talks.

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्रीमती संगीता आजाद को श्री उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): महोदय, महाराष्ट्र में मेरे क्षेत्र भन्डारा-गोंदिया और आसपास के जिलों में इस कोरोना महामारी के बीच 28-29 व 30 अगस्त को भारी मात्रा में बाढ़ के साथ-साथ भारी वर्षा भी हुई थी। इसमें करीब-करीब 231 गाँव और 70 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए है।

महोदय, 8 हजार से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ था, जिसमें करीब 700 घर पूरे के पूरे नष्ट हो गए थे। इसमें चार लोगों की दु:खद मृत्यु भी हुई थी। मेरे किसान भाइयों की करीब-करीब 2100 हैक्टेअर फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी।

महोदय, प्राथमिक अंदाज के अनुसार करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान मेरे क्षेत्र में हुआ था। दु:ख की बात ऐसी है कि केवल 16.5 करोड़ रुपया ही अब तब बाढ़ग्रस्त लोगों तक पहुँचाया गया है।

केन्द्र की टीम ने भी वहां का दौरा किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि बाढ़ग्रस्त लोगों को भारी मात्रा में मदद पहुँचाई जाए और जो लोग अभी बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी राहत दी जाए।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में दो जिले आते हैं - पलामू एवं गढ़वा। दोनों जिलों में बिजली की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वहां के लोगों को एक दिन में अधिकतम तीन से चार घंटे ही बिजली मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी दिनचर्या के काम भी नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि उन्हें स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। उनके मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं हो पाते हैं। पूर्व में वहां एक थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। पर्यावरण एवं प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वहां पर सोलर पावर प्लांट लगाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई करें, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्या से मुक्ति मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री विष्णु दयाल राम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE): Thank you hon. Speaker, Sir. Through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways towards execution of the work on six-lane Chitradurga-Davanagere section by the National Highways Authority of India under National Highways Development Project, Phase-V in the State of Karnataka.

The highways authority has made a lot of mistakes while constructing the six-lane road between Chitradurga-Davanagere and Haveri. While doing the project, construction of road over bridge (ROB) at lakkamuttenahalli and road under bridges (RUBs) at Hebbalu, Haluvarthi, Mallashettihalli, H. Kalpanahalli and Davanagere city entry have not been considered by the project director. Even after my repeated requests, the Ministry of Road Transport and Highways has not given green nod to take up these works. I urge upon the Union Government to take up the execution of this project.

In this regard, I met the hon. Minister of Road Transport and Highways and the officers concerned several times but no response has been received from them so far. The people of this area are very much agitated and are protesting over the delay in completion of this project. There is an urgent need to take up this project.

I urge upon the Union Government, through you, to issue necessary instructions to the highways authority to take up the work of six-lane highway project. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री एस.सी. उदासी को श्री जी. एम. सिद्देश्वर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, my constituency, North Chennai is a coastal constituency. In July, 10 fishermen had gone out on a fishing expedition. What was to be a 10-day fishing expedition turned out to be a two-month nightmare and ordeal, where they were starving off the coast of Myanmar. Luckily, these 10 fishermen were found.

Earlier, there was a similar incident where seven people had gone for fishing and they are not still traced. The boat has been found washed away in some other part of our country.

Sir, our country has one of the longest coast lines. It is about 7000 kilometres. The fishermen’s efforts have put India on the world map where India is the second largest fishing nation in the world. When so much is being done by about 40 lakh fishermen, I feel it is the responsibility of the Government to ensure the safety of these fishermen. It has not happened in my constituency in the State of Tamil Nadu alone, the other States like Andhra Pradesh, Kerala, and Maharashtra are facing similar problems.

Therefore, I request the Government to at least provide GPS to these fishermen for their boats so that even if they are lost at sea, they will be identified and located. I request the Department of Fisheries to look into this matter and do the needful. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री के. नवासखनी, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री बी. मणिक्कम टैगोर एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak.

As the House is well aware, since Independence, the SC/ST people are suffering from low educational facilities and there is a high rate of unemployment among them. So, they are facing lot of difficulties for their livelihood in the absence of proper employment.

On the one hand, the Government is saying that India is shining on all fronts and sectors and on the other, the pathetic situation of SC/ST people has never improved and remains the same on all fronts. The level of employment is low among the SC/ST people. Most of the SC/ST people hail from economically backward areas and also from rural and remote areas all over the country.

Due to COVID-19, it has come to my notice that many educated unemployed SC/ST youth are compromising and working under MNREGA schemes and also selling fruits, vegetables and other items on the roadside.

Sir, I would like to bring to your kind notice the need to provide unemployment allowance to the unemployed SC/ST people in the country at the minimum rate of ₹ 5,000 per month.

Hence, I request the hon. Minister of Social Justice and Empowerment, through the Chair, to kindly consider the pathetic situation of the unemployed SC/ST people in the country by preparing data and provide relief to them with at least ₹ 5,000 per month as unemployment allowance, for which they shall be ever grateful to him.

I sincerely request the Government of India to form a Joint Parliamentary Committee to assess the unemployment level among the SC/ST people in the country.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री गिरीश चन्द्र, श्री मलूक नागर, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्रीमती संगीता आजाद को श्री रामुलु पोथुगन्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): सर, मेरी कन्स्टिचूअन्सी बीरभूम में पहले एन.एच. 60 था, अब यह एन.एच.14 हो गया है। लोहापुर से नालहट्टी और सुरी से डुबराजपुर तक के रास्ते का हाल बहुत ही खराब है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो लोडेड ट्रक्स हैं, वे आपके ऊपर ही गिर जाएंगे। वहाँ बहुत सारे ट्रक्स पलट भी जाते हैं और खराब रोड की वजह से एक्सीडेन्ट्स भी हो जाते हैं। एमपीज़ के एमपीलैड फंड को वापस लेकर उन्हें दो या ढाई साल के लिए वॉलन्टरी रिटायरमेंट दे दिया गया है। अभी हम लोग वी.आर.एस में हैं। इस समय मिनिस्टर का जो काम है, सरकार और मिनिस्ट्री की तरफ से जो काम होते हैं, अगर वह जल्दी से हो जाए तो हम लोगों को जो लोग वोट देते हैं, उनका भरोसा हमारे प्रति अटूट बना रहेगा।

सर, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इसके बारे में मिनिस्ट्री को बताया जाए कि वहाँ जल्दी से काम किया जाए। यह काम पेपर्स, फाइल्स या पॉलिसी में रूकना नहीं चाहिए। पॉलिसी चाहे बदल दी जाए, लेकिन वहाँ का काम जल्दी से कराया जाए।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने हर बड़े असंभव काम को संभव करके दिखाया है, चाहे वह धारा 370 को हटाना हो या बोडोलैंड मुद्दे का समाधान हो या नॉर्थ-ईस्ट में तेजी से हो रहा विकास हो।

सर, इन बदलावों से हमारे क्षेत्र के लोग जो दार्जिलिंग, तराई और डूवर्स के हैं, उनकी उम्मीद भी जगी है कि गोरखालैंड से संबंधित जो मुद्दा है, उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। गोरखालैंड राज्य या गोरखा प्रदेश की माँग दार्जिलिंग हिल्स, तराई तथा डूवर्स के लोगों की लंबे समय से चली आ रही एक संवैधानिक माँग है। अतीत में दो बार वर्ष 1988 तथा वर्ष 2011 में सरकार ने डीजीएचसी और जीटीए जैसे ऑटोनॉमस बॉडी का प्रयोग करके कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह विफल रही। इस क्षेत्र की जनता की माँग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमारी पार्टी ने वर्ष 2019 के संकल्प पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने का संकल्प भी लिया है। स्थायी राजनीतिक समाधान से न केवल उस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति होगी, बल्कि इससे डेढ़ करोड़ भारतीय गोरखाओं की आइडेन्टिटी, भाषा और संस्कृति का संरक्षण भी होगा और उनका सपना पूरा होगा।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द हो।

धन्यवाद। जय हिन्द – जय गोरखा।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, YSR Congress has always stood by farmers and we will continue to protect the interest of Amaravati's farmers. However, the Amaravati capital insider-trading case calls for a free and fair investigation.

A High Court order has stopped the investigations and muzzled the media by prohibiting them from naming the former Advocate General of Andhra Pradesh and other influential people named in the FIR.

Instead of protecting the interests of Amaravati's farmers, the High Court order looks like favouring the powerful and mighty. The Governments in future will use this as a precedent to stop inquiries into corruption.

Our Constitution ensures equality of law for everyone from the common man to the former Advocate General.

Hon. Speaker, Sir, through you, I request the Central Government, once the stay is vacated, to understand the gravity of the case and hand it over to the CBI so that justice can be delivered.

Thank you.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, the CPI (M)-led State Government in Kerala has been brutally attacking the youth, women and students using police who are leading peaceful protests in the State. Three MLAs, the State Youth Congress Chief, Shri Shafi Parambil; Vice-President, Shri K.S. Sabarinathan, and Shri V.P. Balram were badly beaten up.

As we all know, the gold smuggling case in Kerala where gold was smuggled in the diplomatic baggage in which the CM's Office is directly involved. The Customs Department, the National Investigation Agency and the ED are investigating the case. A free, fair and transparent inquiry is needed. All those who are involved in this case, including the Ministers, should be brought to book. The conspiracy factor should be inquired into.

I urge upon the Central Government to direct the Governor of Kerala to furnish a detailed report on the law and order situation in Kerala and to have a joint investigation in this matter. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री हिबी इडन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गम्भीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी।

महोदय, पिछले चार महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गईं, जिससे कोरोना जैसी महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परम्परा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर कि मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया? तब प्रदेश के उप-समाहर्ता…(व्यवधान) सर, 20 सेकंड, यह बहुत गम्भीर मामला है। प्लीज मुझे यह कंप्लीट करने दीजिए। मेरे पूछे जाने पर कि मेरा संबोधन क्यों

काट दिया? तब प्रदेश के उप-समाहर्ता एवं कार्यक्रम के उत्तरापेक्षी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। एक के बाद एक, पिछले चार महीनों से मुझे लगातार परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड़यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे।

महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी, उससे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोक सभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को संसद में अति गम्भीरता से लेना होगा। …(व्यवधान) मैं इस महान संसद में सातवीं बार चुनकर आया हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती संगीता आजाद, श्री गिरीश चन्द्र, श्री मलूक नागर, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री श्याम सिंह यादव और श्रीमती नवनीत रवि राणा को श्री मोहन एस. देलकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुप्रिया जी, एक मिनट में अपनी बात कह दें।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Mr. Speaker, Sir, I wish to draw the attention of the House towards the mental health pandemic which is headed our way in this COVID-19 times. The fury of Coronavirus lockdown, economic slowdown and the loss of jobs have left people anxisous, fearful, restless, isolated, and depressed. Both young and old are hit alike and age is no bar.

A significant increase in the web search for the word ‘suicide’ in the past few months is like an emergency alarm. The WHO says that India has the highest suicide rates in the South-East Asia region. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

____

16.24 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re : Migrant labourers from West Bengal not getting Central assistance during lockdown

*[*] **SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Honourable Speaker Lok Sabha, through you Sir I would like to draw the attention of Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji to a very important matter. We all are aware that lakhs of workers and labourers of West Bengal who toil hard in other parts of the country, who fight and struggle for survival day in and day out, suddenly faced an extremely difficult situation in the aftermath of the lockdown. There was catastrophe in their lives. They became hapless and penniless overnight. Therefore, scores of labourers started returning to their native places and lakhs of migrant workers started coming back to Bengal as well.

Under the pressure of such mass exodus, and prodded by the opposition parties, hon. Prime Minister of India announced a Garib Kalyan Rozgar Yojana. This Rozgar Abhiyan started from 22 June. But unfortunately, though 116 districts were identified under this PMGKY, not a single district of West Bengal was included in this scheme. It has been observed that innumerable people, who had gone to other states in search of work had returned to their native villages in West Bengal because of lockdown. They

[*] English translation of the speech originally delivered in Bengali.

have lost everything, they have returned empty handed. No one is there to take care of them.

It was announced that those districts would be included in this scheme where a minimum of 25,000 migrant labourers were present. Rs. 50,000 crores were allocated for the purpose. 116 districts were earmarked and 125 days of jobs were assured. But I was befuddled and perturbed to note that 116 districts were chosen from Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa, Jharkhand states but West Bengal was counted out, although there are lakhs of migrant returnees in our state.

In my district itself, 1.5 lakh migrant labourers are present. They are ruined. I have already sent the list to the Government. But even then not a single district of West Bengal could benefit out of the Central Government scheme. There are 42 members of Parliament belonging to West Bengal. They also know that how many migrant workers have returned to their hometown. Sir, I even wrote a letter to Hon'ble Prime Minister of our country with a request to incorporate the districts of my state in the beneficiary list; I requested my district of Murshidabad to be included under the scheme. It is a poor and backward region. However, nothing has been done to include any district of Bengal. Even yesterday, I tried to draw the attention of Hon'ble Finance Minister during the discussion on the Supplementary Demands for Grants, towards the fact that when 116 districts of various states were identified, why Bengal was left out? Why was Bengal deprived? Why has this

happened to Bengal? I demand an appropriate response from the Finance Minister of India in this august House. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी आपने हाथ खड़ा किया, क्या आप कुछ बोलना चाहती हैं?

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो विषय उठाया है, मैं आपकी अनुमति से उसका जवाब देना चाह रही हूं। जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने-अपने राज्यों में वापस गए, प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया, जिसकी घोषणा 20 जून को हुई, यह 125 दिनों के लिए ही है। यह अभियान छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, के 116 जिलों के लिए एनाउनसड हुआ। 13 मई को जिन-जिन जिलों में पच्चीस हजार से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स वापस पहुंचे हैं, उन जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान चलाया गया है। अगर उस दिन तक पच्चीस हजार आपके जिले में माइग्रेंट वर्कर्स पहुंच गए हैं तो उन जिलों में इस योजना को लागू कर सकते थे। इस योजना के लागू होने के बाद त्रिपुरा और मध्य प्रदेश से नए जिलों को जोड़ने की भी मांग आई, मगर उन्हें जोड़ा नहीं गया है। छत्तीसगढ़ ने नए जिले को जोड़ने के लिए मांग की थी।

वेस्ट बंगाल में उस दिन तक पच्चीस हजार माइग्रेंट वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन किसी जिले की राज्य सरकार से नहीं मिली। यदि मैं कह सकती हूं, माइग्रेंट वर्कर्स ने आने से भी इंकार कर दिया है। एक जिले में पच्चीस हजार माइग्रेंट वर्कर्स नहीं पहुंचे, उसकी जानकारी तक नहीं मिली, बंगाल को कैसे इन्कलूड करेंगे? इसकी जानकारी तक नहीं मिली कि पच्चीस हजार वर्कर्स मिले कि नहीं मिले हैं। उधर पहुंचे है कि नहीं, उनको आने दिया या नहीं आने दिया। माइग्रेंट वर्कर्स को आने दिया कि नहीं आने दिया, यह भी सोचने लायक एक विषय है।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): माननीय स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। पहले तो मैं अपने सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे लिए बात की, जब मैं बंद था। अब मुझे मौका मिला है, एक साल बाद हाउस में आया हूं, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि जहां हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वहां कोई भी प्रोग्रेस नहीं है । मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, स्पीकर साहब, आज भी हमारे बच्चों और दुकानदारों के पास 4जी फैसिलिटी नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में बाकी जगहों पर है। वे तालीम कैसे कर सकते हैं, जबकि आज सब कुछ इंटरनेट पर है?

मैं साथ-साथ यह भी आपसे कहना चाहता हूं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज फौज ने मान लिया है कि जो तीन आदमी शोपियां में मारे गए, वे गलती से मारे गए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनके लिए बहुत ज्यादा कम्पेनसेशन देगी।

दूसरी बात है कि बॉर्डर स्कर्मिशिज़ बढ़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप रोज़ अख़बार में देख लीजिए। इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि बातचीत के सिवा कोई और रास्ता हो सकता है।…(व्यवधान) जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वह पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके इस स्थिति से निकलने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.आर बालू जी।

…(व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: जो पढ़ेलिखे हैं, जो इंजीनियर हैं, आज बेकार हैं । इन्होंने अपनी एसोसिएशन काम करने के लिए बनाई, लेकिन आज सरकार ने उसे बंद भी कर दिया है कि आप नहीं कर सकते । बताइए, अगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, क्या जम्मू-कश्मीर को जरूरत नहीं है कि वह भी इस मुल्क के साथ तरक्की करे, आगे बढ़े? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: टी.आर. बालू जी ।

…(व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है । …(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, as per the orders of the Supreme Court, the Medical Council of India has given a directive to all medical universities and medical colleges to surrender 15 per cent of their UG seats and 50 per cent of their PG seats to their All-India Quota, that is, common pool of India. …(*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: You have to listen as to what is happening to us. …(*Interruptions*) How we are facing it? …(*Interruptions*) People are still locked-up. …(*Interruptions*) Do they have no rights? …(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU: In 2017-2019, the State of Tamil Nadu has extended 1,380 UG seats to the common pool and from 2017-2020 3,098 seats of PG medical seats to the common pool.

We were providing 69 per cent reservation as per an Act of Tamil Nadu legislated in 1993, that is, from 1993 onwards we are adopting 69 per cent reservation for the socially and educationally backward people. What has

happened now? Out of a total of 4,478 seats, that is 1,380 UG seats and 3,098 PG seats, the OBC has not got even a single seat. …(*Interruptions*) It is a …* on the part of the Government of India. This is happening not only in Tamil Nadu, but in all of India where the OBC people have not got any reservation.

Sir, I have waited for more than one week to speak on all these things. My Leader, Dr. M. K. Stalin, has vociferously demanded from the Prime Minister of India on 04/08/2020 and he has also written a letter asking to abide by the Madras High Court order of 27/07/2020.

What has happened? The Committee has been constituted. The Medical Council of India, the Dental Council of India, and the State Government representatives constitute a three-Member Committee. But so far, the Committee has not decided anything. Moreover, time is running out fast. The last date for the submission of the Report is 26th October 2020 by which time the Committee has to send the report. The most important issue is, in the all-India Civil Services Examination, the lesser cut off marks have been given to the Economically Weaker Section (EWS) students whereas the socially and educationally backward candidates have been given higher cut off marks. Not only that, when they have appeared in the Preliminary Examination, the Main Examination and over and above, in the Interview also, the EWS candidates have been provided more marks, thereby they are neglecting the SCs, the STs, and the OBC candidates.

---

* Not recorded.

The most important matter is, in Tamil Nadu, from the Common Pool, the SCs students have availed only 15 per cent of the seats, instead of 18 per cent. We demand an open inquiry under the chairmanship of a sitting Judge of the Supreme Court. This matter has to be considered by the Government of India very seriously.

Lastly, the National Commission for Backward Classes have submitted its Report to provide for income ceiling of Rs.8 to Rs.15 lakh immediately. For the last 15 years, the matter is pending. This matter also has to be considered by the Government of India very seriously.

माननीय अध्यक्ष: श्री ए. के. पी. चिनराज ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे आपके द्वारा दी गई विशेषाधिकार के मामले की सूचना प्राप्त हुई है। यह विषय मेरे विचाराधीन हैं।

16.37 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA *

Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

1. "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020."
2. "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020."
3. "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Salaries & Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020."

---

* Laid on the Table.

4. “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020 agreed without any amendment to the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020 which has been passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th September, 2020.”

2. Sir, I lay on the lay on the Table the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020; the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020; and the Salaries & Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2020 as passed by Rajya Sabha, on the 18th September, 2020.

16.39 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को बीस मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें।

(i)Regarding collapse of a under construction bridge at Thalassery, Kerala

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA) : An accident took place in my constituency concerning a National Highway bypass project. Four beams of an under construction bridge at Thalassery collapsed on 26/08/2020 afternoon. A tragedy was averted as nobody was on the structure or in the river below when the beams fell. It is learnt that the actual reasons behind the accident are yet to be analysed. The bypass construction inaugurated in October 2019. As a Member of Parliament, I had visited the site on 28/08/2020. There are alleged lapses on part side of Contractors and NH officials failed to supervise the construction properly. The accident has created suspicion amongst general public regarding the credibility of the construction. In the circumstances, I request the Hon'ble Minister to order a probe and constitute a high level technical team for proper investigation to find out the actual reasons for the accident.

---

* Treated as laid on the Table.

(ii)Need to extend medical, manpower, management and financial assistance to UT of Puducherry to combat Covid pandemic

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): The Union Territory of Puducherry has reported 17749 Covid positive cases till 07.09.2020 and the number of persons died due to Covid 19 is 337 which is 1.90% and the same is much higher than the national average. The percentage of positive cases is also very high in the order of 30% of the total persons tested that is also much higher than the national average. I am afraid that the death rate is increasing due to various reasons. Now, again due to relaxation in total lockdown there is every possibility of spike in positive cases. The UT Government is making all out efforts within the resources available with them. I urge the Government of India to intervene and extend required medical, manpower, management support and financial assistance to the U.T of Puducherry to combat the Covid pandemic.

(iii) Regarding recent legislations in agricultural sector

SHRI T.N. PRATHAPAN (THRISSUR): The recent legislations by central government on agricultural sector are completely against the will and wish of farmers in India. It is disappointing that the central government is taking side with private- corporate ventures by demolishing traditional farming and trade of products. The bills passed in Lok Sabha aim at agreement farming which will eventually lead to the slavery of farmers under the dominance of corporate companies. The ambiguity about MSP in bills has also raised concerns about the future of millions of farmers in India. This government is allegedly a failure in determining the justifiable M.S.P to the farmers. Now the fear of scrapping MSP is valid. The corporate dominance in agrarian sector would lead to an uncontrollable situation of price hike and will bring a man made famine in near future. The government must repeal these recent legislations on farming, trade of agricultural products and price determination of essential commodities.

(iv) Need to reconsider the construction of a new 8 track road from Salem to Chennai

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI) : Salem-Chennai 8 way green Fast track road will put farmers to a lot of hardships. There are already three national highway connecting Salem to Chennai. NH 48 and NH2 pass from Chennai via Kanchipurani Krishnagiri Dhannapuri to Salem and the distance is 3502.7 kilometres and it is already 6 track NH 48 and NH 18 connects Salem and Chennai and the distance is 331 kilometres and it is a 4 way and two way track, NH 32 to connect, Chennai with Salem via Villupuram and the distance is 334 kilometres. Since there are 3 way tracks connecting Salem & Chennai that is more than enough, it is an unnecessary expenditure to build a new 8 way track road at the cost of 10,000 crores. So the Hon'ble RTH Minister may reconsider.

(v) Regarding according administrative sanction to provide amenities and infrastructure to handicraft workers

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE) : Etikoppaka is a village in my Anakapalli parliament Constituency and mentioned recently by Hon’ble Prime Minister in his “Mann ki Baat Programme”. There are almost 150 families in the art of manufacturing handicrafts with soft wood since 15th century. There is a dire need to strengthen in all aspects their economic development and protect their traditional heritage and also provide platform to expose their skills by holding trade fair and enhance pilgrim tourism and eco tourism so that their skills will be exposed at national and international levels. It is, therefore, urged upon the Hon’ble Minister for Tourism, Govt. of India to accord administrative sanction for Rs. 20.0 Crs. in order to provide amenities and infrastructure to fulfil the above requirements so as to strengthen the diminishing glory of the traditional Indian cultural heritage.

(vi) Regarding grant of reservation to Maratha Community

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को कानून के माध्यम से आरक्षण दिया था, जिसको उच्च न्यायालय द्वारा वैध घोषित किया गया था, लेकिन 9 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कानून पर स्टे लगा दिया गया और कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि वर्ष 2020-21 में होने वाली भर्ती प्रकिया में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। न्यायालय के इस आदेश के कारण मराठा समाज के लोगों को असंतोष होगा, जिनको बहुत वर्षों के संघर्ष और आंदोलन के बाद आरक्षण का अधिकार मिला है, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

मेरा सरकार से आग्रह है कि मराठा समाज को दिए जाने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखा जाए और इस वर्ष लगे रोक को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाये।

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Speaker, Sir, the Congress leaders said that they will pay for all the expenses of the migrant labourers when they undertook the train journey, etc. from Rajasthan to West Bengal. In Rajasthan, there is a Congress Government but the West Bengal Government has to pay Rs.36 lakh. Congress did not pay a single paisa. Sitting here in Delhi, some of the Congress leaders were giving bites. In West Bengal, Congress leaders have not gone to see any migrant labour; they did not render any assistance. They are making big speeches.

16.39 ½ hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION OF CERTAIN PROVISIONS) ORDINANCE , 2020
AND
TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION AND AMENDMENT OF CERTAIN PROVISIONS) BILL, 2020

माननीय अध्यक्ष: आइटम 14 और 15 एक साथ लिए जा रहे हैं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी सांविधिक संकल्प पेश करें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"That this House disapproves of the Taxation and other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (Ordinance No.2 of 2020) promulgated by the President on 31 March, 2020."

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज। बुजुर्ग आप ही हैं, आप मास्क लगा लीजिए।

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for relaxation and amendment of provisions of certain Acts and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 मार्च, 2020 को प्रख्यापित कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों पर छूट) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

और

"कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों को शिथिल करने और उनके संशोधन का उपबंध करने के लिए और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, normally, I used to go to the statutory resolution seeking the disapproval of Ordinance under Article 123(1) of the Constitution as no exigency or emergent extraordinary situations were prevailing. But, here in this Ordinance promulgation, I do have only formal objection regarding the promulgation of Ordinance under Article 123(1).

Yes, Sir, I do agree with the Government and the hon. Minister. The fact that there were certain exigencies and an emergent situation due to the outbreak of Novel Coronavirus, i.e. COVID-19 pandemic that resulted in lockdown. This Ordinance was promulgated on 31st of March, 2020. Relaxation to certain provisions of the Act specified in the Ordinance related to direct taxes and indirect taxes is highly required as there is COVID-19 pandemic and an absolute lockdown was declared by the hon. Prime Minister. The people in the country are not able to comply with the provisions of tax laws due to lockdown. Therefore, some relaxations of extensions for the compliance of various provisions of tax laws are highly essential and, hence, there is a justification in the promulgation of Ordinance. I think that this is the first time in the House, I am justifying the promulgation of an Ordinance because I fully agree with the Government and the hon. Minister that there are certain contingencies, exigencies, and an extraordinary situation prevailing in the country because of the COVID-19 pandemic, whereby the people are not able to comply with the provisions of both direct taxation and indirect taxation laws.

But what is my objection, Sir? I do have a very strong objection to certain provisions in the Ordinance. I would like to highlight it. The Ordinance makes substantive amendments to eight different Acts. It may kindly be noted that eight different Acts being modified means substantial changes took place in eight Acts and one of the major Acts is the Income Tax Act of 1961. Regarding Section 4 of the Ordinance, I would like to explain it as it is dealing with the PMCARES Fund. Sir, yesterday also, during the time of introduction of the Bill, this matter was elaborately discussed by the House. I need not repeat the arguments or nuances raised by my learned friends yesterday. I cannot understand the logic to have a separate fund. We have a similar fund which is Prime Minister National Relief Fund. What is the difference between the Prime Minister National Relief Fund and the PMCARES Fund? Further, this Fund is exempted from the Comptroller & Auditor General which means there is no C&AG auditing for which no reason is stated either in the Bill or in the Ordinance. Why is there no audit by the C&AG? There is nothing mentioned either in the Statement of Objects and Reasons or anywhere. What is the reason by which the Government is evading the C&AG audit? I would like to seek the clarification from the hon. Finance Minister.

Sir, both the Funds have tax exemptions. What is the distinction? The main distinction which I would like to say as per my information is about the donation to PMCARES Fund counting the company's mandatory Corporate Social Responsibility contribution. Suppose a corporate is contributing to the PMCARES Fund, that will be counted as their mandatory Corporate Social

Responsibility contribution. Suppose, at the same time, you are contributing to the Prime Minister National Relief Fund, it will not be counted – this is my knowledge, it is subject to correction – as a mandatory CSR, that is the difference. What is the resulting effect of all this? The companies are getting a double benefit of tax exemption.

That is my strong objection. How is it possible? On the one side you are getting CSR exemption because as per Corporate Social Responsibility Act two per cent of the annual profit has to be spent on fulfilling corporate social responsibility, and on the other you are getting income tax exemption also. So, you are getting a double benefit as far as PM-CARES Fund is concerned and there is no such exemption as far as Prime Minister's National Relief Fund is concerned. This discrimination is illegitimate and there is no logical sense in it. That is the second point which I wanted to make. I submit that donation to Central Government should not be counted as mandatory CSR contribution since Income Tax exemption is already given.

Another point is that the PM-CARES Fund lacks transparency. It is not audited by the Comptroller and Auditor General of India. Further, even Right to Information Act is also not applicable to PM-CARES Fund. I may be corrected if I am wrong. Many petitions have been filed seeking information on the total amount collected so far, the amount distributed so far, the norms and conditions based on which fund is disbursed, etc. For all these queries, the answer people are getting is that the Right to Information Act does not apply to

PM-CARES Fund. So, lack of transparency and accountability is the major issue and I would like to highlight that.

Sir, a recent analysis estimated that at least Rs.9,677.90 crore have been collected in PM-Cares Fund of which Rs.4,308 crore have been donated by Government agencies and Government staff to Railways, many public sector undertakings and also private corporates. Out of this, Rs.3,100 crore has already been given for COVID-19 related work. A letter has been given for Rs.2,000 crore, it is mired in controversy and I am not going into it, and it has become a big case of corruption, a scam, and that is also pending. It is quite unfortunate. The PM-CARES Fund coming into a controversy immediately after its commencement in itself is not a good signal for the fund. That is another point which I would like to make.

Besides that, there is a total lack of transparency over the use of the fund. The allegations of cronyism and favouritism in the spending of the fund are particularly of concern. Further, PM-CARES Fund is opaque regarding the amount of money collected, names of donors, expenditure incurred from the fund so far, names of beneficiaries, etc.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I just started, Sir.

The Prime Minister's National Relief Fund provides information annually on donation and expenditure made out of the fund without giving detailed breakup of numbers. I do accept that there is no detailed breakup given as far as PMNR Fund is concerned but annual report is being given. However, the PM-CARES Fund's trust deed is not available for public scrutiny also. That is quite unfortunate as far as PM-CARES Fund is concerned.

Sir, I am now coming to another provision, Section 8 of the Ordinance.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय सभापति: क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 149 यह कहता है कि सीएंडएजी केवल भारत सरकार के कंसॉलिडेटेड फण्ड या स्टेट के एक्सचेकर का जो पैसा है, केवल उसी की ऑडिट कर सकता है। पीएमकेयर्स फण्ड में न कंसॉलिडेटेड फण्ड से कोई पैसा जा रहा है, न भारत सरकार कोई बजटरी सपोर्ट दे रही है और यह सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। उसके बाद भी अगर इस तरह का डिसकशन पार्लियामेंट में होता है तो हम लोगों की इमेज क्या होगी, इसे आप समझ सकते हैं। यह आर्टिकल 149 का वायलेशन है।

माननीय सभापति : ठीक है, वह रिप्लाई में कवर हो जाएगा।

माननीय सदस्य, आप बोलिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Let the hon. Minister respond to it. That is the main question which we are also asking. When we are having the PMNR Fund, when we are having an auditable, accountable fund which is transparent, what is the need of a special fund named PM-CARES? That is the question which we are asking.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. You have spoken enough.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, now, I will come to Section 8 of the Ordinance. Section 8 of the Ordinance is same as Section 7 of the Bill. Regarding amendment to the Central Goods and Services Tax Act, a new section is incorporated as Section 168A of the CGST Act of 2017, by which the time limit prescribed in the Act can be extended on the recommendations of the GST Council in respect of actions which cannot be completed or complied due to *force majeure*.

Sir, yesterday also, we have explained it. My objection is to Clause 2.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, as per Rule 178, the mover of the Resolution as well as Statutory Resolutions shall not exceed 15 minutes, with the permission of the Chair. Let me conclude please.

Sir, Clause 2 of Section 168A provides retrospective effect to the notification. That is my objection.

HON. CHAIRPERSON: Ten minutes have passed already.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: The Government can evade from its obligation to pay the GST compensation, which is long due. In Kerala State alone, 7,000 crores of rupees are due as GST compensation. I do agree with the Minister that this retrospective effect is being made applicable by the Government of India with the approval of the GST Council. But even then, there is a provision which is not there in the GST Constitution, which is not there in the CGST Bill. But a new provision is incorporated, thereby, GST compensation can be taken away with the permission of the GST Council with retrospective effect for which I have also strong objection.

Hence, I oppose the Bill and also move the Statutory Resolution. Thank you very much, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a Point of Order. I will take only one minute. I have given a notice on Point of Order.

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

PROF. SOUGATA RAY: I will be very brief.

Sir, my Point of Order is under Rule 71. Rule 71 mentions the rule for laying of ordinances. The Ordinance then is transformed into the Bill. Yesterday, the Ordinance was presented and then the Bill was presented. But read the Ordinance. The name of the Ordinance is Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020. Now, read the Bill. The Bill

says the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020. ये दोनों अलग हैं।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने अपनी बात कह दी है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, एक बिल है और एक अलग आर्डिनेंस है, यह कैसे हो सकता है?

HON. CHAIRPERSON: You are one of the most learned MPs. नियम 71(1) के तहत यह आवश्यक नहीं है कि विधेयक तथा अध्यादेश बिलकुल एक जैसे हों। विधेयक में ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं, जो अध्यादेश में नहीं हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1 अप्रैल, 2020 से 15 सितम्बर, 2020 तक 1,06,000 करोड़ रुपये टैक्सपेयर्स के रिफंड के पैसे इतने खराब समय में रिफंड किए। पहले स्थिति यह होती थी कि जैसे ही बजट का समय आता था, सारे रिफंड रोक दिए जाते थे और केवल रेवेन्यु बढ़ाने के टार्गेट में पूरा विभाग, पूरी सरकार लग जाती थी। ऐसी खराब परिस्थिति में, जबकि सरकार के रेवेन्यु रिसोर्सेज सिकुड़ रहे हैं, ऐसे समय में भी टैक्सपेयर का पैसा, और जो रिफंड का उनका हक था, 1 अप्रैल, 2020 से 15 सितम्बर, 2020 तक एक लाख छ: हजार करोड़ रुपया रिफंड का पैसा वापस किया गया। लगभग 30 टैक्स पेयर्स को रिफंड किया गया है, ताकि इस खराब परिस्थिति में वह उनको काम आ सके। इसके लिए मैं सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, फाइनैंस बिल, 2020 पर 23 मार्च को डिटेल में डिस्कशन होने वाला था, परंतु स्थितियां अनुकूल नहीं होने की वजह से, और चूंकि संसद की कार्यवाही समय पर स्थगित होनी थी, इसलिए उस बिल को सभी दलों की सहमति से बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया। उसमें से प्रावधान, अलग-अलग सरकार के मन की इच्छा थी कि टैक्स पेयर्स बढ़ें, करदाताओं को सुविधा मिले, ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान मिले और उनका अननेसेसरी हरैस्मेंट नहीं हो। ऐसे अलग-अलग तरह के प्रावधान हुए थे। मैं कुछ प्रावधानों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि उस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था, इसीलिए बड़े-बड़े एसएमई की तरफ सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान था। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी तीन लाख करोड़ रुपये की सहायता एमएसएमई को बिना गारंटी देने की बात की गई है। एमएसएमई, जिसका कैश ट्रांजैक्शन लेने और देने में पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो टैक्स ऑडिट में जहां एक करोड़ रुपये की जनरल लिमिट है, जिसका भी एक करोड़ रुपये से ज्यादा व्यवसाय हो, उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन एमएसएमई को एक करोड़ रुपये की

जगह पांच करोड़ रुपये की छूट दी गई है। शर्त यही थी कि उसका कैश ट्रांजैक्शन यानी टोटल रिसिव का पांच प्रतिशत से ज्यादा कैश नहीं हो सकता है, यानी टोटल पेमेंट का पांच प्रतिशत से ज्यादा कैश नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ी रिलीफ उनको इससे मिली है। एमएसएमई काफी रोजगार देती है।

माननीय सभापति महोदय, उस बिल में डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स हटाया गया है। एक कंपनी कुछ पैसा कमाती है और वह उस पर टैक्स देती है। टैक्स के बाद उस कंपनी के शेयर होल्डर्स उससे उम्मीद करते हैं कि हमें भी कुछ डिविडेंट मिले, तो वह डिविडेंट की घोषणा करती है। उससे पहले वह डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स भी देती है। तीसरा, जब शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंट पहुंचता है, तो उस पर भी टैक्स लगता है। एक ही इनकम पर तीन जगह टैक्स लग रहा है। पिछला जो फाइनैंस बिल, 2020 था, उसमें डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स की समाप्ति हुई। उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशंस फाइनैंस अमेंडमेंट, 2019, फाइनैंशियल अमेंडमेंट जो दो नम्बर था, उसमें कंपनीज को दिए गए थे। प्राइवेट कंपनीज को असेसमेंट के अंदर टैक्स लायबिलिटीज 22 प्रतिशत की गई, परंतु उस समय कोऑपरेटिव सोसायटी को यह नहीं दी गई। यह सुविधा उन कोऑपरेटिव सोसायटीज को फाइनैंशियल बिल, 2020 में दी गई।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो ईमानदारी से टैक्स नहीं देते थे, वे उसमें कुछ न कुछ हेराफेरी करते थे, उनके लिए भी वर्ष 2020 में कुछ नियम बनाए गए। सबसे बड़ा यह है कि एक रेजिडेंट इनकम टैक्स असेसी का जो स्टेटस होता है, उसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो भारत का नागरिक है और वह नागरिक वर्तमान परिभाषा के हिसाब से रेजिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन जिन देशों में टैक्स नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, वहां का रेजिडेंट बन कर कुछ अर्निंग करता है और कहीं पर भी टैक्स नहीं देता है। अगर वह भारतीय नागरिक है, अगर वह कहीं भी टैक्स नहीं देता है, तो भारतीय इनकम टैक्स के हिसाब से उनको भारत में रेजिडेंट माना गया है।

17.00 hrs

इस प्रावधान का लोगों द्वारा बहुत ही मिसयूज़ किया जा रहा था, उसे रोका गया। इसके साथ ही साथ एक और पेनाल्टी शुरू की गई। बहुत से लोग व्यवसाय में बोगस बिलों के द्वारा जीएसटी का फायदा लेते थे। जिसमें माल नहीं आता था और बोगस बिल बनाकर उसका पेमेंट बनाकर इनकम टैक्स में क्लेम कर देते थे। ऐसे बोगस इनवॉयसेज़ मिलने पर इनकम टैक्स में प्रावधान किया गया कि जितनी उसकी रकम है, उस राशि के बराबर उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, ताकि जो इनकम टैक्स पेयर्स ईमानदार नहीं हैं, उन्हें सजा दी सके।

माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए और जो कर चोर हैं, वे किसी भी तरह से बचने नहीं चाहिए। इसके लिए बिल में एक प्रावधान और किया गया था। वह प्रावधान सेक्शन 119 ए के द्वारा फाइनेंस बिल में जोड़ा गया और इसके अनुसार प्रावधान यह था कि सरकार टैक्स पेयर चार्टर बना सकती है। टैक्स पेयर्स चार्टर मतलब यह कि टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां तय की गईं। सरकार ने कानून बना दिया और बोर्ड को डायरेक्शन और पावर दे दिया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 13 अगस्त को टैक्स पेयर्स चार्टर रिलीज किया था। यह टैक्स पेयर्स चार्टर क्या है? इस चार्टर में अथॉरिटी को टैक्स पेयर्स के प्रति कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहला, यह कि कर दाताओं के साथ उचित व्यवहार करना।

माननीय सभापति, मैं वर्ष 1972-73 से टैक्स दे रहा हूं। मुझे इनकम टैक्स का एसेसी होते हुए 48 वर्ष हो गए हैं। मैं उस समय शाहपुरा कस्बे में रहता था। वहां की ऐसी हालत थी कि अगर कोई इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बाजार में आ जाए, क्योंकि वहां इनकम टैक्स ऑफिस नहीं होता था, वह जिले से आते थे। उनके आने से कस्बे की आधी दुकानें उसके डर से बंद हो जाती थीं। हमने यह स्थिति भी देखी है। पिछले छह साल से ईमानदारी से कर देने वालों के लिए इस सरकार ने जो काम किया है, वह बहुत सराहनीय है। मैं इस पर बधाई देता हूं। टैक्स पेयर्स का चार्टर कहता है कि करदाता के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। दूसरा, आम जनता की ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए, यानी कि अगर ईमानदार करदाता ने कुछ सबमिट किया है, तो उसे मानना चाहिए। इसके पहले स्थिति यह थी कि करदाता तो ईमानदार हो ही नहीं सकता है। सरकार भी यही मानती थी और एक्जीक्यूटिव कहते थे कि कोई ईमानदार करदाता नहीं है। ईमानदार करदाता किसी की गलत मांग को पूरी नहीं करता था, इसलिए उसे बहुत हैरेस किया जाता था। गलत करदाताओं को और प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन इस चार्टर से ईमानदार करदाता पर विश्वास किया जाएगा।

तीसरी सुविधा यह दी गई कि अगर कोई असेसमेंट हो गया, तो उसकी समीक्षा की जा सकेगी। पहले अधिकारी समीक्षा करता था, लेकिन अब उसके ऊपर का अधिकारी उसकी समीक्षा करेगा। इसके अलावा अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि कानून की सटीक जानकारी टैक्स पेयर्स को उपलब्ध कराई जाए। यह नहीं कि अपने हिसाब से लिख कर दे दें।

पहले तो कैसे भी हो, कुछ ने 144 में किया, एक रेट से सारा जोड़ दिया या 143 में किया, बुक्स ऑफ एकाउंट्स को रिजेक्ट किया और अपने हिसाब से परसेंटेज लेकर उसमें कर दिया। इसमें इतती गड़बड़ी होती थी कि बेचारा करदाता लास्ट में यही सोचता था कि अगर मैं टैक्स नहीं देता या रिटर्न नहीं भरता, तो ज्यादा ठीक रहता। यह हरैसमेंट होता है।

इसके अलावा टैक्स अथॉरिटी पर यह भी जिम्मेदारी दी गई कि वह जो भी फैसले ले, बिल्कुल समय पर ले, यह चार्टर के अन्दर है। यह नहीं कि आज की है और वह फाइल पड़ी रह गयी, फिर किधर गायब हो गई, मालूम ही नहीं पड़ा। जो भी समय फिक्स है, उसमें उनको फैसले लेने हैं। करदाताओं के द्वारा जो भी सब्मिट किया जाता है, उसकी गोपनीयता रखना। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : महोदय, अभी तो शुरू किया हूँ। मैं पार्टी का पहला वक्ता हूँ।

माननीय सभापति: आज दो बिल पास करने हैं। यह आज का एजेंडा है।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: मैं शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं पार्टी का पहला वक्ता हूँ, मैं वैसे भी बोलने में कमजोर हूँ। अगर मेरे बोलने के बीच में डिसटर्बेंस हो जाती है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ।

माननीय सभापति: ठीक है। आप शॉर्ट में समेट लीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: करदाता की जो डिटेल्स दी जाती है, उसकी गोपनीयता बनाए रखना और जो अधिकारी गलत करते हैं, उनकी जवाबदेही तय करना, ये सारी बातें टैक्स पेयर्स चार्टर में हैं। उसमें टैक्स पेयर्स की भी कुछ जिम्मेदारी तय की गई है। टैक्स पेयर्स चार्टर में यह अधिकार भी दिया गया है कि वह शिकायत कर सकता है ताकि टैक्स पेयर्स को न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो सके और टैक्स कंपलायंस की कॉस्ट कम-से-कम हो, यह चार्टर में है। उसमें कुछ और अमेंड हो सकता है। इसके साथ-साथ टैक्स पेयर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ईमानदारी से, जितना टैक्स बनता है, वह चुकाए और देश के विकास में काम करे।

सभापति महोदय, इस बिल में जो प्रावधान लाए गए हैं, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने 13 अगस्त को फेसलेस असेसमेंट लागू की। जिसमें न तो

टैक्स पेयर को मालूम है कि उसका असेसमेंट कौन कर रहा है और न ही अथॉरिटी को मालूम है कि वह किसका असेसमेंट कर रहा है। मतलब उसमें कम्पनी का नाम तो होगा, लेकिन उसको यह मालूम नहीं होगा कि वह कहाँ है, क्या है। यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है।

जहाँ तक डिजिटल सिस्टम, टेक्निकल ड्राइव सिस्टम की बात है, मैं आपको इसके बारे में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता की एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 23 साल पहले जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों का एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था। मैं भी उसमें सांसद के रूप में एक प्रतिभागी था। उसमें माननीय मोदी जी पातें प्रदान करने आए थे। उस समय उनके हाथों में लैपटॉप था। यह मैं आज से 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उनके हाथों में लैपटॉप था। उस समय उन्होंने भाषण में बोला कि आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि जिसको कम्प्यूटर चलाना नहीं आता है, वह पीछे रह जाएगा । आज वही स्थिति है । हमारे प्रधानमंत्री जी की यह दूरदर्शिता है। हमको भी पार्लियामेंट की तरफ से डेस्कटॉप कम्प्यूटर मिला था, लेकिन वह केवल दिखाने और सजाने के लिए था क्योंकि हमको चलाना नहीं आता था। जब हमारा पी.ए. आता था, तो वह उससे लेटर वगैरह का प्रिंट निकाल लेता था। प्रधानमंत्री जी की यही सोच टैक्स पेयर्स चार्टर में है। इस बिल में जो फेसलेस असेसमेंट का प्रावधान है, उसमें पूरी डिटेल्स…(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : अभी तो इसमें इनकम टैक्स की बात है, इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ी बात डेट्स की है क्योंकि कोरोना के कारण किसी भी चीज में यह समय पर नहीं हो सके । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको जो भी बोलना है, आप जल्दी से उसके पॉइंट्स बोल दीजिए, इलैबोरेट मत कीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: सभापति जी, अभी तो मुझे बोलते हुए केवल दस मिनट ही हुए हैं। मैं अपनी पार्टी का पहला स्पीकर हूँ। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको पंद्रह मिनट हो गए हैं।

…(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : सर, मुझे अभी दस मिनट हुए हैं, इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए। जिस करदाता को इन्वेस्टमेंट करना है, वह उस फाइनेंशियल ईयर की मार्च के लास्ट वीक में करता है, लेकिन मार्च के लास्ट वीक में लॉकडाउन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट, भले ही वह कैपिटल गेन का हो, भले ही चैप्टर-6 80 (सी) के डिडक्शन का हो, वह करने के लिए यह डेट एक्सटेंड की है, उसकी तारीख 31 जुलाई तक की थी। इससे करदाता को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है।

इसके साथ-साथ 'विश्वास स्कीम' की तारीख पहले 30 जून दी हुई थी। आज इनकम टैक्स के लगभग पांच लाख केसेज़ की अलग-अलग अपीलों में 11 लाख करोड़ रुपये है, जो अपीलों में अटकी हुई है। इसके समाधान के लिए जो स्कीम लाए हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 जून थी, उसको 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया है, ताकि जो भी कोरोना के कारण इस स्कीम में नहीं आ सके, वे इसमें आ जाएं।

17.11 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

अब मैं आपसे जीएसटी के ऊपर बात करता हूं। जीएसटी एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो अलग-अलग कानूनों में जो अलग-अलग डेट्स हैं, सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह उन डेट्स को एक्सटेंड कर सके। मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात रखना चाहता हूं। जीएसटी में जो दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: सुभाष जी, अब आप कनक्लूड कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: माननीय सभापति महोदय, मैं पार्टी का पहला स्पीकर हूं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप पहले स्पीकर हैं और बहुत बढ़िया भी बोल रहे हैं। आप सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं, लेकिन समय की पाबंदी है और कई मेंबर्स अभी बोलेंगे। यह आपका सब्जेक्ट है, आप जितनी गहराई से बोल रहे हैं, शायद और कोई नहीं बोल पाएगा। इसलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दो मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: माननीय सभापति महोदय, मैं बस खत्म कर रहा हूं। 14 मार्च की जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि जीएसटी पेयबल जो केस में है, उसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा और जो जीएसटी पेयबल आईटीसी के मार्फत डेबिट होना है, उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, वह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जब से लागू हुआ है, तब से किया जाएगा। यह जीएसटी काउंसिल ने निर्णय किया है। इसका नोटिफिकेशन बाद में आया था, बीच के पीरियड में आज जो सारे करदाता हैं, वे काफी असमंजस में हैं। इसको क्लियर किया जाए।

मैं जीएसटी का दूसरा विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सारे निर्णय जीएसटी काउंसिल ही करती है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जीएसटी काउंसिल ने ही जीएसटी और सीजीएसटी कानून बनाया और कानून के बाद रूल्स बने। ये रूल्स कानून को क्रॉस नहीं कर सकते, यह जनरल बात है, लेकिन सीजीएसटी में रूल्स कानून को क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको इसका उदाहरण, एक लास्ट बात रख रहा हूं। इनवर्टिड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आईटीसी का रिफंड होता है। सीजीएसटी का सेक्शन-54(3) यह कहता है कि जो भी आईटीसी क्रेडिट है, वह रिफंड के लिए एलिजेबल है, परंतु रूल्स के अंदर जो प्रोविज़न किया गया, रूल-89(5) में सर्विस टैक्स

की आईटीसी को अलग कर दिया गया। इस तरह रूल्स आज एक्ट को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए, इसमें करेक्शन किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, today I rise in opposition to the Tax and other laws (Amendment) Bill, 2020. I, as a public representative of the people, express my dissent on the amendment to the Income tax Act 1961 Chapter III of the said Act.

The issue of contention here is amendment to Section 86(g) of the Act. To begin with, I am duty-bound to remind the Treasury Benches of the constitutional principles outlined in article 74 (i) which states and I quote:

> "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advice. The President shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice."

Each word in this article has significance, 'there shall be a Council of Ministers'. The Prime Minister is the head to aid and advice the President who shall work in accordance with such advice. This means all the businesses done by the Government or the Prime Minister is under the name of the President of India. Every act of the Government; every act of the Prime Minister is accountable in the name of the President. Any fund taken from the public by the Government, or a Minister or the Prime Minister is under the warrant and seal of the hon. President. It is the name of the hon. President that is accountable to this august House for every transaction made. That is how

democracy functions and rules of law work in a parliamentary system. Yet, some people in this House did not read the basic principles of our parliamentary system. In simple words, if you take money in the name of the hon. Prime Minister, you will have to tell the Parliament about how and where the money has been spent. What is there to hide? This fund is not meant for Defence purposes or for purposes of any classified national interest for which the Government can hide behind a `secrecy clause'. For a Prime Minister who likes to talk so much, it is unbelievable that he is silent on an issue of transparency of the PM CARES Fund.

The hon. Prime Minister, Shri Modi, on 6th March, 2018 tweeted, `transparency and accountability are two vitals in a democracy'. Why is he backtracking on his promise like his every other promises of putting Rs. 15 lakh in the bank account of every Indian; generating 2 crore jobs every year, double digit growth and all such *jumlas?* What was the output? Was buying 10,000 faulty ventilators justified? The money was wasted. The Government is hiding its failure behind the excuse that it was a private Trust and so the Government will not answer where the money was spent. Can a Chief Minister of a State do the same thing? The whole fund and its functioning are marked with corruption and crony capitalism. The Government says it is a private Trust. My question to the Government is this. Who is running this country – is it an elected Government by the people or a charitable private Trust of investors and corporate funders of the ruling party? What was the need of a private Trust?

The biggest joke in this Fund is that the Trustees are the Ministers and the Parliamentarians. Being so, they occupy positions in a private Trust whose working is not public. So, will this account for a breach of privilege? There will be conflict of interests of those Trustees who are performing Government roles in private Trusts. Why is there no Defence Trust; Parliament Trust; Bureaucracy Trust; a Government Trust which will run all the interests of the corporates so that at least we shamelessly accept in open that it is the corporates who are running this country and not Modi ji's Cabinet?

Why am I saying so? It is because look at the tax exemption given by Government under Section 80(g) to companies and individuals. In common man's language it means that any best friend of Modi ji and the ruling party can make a donation to the PM CARES Fund and get income tax exemption and no questions will be asked. All the *…* *can utilise the fund in whichever way they want. This is institutionalisation of corruption where you take money in the name of public service and no agency or officer can ask any questions and approval is given automatically. This amendment specifically removes the powers of the officials to question any dubious practice. Just like demonetisation *…* * is helping black money to become white, of *…** corporate friends. Even C&AG is not allowed to audit the fund. The Government has appointed an independent auditor without any advertisement for an interview.

---

* Not recorded.

The Government did direct appointment without consultation. But who is this independent auditor? What is his relation to the BJP party and its leaders? With whom is he seen in many programmes? Many say that the auditor …[*].. who was appointed by the Government, is a known friend of the Ministers. Some say that they have partnership with the Ministers.

HON. CHAIRPERSON : Manickam Ji, do not mention the names. The names will be deleted.

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Why was a person with such conflict of interest appointed as an independent auditor? The Government will never tell the truth as their motive is clearly shown by their conduct. PM-CARES Fund is BJP COVID-19 Rescue Fund.

An important aspect on foreign funding was mentioned by the hon. Minister yesterday. The Minister failed to mention that this amendment will allow Government to bypass all safeguards under FEMA or any Indian laws as the Government wants to give a clean chit to all donations made under this Act to PM-CARES. The Government is free to make money from anyone including any business people in the name of COVID relief. From the motives of the Government, it is clear that the Government wants to sell this country's interest to its best friends in corporates. The AA batteries, who are running the BJP Government seems to benefit the most out of these relaxation in norms. Take the example of privatisation of airports;, take the example of privatisation

[*] Not recorded.

of ports, take the example of privatisation of telecom, take the example of privatisation of services; everything is done by this Government to benefit only two corporate friends of our …*... In return, they deposit money in PM-CARES.

Since the hon. Finance Minister is well versed with the Thirukkural, therefore, I would like to quote Thiruvalluvar, who was a great poet of Tamil literature. He said:

“pazhudhennum mandhiriyin pakkadhadhul thevvor
ezhupadhu koti urum”

It means that it is far better to have 70 crores of enemies than a Minister at her side who intends to ruin.

Thank you so much.

HON. CHAIRPERSON: Thiruvalluvar is the doyen of Tamil literature.

---

* Not recorded.

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Sir, thank you for giving me an opportunity to express my views on the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

This Bill is about extending deadlines fixed under various tax laws due to COVID-19 pandemic problems.

Regarding donations to PM-CARES Fund, the IT Act allows persons to lower their taxable income by availing certain deductions specified in the Act. Deductions can also be claimed against the donations made to certain funds and charitable institutions. The Act amends the IT Act to provide that donations made by a person to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, that is PM-CARES Fund, will be eligible for 100 per cent deduction. This implies that an amount equivalent to the donations made by a person to the Fund can be deducted from his income while calculating his total income under the IT Act.

Under the existing CSR responsibilities, a company which undertakes development in any locality has to set apart 10 per cent of project cost to utilize it towards corporate responsibilities for the locals affected by the project. This includes job opportunities/drinking water supply, development of locality, planting trees etc. The CSR responsibilities are now amended in company law to include donation to PM-CARES Fund. Thus, 10 per cent of the project cost is hijacked by PM-CARES Fund instead of the company spending it on the locality. Now, by encouraging tax exemption to donate to PM-CARES, all

companies will be interested in donation to PM-CARES Fund rather than investing in localities and it will lead to unemployment of locals.

The PM CARES Fund is now clearly a private trust with the Prime Minister and few Ministers as Trustees. Can the Parliament exercise its power under Article 265 to grant exemption from tax to the said private trust particularly when its spending is not under Parliamentary oversight? Recently, they have said that the Trust is not amenable to the Parliamentary Standing Committee on Finance.

Sir, I want to know through you whether any representation was received from the Trustees of the PM CARES Fund for such exemption. When the Bill seeks to ratify the money already collected by PM CARES, I want to know whether the details of money collected will also be tabled before this House.

The Objects and Reasons of the Bill mentions representation from stakeholders. The gist of these representations has not been placed before the House for the Members to assess whether the amendments are in tune with what the nation has asked.

You have made everything online and faceless but the necessary infrastructure has not been put in place. For example, when a company amalgamates, all assessments should be made on the new amalgamated entity. However, there is no functioning software which allows this migration. This means after amalgamation everything has to be manually registered. So,

I would urge the hon. Minister to update the software and create the digital infrastructure to perform these functions.

You are suggesting faceless hearings before the Assessment Officers and Commissioner appeals but such hearings require a lot of reference work to pages, etc. The hon. Minister should consider putting in place a virtual court system for these hearings because otherwise, the assessees will be driven to courts to say that they were not given proper hearing.

You have reduced the TDS from 10 to 7.5 per cent for the tax payer but the rate of tax itself has not been reduced to give some relief in these testing times. Essentially that means that the assessee will have to bear the brunt of it in the next year. The hon. Finance Minister may consider reducing the tax rate to give some relief to the assessees or masses.

On *Vivad se Vishwas*, appeals are pending before the High Court and Supreme Court where writ petition (SLP) has been filed against order passed under Section 245 (d) of the IT Act. The same is pending as on 31.1.2020. Can the assessee opt for it? A clarification may be given to the Departments and relief may be given to tax payers whose cases are pending before the Appellate Court. Thank you.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, I symbolically stand to oppose the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020 on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress.

This Bill is deeply problematic because it further weakens the rights and resources available to the States by taking away the statutory promises made under the new GST regime and on the other hand, it corners public funds for PM CARES to the direct detriment of State Relief Funds.

Sir, Clause 7 of the Bill seeks to amend the Central Goods and Services Act of 2017 allowing the Government to extend the time limit for completion of actions under the Act in events of force majeure such as an epidemic with retrospective effect. This will permit the Government to retrospectively validate its failure and extend the time limit indefinitely while disbursing compensation to States.

Does the hon. Finance Minister conveniently forget that GST was only made possible because the States ceded almost all their powers to levy local level indirect taxes? The underlying promise made to the States while accepting this was that revenue shortfalls arising from the transition to GST would be made good from a pooled GST Compensation Fund for a period of five years ending in 2022. This corpus was to be funded by a compensation cess levied on so called ‘demerit goods’. The mechanism for this is spelt out in Section 7 of the GST Act, 2017 which you now seek to destroy.

This quantification was to be done annually by projecting a revenue assumption on 14 per cent compounded growth on the revenue of the base year, 2015-16 and calculating the difference between that and the actual GST collection of any particular year. Applying this formula for the year 2020-21, the anticipated shortfall is Rs. 3 lakh crore. The compensation pool, however, has only Rs. 65,000 crore but the Centre cannot shy away from its responsibility and must cover the shortfall of Rs. 2.35 lakh crore by borrowing. I ask myself, in such a situation, a question. Is incompetence force majeure? Is criminal negligence force majeure?

The second insidious objective of this Bill is to give a blanket clearance with no accountability whatsoever to the PM CARES Fund. The origin of the PM CARES Fund is steeped in non-transparency, and is inherently discriminatory in nature. I was among the first citizens to petition the Supreme Court of India against the discriminatory nature of this fund. But the Bench, in its wisdom, while not dismissing my petition on merits, asked me to bring it up in Parliament. So here I am, moving from the corridors of judicial review to the *Janata ki Adalat*.

The Government issued a circular on March 28, 2020, notifying that all contributions to the PM CARES Fund qualify this eligible CSR contribution under Item 8, Schedule VII of the Companies Act. But it also disqualified contributions made to the State Relief Funds from being treated as valid CSR activities. But this was earlier expressively permissible under Schedule VII of

the Act of 2013. So unfair treatment of identical contributions to the PM CARES Fund and to the State Relief Funds is against public interest and against public policy. It completely disincentivizes corporate contributions which the State Governments would otherwise have got. It creates an unfair, unjust and discriminatory distinction against the State and Chief Minister's Relief Funds in favour of the PM CARES Fund.

The hon. Minister, while introducing the Bill yesterday, read out a long list of school children and pensioners who had apparently readily and happily given away their meagre savings to the PM CARES Fund but the hon. Minister was strangely silent on the 38 PSUs that have donated more than Rs. 2100 crore to the Fund. Almost 70% of the funds' corpus comes from the 38 PSU donations. These are public sector undertakings, and share capital subscribed to by the Government of India out of public money. Without an audit, the conflict of interest is writ large for anyone to see. I hope, you remember that the Prime Minister's Office, in response to an application seeking disclosure of the incorporating documents of this trust, had said that this is not a public authority; hence, it is not open to RTI. But the very legislative intent behind Section 135 of the Companies Act was to encourage companies to use CSR funds for local welfare activities for local communities in areas of operation. But the PM CARES Fund diverts those very funds away from local communities into this dark hole where not even a speck of light can enter.

Coal India has committed Rs. 221 crore to the Fund while it cannot contribute to the State Relief Funds of Bengal and Jharkhand where it has 90% of its operations. ONGC has mentioned that it has offered funds from its CSR budget for the year, even though the allocation is not yet determined. The Power Finance Corporation contributed Rs. 200 crore to the PM CARES Fund, even though its entire CSR allocation is only Rs. 150 crore. It is almost like the courtiers of the Emperor competing with each other to give gifts to the Emperor with public funds. If these improprieties were not enough, then please consider the massive donations made by Chinese companies. This is horrific. Xiaomi, a Chinese company accused of snooping on people gave Rs. 10 crore. TikTok, which was currently banned by this Government only a few weeks ago, gave Rs. 30 crore. Huawei, which is banned all around the world for its well-documented links to the Chinese Army gave Rs. 10 crore. Why did you take this money from our enemies? Why do you not return this tainted money? I am sure, no dying Indian would want to be on a ventilator paid for by the enemy money at this time. I ask you; would they?

You say you have put Rs. 2,000 crore towards the purchase of 50,000 ventilators. Please lay on the Table of this House how many ventilators have been physically delivered to which hospitals and to which States. Also tell us the manner of procurement. The way airwaves and the way Airports are sold in this country to crony capitalists, I hope this procurement was not done via those same individuals. This is a question that we need to ask. The dangers of these unverified foreign donations are amplified by the fact that the PM

CARES Fund is exempted from FCRA regulations, even though it does not meet the pre-condition of a body whose funds are audited by the C&AG. You are bringing the PM CARES Fund under the ambit of the same clause that governs the Prime Minister's National Relief Fund, the existing fund. What is the need to institute a new fund when one exists? Prime Ministers will come and go but the existence of a fund is not up for discussion. What is the need to name everything after one individual? We need to remind this Government that this is a democracy; it is not an elected autocracy. …(*Interruptions*)

First you are raising funds on the basis of public office. The very name – the Prime Minister's Fund – makes people think that this is a Government authority. So, by saying it is not open to RTI, you are running away from the spirit of transparency you claim to be wedded to.

Second, Cabinet Ministers are trustees administering the funds. So, you are impermissibly expanding the scope of your Ministerial Office in excess of the mandate determined by the Constitution.

Thirdly, you are commandeering resources and donations are done by default. A circular issued on 17th April by the Department of Revenue under the Ministry of Finance told every officer and staff of the Government of India to contribute one day’s salary till March, 2021 to the PM CARES Fund. This would be deducted from their salaries. If they wish to not donate, they should put this in writing. Tell me in this atmosphere of fear and vengeance currently

prevalent in this country, which bureaucrat, which public officer will say that they do not wish to donate?

Sir, I have only a few minutes left, and so, bear with my bluntness. To this Government, I say stop lying to us all the time about growth rates, about migrant welfare, about expenditure and the laughable delusion that the PM Cares. Please stop marketing Rs. 20,000 crore packages as relief measures when in truth it comprises money already spent and money to be given as loans, and imaginary money that will never reach the people that it is supposed to. Stop cheating the State Governments of their dues, made through a constitutional promise, stop wasting funds on vanity projects when the State Governments who actually make a difference in people's lives are deprived time and again.

So, I end by saying that today's India reminds me of Hans Christian Anderson's story, the Emperor's New Clothes, where the emperor was cloaked in nothing, yet his sycophantic courtiers could not tell him so. The Bengali poet Nirendranath Chakravorty in his poem Ulongo Raja said that only one little innocent boy in the entire kingdom had the courage to stand up and ask the naked emperor, 'Raja, *tor Kaapor Koi*? Today, I ask the same question, Emperor, where are your clothes.

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (SATARA): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

Firstly, with regard to GST compensation to States, in response to an Unstarred Question No. 212 on 14th September, 2020 on GST Shortfall, the Centre has admitted that GST compensation to the States for the period from April to July, 2020 is yet to be paid. States are now given an option to borrow or raise money from the market, which will be repaid later by the Centre. But even to plan the borrowing from the market, the States need to know the timeline as to when they can expect to get the pending GST compensation.

Secondly, with regard to non-utilisation of revenues collected from Cess, according to a Report of C&AG, over Rs. 2.18 lakh crore collected by the Central Government as cess for specific purposes such as education, sanitation, infrastructure have either not been transferred to dedicated funds or remain unutilised. The revenue collected from all these cesses is being retained in the Consolidated Fund of India without transfer to their respective funds. Can the Centre release this unutilised cess to the States who are waiting for their GST compensation?

Thirdly, as far as early resolution of tax disputes to free the locked-up funds is concerned, in response to an Unstarred Question No. 1228 on 10th February, 2020, it was informed that more than Rs. 4.15 lakh crore is locked up in indirect tax related disputes at various levels like Adjudication, Appeals,

Tribunals, High Courts and the Supreme Court. Past Surveys show that the success rate of the tax department in tax cases at all levels is less than 35 per cent. As noted by the C&AG, the reason for this low success rate is errors by the Assessing Officers in their assessment of tax. Given the revenue crunch in the economy, measures need to be taken to resolve these disputes early and release the funds thus received to the States.

With regard to capital infusion by the Central Government into the unorganised sector, I would like to say that while relaxation of tax norms may help the organised sector, there is a greater need to provide incentives and boost to the unorganised sector. The concessions granted in the Bill to the corporate sector and foreign portfolio investors may cost the Government its revenue.

Instead, there is a need to divert the funds to welfare measures like investment in employment of workers from unorganised sectors like migrant workers, construction workers etc.

Fifthly, coming to the PM CARES Fund, the Bill proposes to provide for tax relief to those contributing to the PM CARES Fund. Citizens and organisations, who donate to this Fund, have the right to know how the money they donated is being spent. Hence, there is a need for more transparency in its operations.

Sir, I would, therefore, request that my suggestions may be considered while passing this Bill.

Thank you for giving me this opportunity. With these words I conclude. Jai Hind.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, we are presently living in the COVID-19 era. Submission of returns and GST related kinds of things may be very essential during this period. But as correctly pointed out by my learned friends, with regard to donations to the PM CARES Fund, giving 100 per cent exemption to the donors is not at all acceptable because it may create room for misuse.

Of course, ease of doing business related laws can be encouraged, and that may be the need of the hour also. But at the same time, it should not be an escape route for the tax payers and the Government to use the public money according to their will and pleasure. So, because of this particular reason, I oppose this Bill.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Hon. Chairman, Sir, I support the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

The provisions of Direct Tax, Indirect Tax and Benami Laws provide for the tax payers to comply, and the authorities to act within certain time limits and also provide for levy of interest on delayed payments. The outbreak of novel Coronavirus (COVID-19), declared as a pandemic by the WHO and the Government of India, necessitated ensuring immediate social distancing. As the Parliament not being in Session, in order to provide immediate relief, the legislative amendments were made through promulgation of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020. This Ordinance *inter alia* extended time limits for various compliances and actions, and also provided for reduced rate of interest for late payments under Direct Tax, Indirect Tax and Benami Laws. On 24th June, 2020 and 29th July, 2020, notifications were also issued under the Ordinance for further extending certain time limits.

The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendments of Certain Provisions) Bill, 2020 seeks to replace the said Ordinance. In view of the representations received from the stakeholders after the enactment of the Finance Act, 2020, and due to the need for further rationalisation of some provisions of certain Acts, further amendments are proposed in the said Bill replacing the Ordinances. These amendments, in brief, are as under:

One is, incentive for IFSC. Foreign funds generally invest in the Indian securities market by locating their business in offshore jurisdictions due to availability of various income tax concessions/exemptions. It is proposed to provide income tax concessions/exemptions to these funds as available to them in the offshore locations.

Second is, inclusion of faceless assessment in the Income Tax Act: In order to bring accountability and transparency in the income tax assessment process, the hon. Prime Minister has launched 'Faceless Income Tax Assessment'. Currently, the faceless assessment is done under a scheme notified under the Income Tax Act. In order to provide statutory basis to the faceless assessment and to avoid future litigation, it is proposed to include the provisions relating to faceless assessment in the Income Tax Act.

The assessment will be treated as *non-est* if not completed in faceless manner. In order to ensure that the assessment is completed by only authorised officer, CBDT has issued a Circular to provide that any Assessment Order, which is required to be passed under the Faceless Assessment Scheme, shall be *non-est* if it is passed by any other officer. It is proposed to incorporate similar declaration in the faceless assessment provision proposed to be incorporated in the Act.

As far as scheme for other faceless functions is concerned, apart from assessment, a taxpayer has to approach the Income Tax Department for various other functions like rectification, verification, lower deduction of tax, revision, valuation, transfer pricing of audit, etc. These functions are currently

performed manually and are done by the officer having jurisdiction over the taxpayer. In order to bring accountability and transparency in the non-assessment process, it is proposed to empower the Central Government to notify Schemes for completing these functions in a faceless and jurisdiction-less manner.

<u>17.46 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

About incentive to ADIA, the Finance Act, 2020 provided exemption to wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) which invests funds of UAE Government. As the funds invested by wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) are owned by the Government of the Abu Dhabi, it is proposed to mention Government of the Abu Dhabi in place of UAE.

As far as reduction in TDS or TCS rates are concerned, to increase the liquidity in the economy, it is proposed to reduce of rate of TDS on non-salary payments and the rate of TCS to 75 per cent for the period from 14th May, 2020 to 31st March, 2021.

As regards extension of date of Vivad se Vishwas, in view of the COVID-19 pandemic, the date for payment under the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020, is proposed to be extended to 31st December, 2020. Further, in order to provide flexibility to the Central Government in implementing the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020, it is proposed to provide power for notification to

the Central Government to extend payment and grant instalment or specify date of declaration may be accepted.

About extension of date of registration of trusts, etc., the Finance Act, 2020 has introduced new procedure for approval or registration of charitable trusts from 1st June, 2020. Due to COVID-19 pandemic, it is proposed that the new procedure for approval or registration shall be applicable from 1st April, 2021.

As far as survey powers are concerned, in order to bring transparency and accountability in the survey operation, the CBDT has already issued a Circular that survey operation can only be conducted with the approval of the Pr. CCIT/CCIT/Pr. DGIT/DGIT. Also, the survey shall only be conducted by the investigation and TDS wing. In order to provide statutory basis to the Circular and to avoid future litigation on this matter, it is proposed to incorporate the content of the Circular in the Income Tax Act.

As regards revision powers to Pr. CCIT/CCIT, currently, the power of revision of assessment is provided to the Pr. CIT/CIT. As the Pr. CIT/CIT are also participating in assessment process under Faceless Assessment. In order to maintain hierarchy in the revision function, it is proposed to provide the revisionary power to Pr. CCIT/CCIT also.

As far as minor drafting changes are concerned, certain clarificatory drafting changes are also suggested to the provisions relating to capping of surcharge on dividend payable to FPIs, revised definition of non-resident and faceless penalty scheme introduced vide Finance Act, 2020. To provide clarity and certainty, it is proposed to carry out the suggested drafting changes.

Thank you, Sir. *Bharat Mata ki Jai.*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. CBDT through a notification on June 24 and the Ministry of Finance through a Press Release have provided the much-needed clarity with regard to income tax reforms proposed in the light of COVID-19. The Organisation for Economic Cooperation and Development had outlined a range of emergency tax measures that the Government could adopt to curb an economic fallout. This was on March 16. This included extended deadlines, suspending the recovery of taxes, enhancement of services and communication and quicker refunds to taxpayers. Most of the measures were adopted by the Ministry through an Ordinance. Tax reliefs were there in three major areas: extension of due dates, reduction in withholding rates, and disbursement of tax refunds. In this Ordinance, along with all this, more clarity has been there. It has been found in the Ordinance and also in the Bill. Under Vivad Se Vishwas Scheme, the last date for making payment under the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 was initially extended to June 30, 2020. It is now further extended to December 31, 2020 about which, yesterday, the Finance Minister also stated in the House.

Coming to reduction in rates, in order to provide more funds to the taxpayer, the rates of Tax Deducted at Source, TDS as it is called, and Tax Collected at Source (TCS) have been proposed to be reduced by 25 per cent. However, the reduced TDS rate is not applicable to payment of salaries and payment to non-residents. This reduced rate shall remain in force in 2020-21. It is estimated that this measure will release a liquidity of around Rs. 50,000

crore. For the ease of taxpayers and better clarity, the CBDT has provided a table containing revised rates of TDS and TCS.

17.53 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

Sir, I remember, in the first decade of this century, an attempt was made to simplify the Income Tax Act because it is so cumbersome and it is so contradictory at times that people who paid income tax always felt that they should not have entered into this tax regime. So, a Direct Tax Code was contemplated and a lot of effort also was made. But ultimately, when you have a tax lawyer leading the Finance Ministry at that time, you have more confusion and you have more litigation. That was the result of that Direct Tax Code which was never implemented by the previous Government and nor by this Government. But some sections, some portions of that Direct Tax Code are being implemented or were being implemented during the UPA regime and also during this regime.

These policy initiatives are commendable. In essence, these reforms are aimed at either payments which are lagging or reduced to the Government exchequer and the Centre trying to refund taxpayer money to improve liquidity in the economy. The delay in statutory compliances has also given breathing space to taxpayers.

I would like to draw the attention of the Minister to advance tax. The Standing Committee on Finance has given a Report very recently on it wherein it is stated that the Income Tax Department may be pushing taxpayers to pay

excess advance taxes to meet revenue targets. This is a very serious allegation which the Standing Committee on Finance has made. The Committee found that interest components of the refunds distributed in the last financial year were high at over Rs 20,000 crore each.

So, I would just like to mention here that in the April-January period of the Financial Year 2019-20, the Income Tax Department had refunded Rs 1.71 lakh crore which included interest outgo of Rs 22,856 crore. Similarly, in the previous Financial Year, Rs 1.61 lakh crore was returned to taxpayers as refund consisting of Rs 20,566 crore as interest payment.

This demonstrates that a large amount of money is being collected or rather as the Standing Committee has mentioned are being forced to be collected. But I would also add that some taxpayers are also parking this money as an advance tax and getting interest out of it. This has also been raised earlier by the Standing Committee in the first decade of this century that why this is happening to tide over certain situations. The CBDT issued refunds, as I had mentioned, and this amount of Rs. 1,06,470 crore has also been issued to more than 30.92 lakh taxpayers between 1st April, 2020 and 15th September, 2020. I remember and that is what I mentioned that the most often issue that has been discussed today in this House, while we are discussing the Bill, is relating to the PMCARES Fund.

This is my last point. The acronym the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation is set up with the objective of

being a dedicated National Fund to deal with any kind of emergency or distressed situation and I believe that this fund is not only created for Covid-19 situation but this fund will also be there to tackle different calamities which this country always faces. Such type of calamity relief fund formation is nothing new. In our country, we have such funds and so also, in foreign shores. And I doubt in any country such a clamour has been made to target a philanthropic trust the manner in which it is being done in our country. The scope of discussion this Bill, of course, rests on Clause 4 sub-clause 1 inserting PMCARES fund. It has to be given effect from 1st April, 2020. Why retrospective effect is being given? That needs to be explained by this Government but I think the answer is very clear because the calamity is there. We are facing this Covid-19 situation which this country had never faced earlier. It was perhaps 100 years ago in 1918 or in 1919 or in 1920, we had faced the Spanish flu. Accordingly, during the last 100 years, this situation has never happened in our country nor in any part of the world. This is the very serious case which we have to tackle and we need to address. Therefore, do we not understand it? Can we not use our own common sense? Why should one object to this? All the States are being benefited by this fund. CSR fund is being utilized and in an emergency situation like this, CSR fund needs to be utilized for this and I fully support this Bill.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, regarding the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, the Government took initiative after the Corona Pandemic. Immediately after that, the Government gave relaxation to the taxpayers and, accordingly, issued a number of notifications.

The Bill proposes amendment to the Income Tax Act, 1961 which inter alia, include providing of tax incentive for Category III – Alternative Investment Funds located in the International Financial Services Centre(IFSC) to encourage relocation of foreign funds to the IFSC, deferment of new procedure of registration and approval of certain entities introduced through the Finance Act, 2020, providing for deduction for donation made to the Prime Minister's Citizens Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES FUND) and exemption to its income, incorporation of Faceless Assessment Scheme, 2019 therein, empowering the Central Government to notify schemes for faceless processes under certain provisions by eliminating physical interface to the extent technologically feasible and to provide deduction or collection at source in respect of certain transactions at 3/4th rate for the period from 14th May, 2020 to 31 March, 2021.

<u>18.00 hrs</u>

हम सभी जानते हैं कि मुंबई शहर में इंटरनेशल फाइनेंस सर्विस सेंटर होने वाला था। आपने मुंबई को दर्द दिया है, आईएफसी को आप गुजरात लेकर चले गए, टैक्सेशन के समय अच्छा कदम उठाते। मुझे इस दर्द के बारे में भी बोलना था। पैन्डेमिक की सिचुऐशन में विश्व में

सभी देशों की फाइनेन्शियल कंडीशन खराब है । मैं जानता हूं इसलिए अनावश्यक रूप से क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है। सरकार जो कदम उठा रही है, उसमें मुझे इतना ही कहना है कि लॉकडाउन के कार्यकाल में भी जिस तरह से आपने टैक्सपेयर्स के लिए समय बढ़ाने की अवधि और अवसर दे दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। The Bill also proposes to amend the Direct Tax *Vivad se Viswas* Act, 2020 to extend the date for our payment without additional amount to 31st December, 2020 and to empower the Central Government to notify certain dates relating to filing of declaration and making of payment. Now, this is also again giving the facility to the people who are having some *vivad*. यह विवाद अगले दिसम्बर, 2020 तक चलेगा, आपने अवधि दे दिया है । The Finance Act, 2020 is also proposed to be amended to clarify regarding capping of surcharge at 15 per cent on dividend income of the Foreign Portfolio Investor.

The Bill also proposes to empower the Central Government to remove any difficulty up to a period of two years and provide for repeal and savings of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provision) Ordinance, 2020.

अब इसमें आपने पीएम केयर फंड के बारे में बात की। मैंने कल भी थोड़ा सा बोला था, आज दुबारा बोलता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, यह अच्छा है या बुरा, उसके ऊपर नहीं जाता हूं, जबकि जो डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसमें नहीं जाना है । आपने कदम उठाया, आपने इसे कर दिया । उसमें आपने 80जी की सहूलियत दे दी । आप जानते हैं कि पैन्डेमिक में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा बुरी हालत में है। सबसे ज्यादा कोरोना के लोग महाराष्ट्र में हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के

नेतृत्व और मार्गदर्शन में मिलकर कोरोना पैन्डेमिक से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। वहां कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश आपकी पार्टी भी कर रही है। लेकिन वह जानते नहीं हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। वहां हालत इतनी बुरी है, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, राज्य सरकार कुछ कदम उठाती है, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को 80जी दे दिया, क्यों न महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 के लिए जो एक अलग से फंड बनाया है, महाराष्ट्र कोविड-19 2020 फंड को भी आप 80 जी की सहूलियत दे दें, यह मेरी प्रार्थना है। आप बिल रिलैक्सेशन का लाये हैं, अगर यह रिलैक्सेशन वहां भी दे देंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है। अगर आप इसे कर देंगे तो आप बड़े दिल के लगेंगे।

हम 80जी की बात मैंने रखी है। आप टैक्स रिलेक्सेशन दे रही हैं, समय बढ़ा कर दे रही हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। खासकर यह किसको चाहिए? हमारे पास एमएसएमई है। वह रोते रहते हैं। उनका इतना ही कहना है कि आप हमें इंट्रेस्ट पर रिलैक्सेशन दें, आप कर्ज बढ़ा रहे हैं, कर्ज की मर्यादा बढ़ा रहे हैं, अब ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। वह वैसे ही कर्ज में डूब रहा है और ज्यादा कर्ज लेगा और इस बीच इट्रेस्ट बढ़ेगा। अगर सरकार उस पर कुछ कदम उठाएगी तो मेरा सुझाव है कि इससे एमएसएमई को बहुत मात्रा में मदद हो जाएगी, आप उस पर भी कदम उठाइए। आप महाराष्ट्र से अन्याय न करें, आज भी जब जीएसटी की बात आती है, कल भी मैंने बोला था। सबसे ज्यादा जीएसटी का ड्यूज पूरे देश में किस राज्य का है, सबसे ज्यादा रकम महाराष्ट्र को देनी है।

HON. CHAIRPERSON : Yesterday, you had already told this in the House.

श्री अरविंद सावंत : सभापति महोदय, मेरी आपसे पुन: प्रार्थना है कि यही रिलैक्सेशन का आर्शीवाद महाराष्ट्र को भी दीजिए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir. We all are passing through an extraordinary time and understand the timing of this Bill. Our party, YSR Congress, welcomes this Bill as it seeks to provide extensions of timelines and interest waivers to taxpayers, who are suffering in the pandemic.

While we are supporting this Bill, we have five points to make. The first one is, treat donations to CM Relief Funds as CSR activity as well. Right now, the donations made to PM CARES Fund has been made eligible for tax deductions under Section 80 of the Income Tax Act. Corporates can also donate to PM CARES Fund as part of mandatory CSR activity. It is because of these benefits, individuals and corporates are diverting donations from CM Relief Funds to PM CARES Fund. However, there is no certainty whether PM CARES Fund will be used for the local development of a particular State.

For example, take the case of my State where a steel plant in Vizag has donated to PM CARES Funds as part of the CSR activity. Definitely, they wanted to look at it in such a way that their CSR fund is actually used in the development of Vizag rather than somewhere else. It is a point that should be taken into consideration.

Therefore, donations made to State and CM Relief Funds should also be treated as part of CSR activity. This will help boost local development, which is actually the stated objective of the CSR policy.

Sir, the MPLAD fund has been suspended for two years. If the Government thinks in a little bit creative way, introduces an MP CARES fund, and make some sort of a provision wherein the corporates can donate to MPLAD as part of the CSR activity and get tax deduction under Section 80 of the Income Tax Act, this will help make up for the Rs.5 crore lost to the MPLAD that has been taken away.

The second point is about rationalisation of tax collection targets on officials. The budget provided for an increase in tax collection of 12% from the last fiscal year and, therefore, tax officials have even higher tax collection targets than they got for last year.

The tax collection targets should be reviewed and reduced because the economy is suffering. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I am the only Member speaking from my party. Please give me at least seven minutes to speak.

HON. CHAIRPERSON: Are you the only Member speaking from your party?

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Yes, Sir. Only me.

HON. CHAIRPERSON: No problem. You have to conclude it.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, the Finance Minister herself admitted yesterday that the Centre's Gross Tax Revenue collections are almost Rs.1.6 lakh crore, which is down about 30 per cent compared to last year. So, it is time that we reviewed the targets that are given.

The third point is regarding making GST payment on receiving payment and not when invoice is raised. Currently, GST is payable when a vendor raises an invoice. Raising an invoice does not mean payment is received. So, I request that this point should be taken into consideration.

The fourth point is that the Centre should not misuse amendment to GST Act to delay payment of GST compensation. Section 7 of this Bill allows the Centre to extend time limits for actions which cannot be completed because of *force majeure*. While this provision is welcome because it will bring relief to businesses, it should not be misused by the Centre to delay its commitment of paying GST compensation to the States. Andhra Pradesh is already owed more than Rs.4000 crore as GST compensation. Our is already a deficit State. So, I request the hon. Finance Minister to also take it into consideration.

The fifth point is regarding increasing reliance on the direct taxes. The share of indirect taxes has been increasing for many years and it has reached 50 per cent in the financial year 2019 as opposed to 43 per cent in the financial year 2011.

The combined share of Customs and Excise Duties and Value-Added Tax has reached an all-time high of 10.5 per cent of GDP with the previous high of 10.1 per cent in 1987-88. This is also when the Service Tax was hiked steadily to 18 per cent under GST from 12.4 per cent in 2014. This is troubling because indirect taxes actually penalise the poor and the middle class more than the rich. So, I hope the hon. Minister will look into it.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I am concluding in a minute.

With regard to Andhra issues, I would like to state that a total of almost Rs.3622 crore are due to the State of Andhra Pradesh towards GST compensation. GST compensation for almost Rs.237 crore for the financial year 2017-18 is also due. I hope it is done sooner than later.

A pending amount of Rs.1728 crore to AP State Civil Supplies Corporation is also due. Early release of pending amount will help to clear pending payments to farmers under Minimum Support Price. The amount will be transferred to the accounts of the farmers; that is, what the aim of the Central Government right now is.

Finally, under the 14th Finance Commission, a total grant of ₹ 3,635 crore for five years was allocated to urban local bodies. An amount of ₹ 581 crore are still pending from the Government of India. The State Government has provided all the utilisation certificates and everything. I hope, the hon.

Minister will take all this in right spirit and try to release it as soon as possible so that the aim of the Central Government will match the aim of the State Government in transferring the amount to the needy people.

Sir, we once again support this Bill. Thank you very much.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, आपने मुझे कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक 2020 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस विधयेक के समर्थन में बोलना चाहता हूं। कोविड-19 महामारी और पूरे देश में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप करदाताओं को सभी क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालनों को पूरा करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। करदाताओं के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने 24 मार्च, 2020 को कोविड महामारी के कारण सभी क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालन के संबंध में कुछ राहत उपायों की घोषणा की और घोषणाओं को लागू करने के लिए यह अध्यादेश प्रस्तावित किया गया।

इसमें आयकर अधिनियम, 1961, कुछ वित्तीय अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 शामिल हैं।

आधार को पैन कार्ड के साथ जोड़ने की 30 जून, 2020 की तारीख को 31 मार्च तक, 2021 तक कर दिया गया। आयकर अधिनियम 80 (घ) के लिए विभिन्न भुगतान की तारीख को 30 जून, 2020 से 31 जुलाई तक इस ऑर्डिनेंस में बढ़ाया गया है। विभिन्न प्रत्यक्ष करों और बेनामी कानून के अंतर्गत प्राधिकरणों द्वारा आदेश पारित करने या नोटिस जारी करने की तारीख को 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया।

'विवाद से विश्वास' योजना के अंतर्गत भी तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक कर दिया गया था। इसलिए, योजना के तहत घोषणा और भुगतान 30 जून तक किया जा सकता था और अतिरिक्त भुगतान के बिना की तारीख को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है। मार्च, अप्रैल और मई, 2020 में देय उत्पाद शुल्क रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून, 2020 और आगे 31 दिसम्बर, 2020 तक कर दिया गया है।

अध्यादेश में पीएम केयर्स फंड को प्रधान मंत्री राहत कोष के समान बनाकर उपचार प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन किया गया। इसलिए, पीएम केयर्स फंड को इसमें शामिल किया गया है।

दान आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत 100 प्रतिशत कटौती का पात्र होगा। इसके अलावा सकल आय के 10 प्रतिशत की कटौती की सीमा भी पीएम केयर्स फंड में किए गए दान के लिए लागू होगी। टीडीएस एवं टीसीएस कटौती का ब्यौरा और प्रमाण-पत्र 2019-20 की आय रिटर्न तैयार करने में जरूरी दस्तावेज होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रत्यक्ष और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों के संबंध में प्राधिकरण की ओर से आदेश पारित करने और नोटिस जारी करने की समय-सीमा को 31 दिसम्बर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जनता की कोरोना संक्रमण के संकट के मद्देनजर आयकर जमा करने, जीएसटी के अनुपालन, पैन को आधार से लिंक करने और अन्य सांविधिक प्रावधानों को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा की है।

अंत में, मैं अपने दल की ओर से इस जन कल्याणकारी विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीधे तौर पर आकृष्ट करना चाहूँगी कि वित्तीय प्रबंधन के मामले के चलते सरकार ने आम जनता से अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन वह अच्छे दिन सिर्फ अपने लिए और साथ ही साथ अपने कॉर्पोरेट घराने के दोस्तों के लिए लेकर आई है। इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूंगी कि पूर्व में भी एक अध्यादेश लाकर सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों की चिन्ता करते हुए उनकी 30 प्रतिशत की टैक्स दर को घटा कर 22 प्रतिशत किया था और फिर उसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। उसके बावजूद सरकार ने देश के गरीब, मजदूर और किसानों के हित के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएँ। न तो किसानों की कर्ज माफी हुई है और न ही उनके खेतों में लगने वाले इनपुट्स के ऊपर सब्सिडी को बढ़ाया गया है।

सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि जो इंकम टैक्स लिमिट 5 लाख से कुछ शर्तों के साथ 7.5 लाख तक कर दी गई थी, उस स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाए, जिससे आम आदमी को बढ़ी हुई महंगाई झेलने में कुछ सुविधा मिल सके। महोदय, सरकार द्वारा सदन में 1 फरवरी, 2020 को केन्द्रीय बजट पेश करते समय प्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों को निपटाने के लिए "विवाद से विश्वास योजना, 2020" शुरू की गई, जिसके अन्तर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा। इस रकम में किसी तरह का ब्याज, जुर्माना या दण्ड आदि नहीं चुकाना होगा। इससे देश के अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के समाधान मिलेंगे और सरकार को लाखों-करोड़ों रुपये की मदद भी मिलेगी। सरकार के पास पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस योजना के तहत करदाताओं को मुकदमे की कष्टदायक प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी और करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ेगा। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है, लेकिन टीडीएस में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 276बी के अन्तर्गत करदाता पर जुर्माना तथा जेल भेजने का प्रावधान है। इसमें करदाता द्वारा टैक्स, ब्याज आदि जमा कराने के बाद भी सिर्फ इसलिए मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर पैसा जमा नहीं कराया गया था इसलिए उससे संबंधित या उसके जैसे ही माननीय

सुप्रीम कोर्ट में दो केस चल रहे हैं । पहला है, आई.ए. नम्बर 49138/2020 और दूसरा है, डब्ल्यूपी(सी) नम्बर 940/2017 । इन दोनों केसों में पहला नोएडा अथॉरिटी व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश सरकार उपक्रम, जिसमें प्लॉट बायर्स पर 11 प्रतिशत ब्याज प्लस तीन प्रतिशत को मिलाकर 14 प्रतिशत का ब्याज जो तिमाही में कैपिटेलाइज्ड होता था, जो करीब 4 साल में 40 प्रतिशत के आस-पास था, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट 8.5 प्रतिशत तक कर दिया, जो पूरे देश के बैंकों के 6 माह के मोरेटोरियम पीरियड के ब्याज माफी के बारे में है, जिससे भारत सरकार बचने की कोशिश कर रही है । उस केस में भारत सरकार ने सभी लोन होल्डर्स के लिए अच्छी पैकेज डील लाने को कहा है, जिससे लोगों को राहत मिल सके ।

HON. CHAIRPERSON : Madam, please wind up.

SHRIMATI SANGEETA AZAD : I am concluding within a minute. मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि "विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020" के तहत जब सरकार ने टैक्सों पर लगने वाले ब्याज या पेनल्टी या दण्ड हटाए हैं, ठीक उसी तरह से टीडीएस की कुल रकम और ब्याज पर जो अलग-अलग पेनल्टी लगती है या जेल भेजने का जो प्रावधान है, उससे भी मुक्त किया जाए ।

सभापति महोदय, भारत के पास पहले ही पीएमएनआरएफ फंड के नाम पर सरकारी राहत कोष मौजूद है । महोदय, यह पूरा देश प्रधान मंत्री जी का है और देश का पूरा पैसा भी प्रधान मंत्री जी का है तो पीएम केयर फंड का गठन क्यों किया गया? इस फंड में कितना धन जमा हुआ और किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, उसका कोई ब्यौरा आम जनमानस के पास नहीं है और न ही कोई इस पर सवाल उठा सकता है । कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महामारी के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियाँ अपने हित में कार्य करने के काम में लगी हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माँग करती हूँ कि सरकार देश हित, किसान हित और व्यापार हित में तुरन्त कार्रवाई करे, जिससे कोरोना महामारी के समय में लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को तुरन्त संभाला जा सके।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Please be very brief.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO: Yes, I will be very brief.

HON. CHAIRPERSON: You spoke on the same subject yesterday.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO: Yes.

कल हमने मोस्ट ऑफ दि प्वाइंट्स पर बात की, लेकिन मैं उनको एक दफा और रिपीट करना चाहता हूं। कोविड के टाइम में जिस तरह से टैक्सेस में रिलैक्सेशन दिया है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी डिटेल में जाकर काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरा, कोविड के टाइम में हम लोगों ने जिस तरह प्राब्लम्स को फेस किया है, कल जीएसटी पर काफी डिटेल में डिसकस किया है, उतने डिटेल में मैं डिसकस नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्टेट्स की जीएसटी के बारे में सोचें । मेनली, तेलंगाना के पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये जीएसटी और जीएसटी-आईजीएसटी, टोटल मिलाकर नौ हजार करोड़ रुपये देने हैं, इसके बारे में आप थोड़ा देख लें । इसी के साथ-साथ, फाइलिंग वगैरह के लिए जो टाइम एक्सटेंड किया गया है, वह बहुत अच्छा तरह से हुआ है, मगर इसमें जिस तरह कोविड का इफेक्ट सभी लोगों के ऊपर पड़ा है । इसमें प्राइवेट कॉलेजेज और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, प्राइवेट कंपनीज के इम्प्लायर्स आदि सभी लोगों पर कोविड का इफेक्ट पड़ने की वजह से, उनकी सैलरीज पर भी असर पड़ा है । उनमें से कुछ लोगों ने व्हीकल लोन ले लिया है, कुछ लोगों ने घर का लोन ले लिया है । इन लोन्स के ऊपर मिनिमम सिक्स मंथ्स का इंट्रेस्ट फ्री मॉरेटोरियम देना चाहिए, उसे एक्सटेंड करना चाहिए । एजुकेशन में मेजॉरिटी प्राइवेट लोगों की है, मेजॉरिटी ऑफ दि कंपनीज प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी

सैलरीज में भी कुछ डिडक्शन्स किए गए हैं। इसलिए उनके इम्प्लायमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्सेस में उन लोगों को भी थोड़ा रिलीफ दें।

इसी तरह से, मेरी फाइनल रिक्वेस्ट है कि इसमें पीएमकेयर्स फंड के लिए जिस तरह से प्रॉविजन किया गया है, उसी तरह से सीएमकेयर्स फंड के लिए भी प्रॉविजन करना चाहिए, ताकि जो भी स्टेट में कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, अगर कोई स्टेट के लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वह कर सकेगा । पीएमकेयर्स फंड के लिए जो प्रॉविजन रहेगा, उसी तरह से हर स्टेट में सीएमकेयर्स फंड के लिए भी प्रॉविजन होना चाहिए। अभी अगर देखें तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसे डायरेक्ट फेस किया। अभी कोविड का फ्रण्टरनर, आगे रहकर सभी स्टेट्स ने लोगों को प्रोटेक्ट किया है। इसलिए सीएमकेयर्स को भी इसमें लगाकर देने के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी पैसा उधर देना है, जिस तरह से कंपनी का सीएसआर फण्ड है या अन्य फण्ड है, जिस तरह से आपने सेक्शन 80सी में टैक्स रिबेट दिया है, उसी तरह से सीएमकेयर्स को भी देना चाहिए।

इसी बात के साथ, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, the provisions in the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, be it for extension of various time limits, reduction of interest, waiver of penalty, and prosecution for delay in payment of taxes or levels, truly reflect the need of the hour.

In fact, I would request the Government to extend the time limit now proposed under several provisions further till the end of the financial year 2020-21. But, what percentage of the population pay income tax in this country? Just 1.46 crore people. That is, just about one per cent of the total population.

I am forced to ask the Government: why are they not showing the same interest for the vast majority of the 99 per cent people of this country, who are more severely affected by this pandemic? The Government may say that they have given free ration for all eligible families for six months. So far so good.

But newspaper reports suggest that hunger deaths are still happening across India, as several deserving families are out of the PDS system without a ration card. Is it possible to live with only rice or roti without cereals, vegetables, oil and other essential commodities, medicines, clothes etc.? From where will people get all these items without money? If the proposal of my party, CPI(M), for directly crediting Rs.7,500 for all households outside the Income Tax bracket for six months had partially been accepted, poor people of

this country would have got at least one full meal a day. I request the Government to heed this genuine demand at least now.

The story does not end here, Sir. The Government had announced a moratorium on the loans taken from the banks with much fanfare and common people believed that they will get a breather during COVID-19. But this Government betrayed the people of this country by refusing to waive the interest on loans even after the hon. Supreme Court empathising with the loanees.

The Government says that it will affect the financial health of the banks. Was this Government sleeping during the last five years when 38 wilful defaulters including Vijay Mallya and Neerav Modi fled this country appropriating millions of dollars? If this Government has at least scant regard for the ordinary people of the country, then I would request it to show courage to stand firm and direct the Reserve Bank to waive the interest during the moratorium period.

Now, let me come to the PM CARES Fund. I do not have a better expression to qualify this Fund, which is nothing but PM Citizen Annoyance and Ridicule in Exploitative Situations Fund. This is like a black hole, which attracts everything into it but nothing comes out of it. It is not a joke! This Government denied the Kerala Government to receive foreign aid for rehabilitation after the 2018 floods. …(Interruptions)

I believe that to escape answering the issue of PM CARES the hon. Finance Minister played a drama by entrusting the job to the MoS who deliberately diverted the entire discussion creating furore in the House yesterday. What about the PM CARES Fund? No one knows the complete composition of the Trust. No one knows how much money has come as contribution till date. No one knows who has contributed to it. No one knows what the Government is going to do with the funds available in it. In Malayalam there is a very famous film called *Vasanthiyum, Lakshmiyum pinne Njanum*, which means comprised of me, my brother and my sister all of whom are not responsible to anyone outside. Similarly, this Trust is an embodiment of opaqueness and high-handedness of this Government. This Government acts like it has something to hide from the people of the country in this regard.

Lastly, I would like to read a conclusive portion of the hon. CM's letter written to the PM. I quote : "I request you to intervene to correct this inequity, which is, in principle, against the principles underlying cooperative federalism and in practice adds to the fiscal stress of the States. Necessary changes may be brought in to include contributions to the Chief Ministers' Distress Relief Funds also eligible as expenditure under Corporate Social Responsibility.". I conclude my speech. Thank you.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill.

Sir, this is one more Bill, which the Government has brought as Ordinance during COVID-19 period with an objective to give some relaxations for submission, easing some compliances, extension of time limits under CGST, and exemption of donations made under PM CARES Fund. Under Vivad-se-Vishwas Act, hon. Finance Minister also proposed to extend the date for payment without any additional amount till 31st December, 2020. These are all welcome measures. Hence, I, on behalf of my Party, support this Bill and justify the Ordinance brought by the Government.

Sir, with your permission, I wish to make a few observations on some of the provisions of the Bill and wish to make a few suggestions for consideration of the hon. Finance Minister. The real estate sector has got the biggest drubbing due to this pandemic. It is the second largest provider of employment after agriculture and also contributes more than 10 per cent to the GDP. There is no doubt that the Government of India has taken some measures, but the main demand of the real estate sector is to give industry or infrastructure status. Secondly, GST is not giving them input tax credit. As a result of this the burden is falling on the home buyers. Will the hon. Finance Minister restore input tax credit and give industry or infrastructure status to the real estate sector?

What are the reasons that despite accommodative monetary policy stand of the Government of India, banks, instead of lending, are parking their reserves with the RBI? If that is so, what is the point of having such a monetary policy and how would RBI discourage and dis-incentivize banks to park their reserves with the RBI? Can we have a zero per cent Reverse Repo Rate, which forces banks to lend to kickstart the economic cycle? This is an issue, which the hon. Finance Minister should answer.

I would also like to mention the point regarding PM CARES where I certainly believe there should be more transparency in use of PM CARES Fund created to deal with the pandemic. The Army, Navy, Air Force, Defence PSUs and employees of the Defence Ministry have collectively donated Rs. 500 crore. When donations are made from taxpayers' funds by Government bodies, then public has the right to know where it is going. This is where the problem lies. It is lack of transparency.

The Central Government has stated that CAG will not audit the Fund. Rather, it will be audited by independent auditors whereas I believe that PM CARES Fund has been created with a just cause to deal with the pandemic. So, it should not be dealt with this kind of controversy.

If the Central Government has nothing to hide regarding this, let the CAG audit this and make it more transparent.

Regarding GST for the States, I do not want to argue with the point *force majeure* which is constantly used to explain this kind of situation. Any kind of agreement, whatever be the nature of the business or nature of the parties, this clause is already there but what kind of chain reaction will the Central Government create if it is saying to the States that because of this *force majeure* clause, we can’t pay you CGST whereas it is their responsibility? So, with a big heart, in this kind of difficult time, the Central Government should come forward and create an example. If the companies come tomorrow and say to the farmers that because of the *force majeure* clause, we can’t pay you, it can lead to a very bad chain reaction in the country also, which we might not be able to stop. That is why the Central Government should rethink the GST revenues which they have to give to the States, especially with the Andhra Pradesh Government, which is going under a real financial crisis; it is necessary for the Central Government to interfere and give sufficient funds so that we can get back on track.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I welcome the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Bill, 2020 on behalf of my party, AIADMK. I am confident that under the stewardship of our Prime Minister, the PM CARES Fund will be utilised for the best benefit of our citizens. In this context, I want to make some requests to the hon. Finance Minister, through you. As already requested by many State Governments, including the Government of Tamil Nadu, the Chief Minister's Public Relief Fund should also be made eligible for receiving donations which are eligible for CSR funds on a par with PM CARES Fund.

States are already receiving funds from the PM CARES Fund for COVID-19 for relief activities including the supply of ventilators and for financing relief for migrants. We welcome this. On the expenditure already incurred by States before July, I would request that the migrants should be made eligible for reimbursement under the PM CARES Fund.

One of the most significant expenditures being incurred by the States for controlling COVID-19 is the cost of testing, especially RTPCR testing, which is of the gold standard. The number of active cases in Tamil Nadu has declined since July 2020 consistently mainly because the State uses only RTPCR testing protocol exclusively. Currently, more than 80,000 tests are performed per day at a cost of nearly Rs.4 crore per day. Hence, I would like to request that at least 50 per cent of the cost of testing should be covered under the PM

CARES Fund as it is the most effective strategy to control the spread of COVID-19 virus.

Finally, the Central Government should do more to support such initiatives by States and nurture them instead of using the National Infrastructure Investment Fund as a competitor which takes over both possible investors and investment opportunities. There is space for all these funds to thrive and the efforts of the States should be supported and encouraged.

With these words, I support the Bill.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आज किसानों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम के अंतर्गत रॉ कॉटन खरीदने पर जीएसटी भरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर उनको 10 करोड़ रुपये की कॉटन खरीदने पर 25 लाख रुपये सीजीएसटी एवं 25 लाख रुपये एसजीएसटी, कुल 50 लाख रुपये भरना पड़ता है। कपास के कॉटन बॉल्स बनाने के बाद अगर पांच करोड़ रुपये का माल दूसरे राज्यों में बेचने पर आईजीएसटी 25 लाख रुपये भरना पड़ता है और सीजीएसटी क्रेडिट से ऑफसेट हो जाता है। ऐसे में हमारे पास 25 लाख रुपये का क्रेडिट जीएसटी के खाते में जमा रह जाता है। अगर बचे हुए पांच करोड़ रुपये की सेल अपने ही राज्य में करते हैं, तो भी साढ़े बारह लाख रुपये सीजीएसटी और साढ़े बारह लाख रुपये एसजीएसटी उनको भरना पड़ता है। ऐसे में सरकार के पास 25 लाख रुपये जमा होने के बावजूद उनको अलग से भरना पड़ता है। ऐसे में बहुत बड़ी पूंजी ब्लॉक हो जाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करती हूं कि एक बड़ी रकम ब्लॉक होने से इसका बड़ा असर कृषि उत्पादन की खरीद पर पड़ता है। कॉटन पर लगने वाले आरसीएम को हटाया जाए और केवल बिक्री पर ही टैक्स लगाया जाए। कम्पोजिशन डीलर को भी जूने रिटर्न में लेट फीस की माफी मिले और अन्य व्यापारियों को भी पेंडिंग रिटर्न्स में लेट फी की माफी दी जाए।

कम्पोजिशन डीलर को वर्ष 2017, 2018 तथा 2019 के जीएसटीआर 4 के रिटर्न के लिए भी लेट फी माफ की जाए। कम्पोजिशन डीलर जिनके डेढ़ करोड़ से कम के टर्न ओवर में ऐसे छोटे व्यापारियों का समावेश है, उन्हें 10,000 रुपये लेट फी लगाई जाती है, जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर के व्यापारियों को सिर्फ 500 रुपये लेट फी लगाई जाती है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से विनती करती हूं कि बड़े व्यापारियों के साथ ही छोटे व्यापरियों को भी इसमें काउंट किया जाए, जिन्हें 10,000 नहीं, बल्कि 500 रुपये लेट फी लगाई जाए। कोविड-19 महामारी से पूरा देश रुक गया है।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्रीमती नवनित रवि राणा : महोदय, बस एक मिनट। इससे छोटे व्यापार के साथ ही बड़े व्यापार तथा उद्योग रुक गए हैं। इस महामारी के कारण जून तक देश में कोविड के चलते जीएसटी में छूट दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने जून तक छूट दी है, उसे एक साल तक और बढाया जाए, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और वे अपने व्यापार को बंद होने से रोक पाएंगे। इससे बेरोजगारी में कमी होगी। इस महामारी में पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिसके विरोध में विपक्ष दल जो भी बोल रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से सरकार ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि हर मेडिकल फैसिलिटी राज्यों को दी है and I appreciate जब लोग मर रहे हैं, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है still the people in Vidarbha and Maharashtra are dying because of non-availability of oxygen…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्रीमती नवनित रवि राणा : महोदय, बस एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से महाराष्ट्र को यह सारी फैसिलिटीज़ पहले ही सबसे अच्छी दी गई थीं, फिर से और मजबूती से दी जाए, क्योंकि इसी के कारण हम अपने महाराष्ट्र की जनता को जिन्हें बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, उन्हें यह प्रोवाइड करके, हम उनकी जान को बचा सकें। I definitely support this PMCARES Fund and this Bill. I thank you so much for bringing this Bill to support the common person.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I oppose the Bill. The accountability of the Government towards the people cannot be compromised even at the time of health emergency or pandemic.

Through this Bill, the Government is amending the Income Tax Act to provide the same tax treatment to PMCARES Fund as available to Prime Minister National Relief Fund. Here the issues are manifold and the Government is not willing to answer any of the issues.

Sir, what was the need for a new fund as we already have an established PMNRF especially when the mode of utilisation of this Fund is not known at all.

Why is the Prime Minister's Office refusing to divulge any information about the PMCARES Fund's utilisation? I think the reason is that it is not a public authority under the RTI Act.

Whether the Fund is public or private, no information has been made public as the Trust Deed is not available to the public.

If the PMCARES Fund does not have any Trust Deed, it should be classified as 'Artificial Juridical Person' under the provisions of the Income Tax Act, and the statutory audit by outside agency as well as C&AG audit along with the filing of return of income and statement of accounts are mandatory. It should be brought under the purview of the Right to Information Act. All

statutory provisions should be applicable as that of other Government agencies.

Sir, on 28th March, the Ministry of Corporate Affairs issued a circular saying that the donations made to PMCARES will qualify for CSR obligations.

Here, a possibility is that the Ministry may have used its power to facilitate big corporate houses to use their unused CSR funds through the PM-CARES Fund. The downside of this is that non-profit organisations working at the grassroots level may not get funds this year.

Sir, the issue of whether the PM-CARES Fund qualifies as a public authority under the RTI Act is immaterial. If any files related to the PM-CARES Fund are held by the PMO or are under the control of the PMO, which is a public authority, it is duty bound to furnish the information asked as per the provisions of the RTI Act.

Sir, I further request the Finance Minister to kindly amend the relevant provisions of Section 36(1)(va) and 43B(b) of the Income Tax Act by allowing the remittance of PF/ESI employee's contribution as a deduction, if the same was paid before the due date for filing return of income.

Lastly, the State of Kerala has not so far received any substantial help from the PM-CARES Fund or from the Central Government during the COVID-

19 pandemic period. Also, the suspension of MPLAD Fund has destroyed the idea of improving governance at the micro level.

Thank you.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): माननीय सभापति जी, टैक्सेसन एंड अदर लॉज की चर्चा में लगभग सभी दलों के सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। अपनी बातें रखते समय उन्होंने काफी चर्चा पीएम केयर्स फण्ड पर भी कीं।

<u>18.42 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय वित्त मंत्री जी के निर्देश पर कुछ समय में मैं अपनी बात रखूँगा ताकि जिन माननीय सदस्यों की कुछ शंकाएँ हैं, उनको मैं अवश्य दूर कर पाऊँ। उसकी स्थापना, पारदर्शिता, 100 परसेंट एग्जेम्पशन की बात, मिसयूज़ यानी धन का दुरुपयोग न हो, खर्चों के ब्यौरे या सरकारी खजाने की बातें यहाँ पर आईं और इसके डायवर्ज़न की बातें भी आईं। आखिरकार यहाँ के सदस्यों के मन में यह बात आई क्यों? क्या पूर्व में कुछ ऐसा घटा, जिसके कारण इनके मन में कुछ शंकाएँ हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितने कानूनी रूप से इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, जो इस देश का कानून है, उसके अनुसार इसका गठन हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ अगर किसी पर काम किया जा रहा है, तो वह पीएम केयर्स फण्ड के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? 1908 का जो कानून है, उसके अंतर्गत यह ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस सदन के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य, देश के लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उस समय में यह सोचा गया कि इस आपातकालीन और संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित

निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स ट्रस्ट का गठन किया गया ताकि देश की चिन्ता करने वाले चाहे वे नेता, अभिनेता, अमीर, गरीब, कामकाजी, नौकरी-पेशा वर्ग के लोग, उद्यमी या किसी संस्थान के लोग हों, अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार वे जितना चाहें, उसमें दान कर सकते हैं। किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया गया। केवल प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए ताकि वे अच्छी तरह से देश की सेवा कर सकें, उसके लिए प्रयास किया गया।

अब तक इसमें किन लोगों ने दान दिए हैं, मैं इस बात की खुशी प्रकट करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो इनिशियल कॉर्पस है, वह सवा दो लाख रुपए किसी ने दिए, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी ईमानदारी की कमाई से दी है।

उनकी माता जी ने इसमें अपनी ओर से दान दिया है, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई जी की माता जी ने भी इसमें अपनी ओर से दान दिया है। इसके अलावा 3,100 रुपये वाराणसी के दिव्यांग और कुष्ठ रोगियों ने भीख से इकट्ठे कर के दिए हैं। सर, भिखारी काली देवी तक ने पांच हज़ार रुपये इसके लिए दान दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर से 60 साल की देवकी भंडारी जी ने दस लाख रुपये पीएम केयर फंड में दिए हैं।

सर, यही नहीं, उत्तर प्रदेश के चंदौली के ताजपुर की दिव्यांग बेटी प्रियंका ने भी अपना पेंशन का सारा पैसा दे दिया। मेरठ के रिटायर्ड आर्मीमैन मोहिंदर सिंह जी ने अपनी पेंशन के 15,11,000 इसके लिए दे दिए। मैं बहुत नाम पढ़ सकता हूं, खिलाड़ियों से लेकर जो बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबने इसमें पैसा दिया है। मैं एक ही शब्द में इन सबके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, कोरोना से हमारी लड़ाई में इन सबने अपना योगदान दिया है।

सर, अब इसके गठन का प्रश्न आता है। जैसा कि मैंने कहा, वर्ष 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में इसका गठन हुआ और जिस उद्देश्य के साथ हुआ, मैंने उसकी भी बात कही थी। इसके ऑडिट को लेकर चर्चा की गई। इसमें एसएआरसी एंड

एसोसिएट इन्डिपेंडेंट ऑडिटर है, जो प्रधान मंत्री नैशनल रिलीफ फंड का ऑडिट करता है, वही ऑडिट यहां पर भी करता है। मैं आपसे एक और बात कह दूं। आपको इसमें कितने भी प्रश्न पूछने हों, पीएम केयर्स की जो वेबसाइट है, उस पर 'एफएक्यूज़' और 'अबाउट' में अधिकतर प्रश्नों के, या मैं कहूं कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर हैं। मुझे लगता है कि कोई उसे देखकर नहीं आया, इसलिए शायद मन में शंकाएं भी होंगी, जिन्हें मैं ज़रूर दूर करना चाहूंगा।

सर, लोगों को लगा कि यहां से पैसा कहीं और न चला जाए, इसके सदस्य कौन होंगे। मैं देश की जनता को भी इस संसद के माध्यम से और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके सदस्य हैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। ये सारे एक्स-ऑफिशियो मेंबर्स हैं। आज मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, माननीय निर्मला जी हमारी वित्त मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं तो आज वे इसके सदस्य हैं। आज से नौ-दस साल बाद अगर इनकी जगह कोई और होगा तो वह भी इसका सदस्य होगा। यह किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। इनके मन में शंका है, क्योंकि व्यक्तियों को इसमें रखा जाता था, आज उन व्यक्तियों के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसमें स्थान नहीं है। इसमें डिसीज़न मेकर्स कौन होंगे? इसमें बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कमेटी बैठेगी और इस पर निर्णय करेगी कि इसका पैसा कहां-कहां खर्च होगा। इसके ट्रस्टीज़ के साथ जो बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वे अलग-अलग फील्ड से हो सकते हैं, जैसे साइंस, लॉ, हैल्थ, पब्लिक वर्क्स, किसी से भी हो सकते हैं। इस तरह के बड़े नामी-गिरामी लोगों को भी इसमें रखने का अवसर दिया गया है।

सर, यह कोई पहला ऐसा ट्रस्ट नहीं है, जिसको पहली बार कोई टैक्स डिडक्शन दी गई हो। इससे पहले भी बहुत सारे ट्रस्ट्स को टैक्स डिडक्शन दी गई है। यही नहीं, इसमें एफसीआरए की भी अनुमति ली गई, ताकि कोई विदेशों से पैसा देना चाहे तो दे सके। मैं आपको पढ़कर बता दूं, फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 2010 का जो सेक्शन-50 है, वह स्पष्ट तौर पर कहता है कि

किसी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आप किसी भी संस्था या एसोसिएशन या ऑर्गेनाइज़ेशन को अपनी ओर से, एफसीआरए यानी उसमें अगर विदेशी पैसा आना हो तो उसकी अनुमति दे सकते हैं और बिलकुल नियमों के अनुसार इसको अनुमति दी गई, ताकि भारत के लोगों को कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में कोई कमी न आए, इस मंशा के साथ इस पर काम किया गया।

सर, क्या यह पहला ट्रस्ट है? 49,483 ऐसे रजिस्टर्ड थे, जिनको एफसीआरए में एग्ज़म्पशन मिली थी तो पीएम केयर्स पर क्यों चिंता व्यक्त की जा रही है? मैं आगे कुछ और बातें कहने वाला हूं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सबके मन में यह भावना आ रही थी कि ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि सबके मन में था कि पीएमएनआरएफ था तो क्यों था? पीएमएनआरएफ फंड क्या है? यह प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड है। यह कब आया? वर्ष 1948 में आया। कैसे आया? उस समय के हमारे प्रधान मंत्री महामहिम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक शाही हुक्म जारी किया कि ट्रस्ट का गठन हो। सर, यह वर्ड ऑफ माउथ था, जैसे मैं यहां कुछ कह दूं और वह हो जाए, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन न हो, क्योंकि कानून में या तो विश्वास नहीं था या कानून को कभी मानते नहीं थे।

वर्ष 1948 से लेकर 2020 तक अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम केयर्स फंड तो फिर भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, सेक्शन 12ए में भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, 80जी का एग्जेम्प्शन भी लिया है, एफसीआरए का एग्जेम्प्शन लिया है और सीएसआर फंड में उसको अनुमति भी दी गई है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में क्या था? सर, केवल गठन की बात नहीं है, उसके ऑडिट के लिए भी एक कंपनी थी, जो वर्षों तक ऑडिट करती रही। उसका पूरा नाम भी बता देता हूं, वह ठाकुर एंड एसोसिएट्स करके एक कंपनी थी। उनको यह लाभ मिला कि जो वह करते थे और वह कई अन्य के भी ऑडिट करते होंगे तो उनको राज्यपाल भी बनाया गया और कई अन्य पदों से भी नवाजा गया। उसमें क्या-क्या किया जाता था? सर यही नहीं, उसके सदस्य कौन-कौन थे? जो प्रधानमंत्री होंगे, वह उसके सदस्य होंगे, जो

डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, वह प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के सदस्य होंगे, लेकिन उससे भी पहले सदस्य कौन होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेजिडेंट होगा, वह उसका सदस्य होगा।

सर, मैं प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं और मैं तो केवल अभी नाम गिना रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी प्रेजिडेंट होंगे, वह होंगे। …(व्यवधान) अब उनका अध्यक्ष कौन होता है? जब 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, तब भी कौन अध्यक्ष रहता है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। वह तो एक परिवार ने पकड़ कर रखा है।

सर, मैं उस पर दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे, टाटा ट्रस्टी का नॉमिनी एक सदस्य होगा और एक इंडस्ट्री का सदस्य होगा। हमने पीएम केयर्स फंड में स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीएम, एफएम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी पीएम केयर्स के होंगे जो व्यक्ति से नहीं जो उस समय उस पद पर आएगा, केवल वही उसका सदस्य हो पाएगा। यह पारदर्शिता हम लोग लेकर आए हैं। हमने ऑडिट करवाया है और हमने उसे बदलने का काम किया। पहले ही दिन से वर्ष 2019-20 का जो हमने खर्चा किया है, उसका पूरा लेखा-जोखा, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है।

मैं पूछना चाहता हूं कि एक परिवार से जुड़े हुए जितने ट्रस्ट हैं, क्या उनका कोई ऑडिटेड स्टेटमेंट है? क्या जनता को उनकी जानकारी है कि वह कितना खर्चा करते हैं, कहां पर खर्चा करते हैं और किन पर खर्चा करते हैं?…(व्यवधान)

सर, मैंने तो एक परिवार कहा था, लेकिन कांग्रेस वाले एक परिवार वाली बात को फटाफट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका मतलब है कि मुझे नाम लेने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। यही नहीं, वर्ष 1948 में अगर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बना, लेकिन सेक्शन 12ए में भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया …(व्यवधान)। अभी तो मैंने शुरुआत की है। मैं इस पर दो लाइनें कहना चाहता हूं:-

"ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना,
गफलत एक उम्र तक थी कि कदमों में है जमाना,
खुदगर्ज झूठ की उम्र होती है बड़ी छोटी,
आपका हर बार पकड़े जाना फिर बहाना बना देना।"

मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि पीएम केयर्स फंड में कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग है तो इस पर एक रुपया नहीं मिलता है।...(व्यवधान) प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो है और जैसा मैंने पहले कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत इसका 12ए में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? सर, बगैर ट्रस्ट रजिस्टर हुए इसका रजिस्ट्रेशन हो गया।

क्या इन सभी माननीय सदस्यों ने इस पर पहले कभी सवाल खड़ा किया है? वर्ष 1973 में 12ए के तहत रजिस्ट्रेशन करवायी गयी। कितने सालों के बाद, 25 सालों के बाद। 64 वर्ष के बाद वर्ष 2012 में प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फण्ड का इन्होंने पेन कार्ड और पेन नम्बर लिया। दूसरी ओर पीएम केयर्स फण्ड में जितनी भी इस तरह की प्रकियाएं हैं, वह सभी हमने पूरी की हैं और किसी भी कानून को तोड़ा नहीं गया है। हमने सभी कानूनों के अंतर्गत काम करने का काम किया है।

दूसरा, इसका परिचालन है। मोदी जी वैसे ही पारदर्शिता और सुशासन में बहुत विश्वास रखते हैं और उतनी ही पारदर्शिता और सुशासन से काम किया जा रहा है। इसको अधिक व्यापक, सख्त और स्ट्रक्चर्ड वे में रखा गया है। यही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, इसकी सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। इसके ऊपर जितने आरोप आपने यहां लगाए हैं, आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और सभी जगह उनको खारिज किया गया। किन-किन विषयों को लेकर गए? मैं एक बार उन विषयों पर जरूर आना चाहता हूं। अप्रैल, 2020 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस द्वारा हेडेड बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा - PM CARES Fund is constitutionally valid. इसको संवैधानिक

वैधता सुप्रीम कोर्ट ने भी दी। दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डाली गयी कि पीएम केयर्स फण्ड में जो इंफोर्मेशन है, वह आरटीआई एक्ट में दी जाए। उसको उन्होंने निरस्त किया, उसको डिसमिस किया। उसके बाद अगस्त, 2020 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि पीएम केयर्स फण्ड का सारा पैसा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड में दिया जाए। वहां भी कहा गया कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड में राज्यों और केन्द्र का पैसा जाता है। आपदा के समय में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 11000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड में दिया गया, जो कि बजटरी सपोर्ट से था, पीएम केयर्स के लिए एक भी पैसा बजट से नहीं दिया गया है। यह बात भी मैं देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। यही नहीं, यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए भी उसमें कहा गया कि इसमें सीएजी के ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि अगर आप इसके लिए सीएजी का ऑडिट मांगते हैं तो एक परिवार के जितने ट्रस्ट हैं, क्या उन सारे ट्रस्टों का सीएजी ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं? …(व्यवधान) सर, मतलब की बात इनको सुनाई नहीं देती है।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें और भी हैं, जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। देश की ईमानदार जनता ने अपनी मेहनत की कमाई पीएम केयर्स फण्ड में दी है। इससे मोदी जी के हाथ मजबूत किए हैं ताकि देश की गरीब जनता को कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके। सर, कुछ पार्टियों ने इस पर सवालिया निशान खड़े किए। मैंने कल भी कहा कि ये सवालिया निशान केवल इसके ऊपर ही नहीं, ईवीएम, ट्रिपल तलाक, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक और जीएसटी पर भी खड़े करते रहे हैं। जब-जब ये लोग कोर्ट गए, सदन में आए या जनता के बीच में गए तो हर जगह नरेन्द्र मोदी जी की और उनकी सरकार की जीत हुई है। यह हम सबने देखा है। कांग्रेस कई बार आधारहीन आरोप लगाती रही है और हर बार मुंह की खाती रही है।

सर, मैं मुझे आगे भी दो-तीन बातें जरूर कहनी हैं कि लोगों ने अपना जो आशीर्वाद दिया है, इसका अंतर कहां नजर आता है। यही प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फण्ड था और यूपीए के समय

में जितना पैसा इकट्ठा होता था, उससे पांच गुना ज्यादा पैसा नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फण्ड में इकट्ठा हुआ है । यह हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी है, यह देश की जनता का विश्वास है। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे बाद अधीर जी बोलेंगे, कि क्या आप मानते हैं कि यह जो पांच गुना ज्यादा पैसा मिला है, यह प्रधान मंत्री मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के कारण मिला है या आपके समय में यह पैसा कहीं और जाता था? इन दोनों में से किसी एक का जवाब आप जरूर दीजिए।

19.00 hrs

महोदय, अगर ये लोग सफेद … * फैलाने और बाधा उत्पन्न के बजाय, इस जन-भागीदारी और इस राष्ट्रीय अभियान में रचनात्मक रूप से जुड़ते, मैं तो आज भी यह कहता हूं कि आप इसमें जुड़िए, तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर कोविड-19 की लड़ाई में अच्छी तरह से लड़ पाएंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन होगा । सर, अगर मुझे आप इजाजत दें, तो मैं यहां पर वर्ष 1964 का एक मिनट्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं । क्यों इनके लिए प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड कभी प्राथमिकता नहीं रही? वह सन् 1948 में बना था और मैं सन् 1964 की बात कर रहा हूं। आप सुनेंगे, तो हैरान हो जाएंगे । उस समय के प्रधान मंत्री, जो उसके अध्यक्ष थे, उस वर्ष दिल्ली, पंजाब, असम, बिहार, राजस्थान और यूपी में बाढ़ आई थी और देश की बुरी हालत थी। प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में पैसे की आवश्यकता थी, ऐसा मिनट्स में कहा गया है। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने पीएमएनआरएफ में तब तक पैसे देने की अपील नहीं कि थी, क्यों उसका कारण आगे लिखा है कि जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड की कलेक्शन पर कोई फर्क न पड़ जाए।

एक परिवार के ट्रस्ट के कलेक्शन पर फर्क न पड़ जाए, लेकिन कई राज्यों के लोग बाढ़ की हालत में मर जाएं, उसकी चिंता नहीं कि गई। क्या आज इस बात का जवाब भी यह पार्टी देना चाहती है? इस बात का जवाब कौन देगा? अगर बात यहीं रुक गई होती, तो शायद तब भी ठीक

---

* Not recorded.

होता। आगे तो और भी बहुत कुछ हुआ। आखिरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेज़ीडेंट की नियुक्ति इस ट्रस्ट पर क्यों हुई? क्या हमने आज यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पीएम केयर्स फंड का सदस्य होगा? मैं यहां पर आपके माध्यम से सभी सांसदों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा होना चाहिए? तो आप लोगों ने आज तक इनसे यह क्यों नहीं पूछा कि इनका कैसे था? क्या इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि हम लोग इससे रिज़ाइन करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं? सर, इसलिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां पर इनका इंट्रेस्ट जुड़ा हुआ था। एक हाथ से लेते थे और दूसरे हाथ से अपने परिवार के ट्रस्ट में देते थे।…(व्यवधान) ऐसे हाथ करने से काम नहीं चलेगा। मैं आगे बताना वाला हूं कि कहां-कहां पर दिया है।…(व्यवधान)

महोदय, मैं प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बारे में सदन और सभी माननीय सांसदों को यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005 से वर्ष 2008 के बीच प्रतिवर्ष पैसा राजनीतक तौर से और पारिवारिक तौर से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया जाता था। वर्ष 2005 में दिया गया, वर्ष 2006 में दिया गया, वर्ष 2007 में दिया गया और वर्ष 2008 में दिया गया। प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ट्रस्टी कौन था? यानी उसके ट्रस्टी के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। दूसरी ओर राजीव गांधी फाउंडेशन की ट्रस्टी और चेयरपर्सन भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ही थीं। तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट था कि नहीं था?...(व्यवधान) क्या आप देश को इसका जवाब देंगे? यही नहीं, प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड…(व्यवधान)

सर, क्या आपको यह पता है कि प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड का अंतिम निजी व्यक्ति सन् 1964 में ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या आपको यह भी पता है कि प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के ट्रस्टियों की अंतिम बैठक कब हुई थी? क्या यहां पर एक भी सदस्य ने इस बात को पूछा है? सन् 1985 में आखिरी बैठक हुई थी। जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे और उसके बाद पूरे ट्रस्ट का अधिकार एक ही व्यक्ति को दे दिया गया था कि वह जैसे चाहे वैसे उसका पैसा खर्च करे। क्या कोई इस देश में नहीं पूछेगा, कोई सदन में नहीं पूछेगा?

प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के चेयरमैन के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी जी को फंड के सभी खातों को प्रचालित करने तथा सभी प्रचालनों का प्रबंधन करने के लिए सचिव की नियुक्ति करने के लिए भी अधिकार दे दिया गया था। वह जिसको उचित समझते थे, उसके बाद पीएमएनआरएफ ट्रस्टियों की एक भी बैठक नहीं हुई थी। सर, ट्रस्टी और सेक्रेटरी कौन बनते थे, मैं अभी इस पर आने वाला हूं।

सर, अभी आरटीआई पर मेरे मित्र गौरव गोगोई ज्यादा ज़ोर-ज़ोर से कह रहे थे, तो मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि आपकी यूपीए सरकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपने ही सीआईसी के विरुद्ध सन् 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय में गई थी कि पीएमएनआरएफ – प्रधान मंत्री नैशनल रिलीफ फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और यह मामला आज तक लंबित है तो क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? मैं चाहता हूँ कि अधीर जी इसका जवाब भी सदन को दें। आप पीएम-केयर्स फंड के लिए तो आरटीआई मांगते हो, दूसरी ओर पीएमएनआरएफ के अगेंस्ट आप कोर्ट जाते हो, अपने ही सीआईसी के खिलाफ जाते हो। यह दोहरा चेहरा, चरित्र कैसे चलेगा? क्या आप जवाब नहीं देंगे? सर, इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने तत्कालीन विधायी कार्य विभाग ने स्पष्ट रूप से अभिमत दिया था कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पीएमएनआरएफ एक सर्वाजनिक प्राधिकरण नहीं है। यदि यूपीए सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इस बात को बनाए रखा था तो आज क्यों इसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। वहां पर तो फिर भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सदस्य है, यहां पर तो भाजपा का भी कोई सदस्य नहीं है। पीएम-केयर्स में पूरी तरह ये एक्स-ऑफिशियो सदस्य है। सर, दूसरी बात यह है कि इनको लगता था कि ऐसे ही चला जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि –

"अभी तो साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी आपके कच्चे-चिट्ठे सामने आने बहुत हैं।
नए गीत पैदा हुए हैं उन्हीं से, जो नगमें पुराने बहुत हैं – जो नगमें पुराने बहुत हैं।"

सर, ये केवल प्रधान मंत्री नैशनल रिलीफ फंड के ही सदस्य नहीं है, जलियांवाला बाग ट्रस्ट के भी परमानेंट ट्रस्टी के रूप में इंडियन नैशनल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। सर, ऐसा क्या है कि जिनको जनता नकारती है, जिनका लीडर ऑफ ऑपोज़िशन नहीं बन सकता है, लेकिन वे सदियों तक इन्हीं ट्रस्टों पर बने रहेंगे? सर, मैं एक बात तो जरूर सामने रखना चाहता हूँ कि इस एक परिवार ने भारत को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ कर अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए सरकारी मशीनरी और सार्वजनिक धन का उपयोग अपने निजी एजेंडा और निजी लाभ के लिए बड़ी ...* और आपत्तिजनक तरीके से और अपमानजनक तरीके से किया है। यही नहीं, यहां तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर ट्रस्ट्स हैं। मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने मेरे जो संसद सदस्य हैं, इनके कितने परिवार के नाम पर ट्रस्ट्स हैं। सर, लेकिन यहां पर ट्रस्टों की लंबी सूची हैं। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं थोड़े से नाम पढ़ना चाहूंगा। सर, इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर जो चैरिटेबल ट्रस्ट्स और फाउंडेशंस हैं, उनको व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों के लिए बनाया गया है। जिसकी अध्यक्षता आदरणीय सोनिया जी करती हैं। राहुल जी और *प्रियंका* जी उसके सदस्य हैं। सर, ये ट्रस्ट्स तिकड़ी द्वारा ही पूरी तरह से नियंत्रित हैं। सर, चाहे वह राजीव गांधी फाउंडेशन हो, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, राजीव गांधी नैशनल रिलीफ एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट हो, इंदिरा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट हो, जवाहर भवन ट्रस्ट हो, जवाहर लाल नेहरु मेमोरियल ट्रस्ट हो, कमला नेहरु मेमोरियल ट्रस्ट हो, संजय गांधी मैमोरियल ट्रस्ट हो। सर, अब मैं कितनी लंबी लिस्ट पढ़ूं। ...(व्यवधान) सर, फिरोज़ गांधी जी के नाम का ट्रस्ट अभी तक मुझे मिला नहीं है, बाकी नाम मैंने पढ़ दिए हैं। ...(व्यवधान) सर औजला जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। ...(व्यवधान) सर, मैं औजला जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के नाम पर ही ट्रस्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं सर, इसका खाता आगे आने वाला है। किन कार्यों के लिए बनते हैं?

* Not recorded.

राजीव गांधी फाउंडेशन ने 113 करोड़ रुपये का कॉर्पस ऑफिशियली डिक्लेयर किया। यह सिर्फ डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड तो मुझे पता नहीं।…(व्यवधान) सर, यह बिल्कुल सिस्टेमैटिक और सस्टेन तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटने का काम किया गया। पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 1991 की अपनी बजट स्पीच में 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए एलोकेट करने की बात कह दी।…(व्यवधान)

सर, देश के किस ऐसे ट्रस्ट के लिए 100 करोड़ रुपये उस समय, पूरे सदन में हल्ला हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। फिर वापस सोनिया जी को मनाने गए। सोनिया जी ने एक नया तरीका ढूंढ कर रख दिया कि निर्देश जारी कर दो- अलग-अलग विभाग देगा। विभागों ने कैसे नहीं दिया। मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि प्लानिंग कमीशन ने एक डिक्टेट जारी कर दिया कि जिसमें हर मंत्रालय को एक-एक करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को 1995 में देने की बात कही।…(व्यवधान) अच्छा, मीडिया की रिपोर्ट पर आप नहीं जाते। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एनवायर्नमेंट, स्मॉल स्केल इंड्रस्ट्रीज़, हेल्थ से वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 लगातार हर वर्ष पैसा मिलता गया। सर, कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शायद ही होगी, जिसने पैसा न दिया हो। चाहे वह सेल हो, गेल हो, तेल हो, गैस हो, जिससे जो लेना था, सब ले लिया। बैंक हो, एसबीआई से लेकर बाकी सबसे वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 हर साल इन्होंने उन सबसे पैसा लिया।…(व्यवधान) कानपुर में एक लड्डू वाले की दुकान है, उसमें वह लिखता है कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे हमने ठगा नहीं। इनके लिए बनता है- ऐसा कोई बचा नहीं, जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं। अभी तो साजे दिल में तराने बहुत है, अभी आपके कच्चे चिट्ठे सामने आने बहुत हैं। इसलिए चिंता मत करो।

सर, यही नहीं, मैं आपके माध्यम से सदन को याद कराना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से जैसे वर्ष 2005 से 2008 के बीच पैसा पीएमआरएफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को

दिया गया, तीन साल लगातार।...(व्यवधान) यहां पर एक तरफ से पैसा इकट्ठा किया, दूसरी तरफ दे दिया। इसी तरह से तीन मूर्ति भवन लुटियन दिल्ली में किसके नाम पर, एक ही परिवार के लिए तीन मूर्ति भवन, 30 एकड़ जमीन, आप कल्पना कर सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की सहमति हो तो हाउस का समय दोनों विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes….(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, तीन मूर्ति भवन लगभग 30 एकड़ जमीन है, जो इस परिवार के लिए दी गई। अगर देखें तो इसकी भी मार्किट वैल्यू कम से कम 8-10 हजार करोड़ रुपया होगी। अगर मैं राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट की बात करूं और इनकी लैंड डील्स, जमीनों की बात करें।...(व्यवधान) जमीनी नेता तो अब ये रहे नहीं, लेकिन जमीनों वाले नेता जरूर हो गए हैं। चाहे वह चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हो, हरियाणा में हो, गुरुग्राम में हो, देश के अलग-अलग कोनों में हो। सर, चाइना से लेकर लक्जमबर्ग तक से पैसा इनके लिए आया हो। मैं प्राइवेट कम्पनियों के नाम नहीं लेना चाहता, आप कहें तो मैं पूरे ले भी सकता हूँ। शायद ही कोई औद्योगिक घराना ऐसा हो, जिसको इन्होंने छोड़ा हो।

सर, इसी सदन में कई बार जाकिर नाइक के खिलाफ बात कही गई और जाकिर नाइक को पैसा कहां से आता था, आज वह देश के अंदर नहीं आ सकता। सर, राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया लिया।...(व्यवधान)

महोदय, मुझे पता है कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन आज मैं इतना सच बोल रहा हूँ कि इन्हें और भी बहुत कड़वा लग रहा है।...(व्यवधान)

सर, अगर इन्होंने वर्ष 2011 में, जिसके आतंकवादियों से लिंक थे, ऐसे ज़ाकिर नाइक से वर्ष 2011 में इन्होंने 50 लाख रुपये लिए तो वर्ष 2014 में आपने वापस क्यों किए, इस बात का

जवाब भी आपको देना पड़ेगा।…(व्यवधान) बताइए कि तीन साल तक क्या किया? …(व्यवधान) यह भी बताइए कि इंटरेस्ट समेत दिया या बगैर इंटरेस्ट के दिया है। तीन साल तक और चाइना से तीन लाख डॉलर किसलिए, क्या अध्ययन करना था, बाइलैटरल ट्रेड, एफडीए, अरे हिन्दुस्तान का बाइलैटरल ट्रेड में अगर ट्रेड डेफिसिट कहीं हुआ है तो वह आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है और आप उसे बनाने के लिए पैसा भी चाइना से लेते थे। इस बात पर भी आपको देश से मॉफी माँगनी चाहिए।…(व्यवधान)

सर, प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा राजीव गाँधी फाउंडेशन में जाता था और राजीव गाँधी फाउंडेशन से यह पैसा अलग-अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में जाता था। क्या करते थे? क्या देश को गाँधी परिवार बतायेगा कि वह इस पैसे का क्या करता था? कहाँ पर यह पैसा खर्च किया गया? क्या आपकी कोई वेबसाइट बताती है कि वह पैसा कहाँ गया है? अरे हमने तो जब पीएम केयर्स फंड बनाया, उसे रजिस्टर्ड भी करवाया और वेबसाइट पर पूरा खाता भी रखा है। हमने ईमानदारी के साथ काम करके दिखाया है।

सर, एक ओर आतंकवादियों से जुड़े हुए व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरी को वह पैसा देने का काम, वर्ल्ड विजन जैसे लोगों को देने का काम किया है।…(व्यवधान)

सर, कहाँ से? प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में देश की गरीब जनता ने अपना पैसा प्रधान मंत्री के नाम पर दिया और आपने गाँधी परिवार के ट्रस्टों के लिए ले लिया। वहाँ से आपने किसी क्रिश्चियन मिशनरी को दे दिया और कहाँ-कहाँ खर्च किया, इसका किसको पता चलेगा, लेकिन जब पता चला कि मैडम सोनिया गाँधी जी एनएसी की चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ कई ट्रस्टों की भी चेयरपर्सन्स हैं। जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एलीगेशन लगे तो सोनिया गाँधी जी को इस्तीफा देना भी पड़ा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, अधीर जी कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, उनकी बात सुन ली जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप माइक में बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, बात यह है कि अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाने की जरूरत होती है, तो पहले उनको नोटिस देना पड़ता है।

दूसरी बात, जो सदन में उपस्थित नहीं रहते, अपने को डिफेंड करने का जिनके पास मौका नहीं रहता, जो सदन के सदस्य हैं और उनके पास डिफेंड करने का मौका नहीं है तो उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं।

सर, आप रूल बुक में यह देख सकते हैं। सोनिया गाँधी जी इस सदन की मेंबर हैं, वे अपनी चिकित्सा कराने के लिए बाहर गई हैं और उनके नाम पर यह धब्बा लगाया जा रहा है, जो अभी अपने को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं हैं। वे अभी सदन में मौजूद नहीं हैं।

सर, एक बात सुन लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हाउस इस तरीके से चले तो आप चलने दीजिए। अगर वे सोचते हैं कि हम लोगों की यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तो हमें बोल दीजिए, हम चले जाते हैं।…(व्यवधान) सर, हम चले जाते हैं।…(व्यवधान) अगर कुछ नहीं चलेगा तो हम चले जाते हैं।…(व्यवधान) सर, बिल्कुल आपको सुला दिया है।…(व्यवधान) सर, हम लोग बिल्कुल यह सदन छोड़कर जाने वाले हैं, अगर आपकी मौजूदगी में ये इस तरीके की… * बातें यहाँ करते जाएंगे।…(व्यवधान)

सर, अगर ये आपकी मौजूदगी में इस तरीके की… * बातें करते जाएंगे, रूल बुक आदि को कोई मान्यता न दें, तो हमें यह सदन छोड़कर जाना पड़ेगा।…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : वे कानून के हिसाब से बोलेंगे। आप कृपया बैठिए।…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मंत्री महोदय आरोप लगाने में माहिर हैं। वे जिस पारदर्शिता की बात करते हैं तो क्या वे बताएंगे कि वह पारदर्शिता विवेकानंद फाउण्डेशन में है, इंडिया

---

* Not recorded.

फाउण्डेशन में है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बी.जे.पी. में है? …(व्यवधान)* कौन है? दमन वेंटिलेटर स्कैम के बारे में बोलिए। चीन में टिकटॉक का कितना पैसा है? ज़ाकिर नाइक की बात करते हैं। ज़ाकिर नाइक का तो पैसा वापस गया, लेकिन टिकटॉक का पैसा कब वापस जाएगा? …(व्यवधान) चीन के पैसे कब वापस जाएंगे? …(व्यवधान) चीन के साथ हुई लड़ाई में हमारे सिपाहियों ने अपना बलिदान दिया और आपको इतना साहस दिया कि आप चीन के पैसे वापस करें। आपने एशियन इंवेस्टमेंट बैंक से पैसे लिए। क्या आप में इतना साहस भी है कि आप वे पैसे वापस करें? अरे, क्या आप इतने दुर्बल हो गए कि चीनी पैसों से आप कोविड-19 का रेस्क्यू करेंगे? आप पी.एम.एन.आर.एफ. की बात करते हैं।…(व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी ने पी.एम.एन.आर.एफ. फण्ड को कितनी बार यूज किया? …(व्यवधान) नेशनल रिलीफ फण्ड को वर्ष 2017 में यूज किया।…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: आदरणीय अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।…(व्यवधान) आज़ादी से अब तक कांग्रेस का यह सफर बदस्तूर जारी रहा है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am on a Point of Order under Rule 353. It says:

> "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.

* Not recorded.

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the Speaker is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

सर, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सोनिया गांधी जी के बारे में ...* करके इस सदन की गरिमा बढ़ेगी? अगर यह बढ़ेगी तो आप इसकी इजाजत दे दीजिए ।...(व्यवधान) यह फैसला आपको करना है ।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, मैं यील्ड नहीं करूंगा ।...(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं उन्हीं सब बातों पर अपने विचार रख रहा हूं, जो माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने सबके भाषण सुने हैं। आपने ही इसकी स्थापना से लेकर पारदर्शिता और मिसयूज ऑफ फण्ड्स इत्यादि के बारे में कहा। अगर आपने यह नहीं पूछा होता तो मैं इसके बारे में क्यों बोलता? आप सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा और क्या मंत्री इसका उत्तर भी न दे? ...(व्यवधान)

सर, देश को और सदन को यह जानने की जरूरत है या नहीं है? पीएम-केयर्स को करने की क्या आवश्यकता पड़ी तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं ।...(व्यवधान)

वे प्रदेश में बैठ कर ट्वीट पर ट्वीट करते गए,
पुश्तैनी चादर ओढ़ कर बड़ी ...* करते गए।

---

* Not recorded.

सर, मैं कुछ और बातों पर आना चाहता हूं क्योंकि मैंने दो-तीन बातें कही हैं।...(व्यवधान) मेहुल चौकसी, जो पी.एन.बी. फ्रॉड करके चला गया। उससे भी इन्होंने दस लाख रुपये ले लिए ।...(व्यवधान) उससे भी दस लाख रुपये आपने नहीं छोड़े? ...(व्यवधान) यस बैंक के फाउण्डर ...*से भी इन्होंने दस लाख रुपये ले लिए ।...(व्यवधान) जो एन.एस.ई.एल. स्कैम का ...* है, उस स्कैम करने वाले से इन लोगों ने पचास लाख रुपये ले लिए।...(व्यवधान)

सर, यही नहीं जो जवाहर भवन है, वर्ष 1985 में उसकी कीमत 100 करोड़ रुपये थी। सर, मैं कितने चिट्ठे खोलूँ, अगर आज उसको देखेंगे तो लगभग उन्होंने ऐसा कोई पीएसयूज़ नहीं छोड़ा, जिससे इन्होंने पैसे न लिए हो।

सर, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात को विराम दूँगा। यह देश को बताना इसलिए जरूरी था और माननीय सांसदों को भी, जिन्होंने इस कोविड-19 के समय में भी अपना समय दिया है। ...(व्यवधान)

सर, अगर मैं पेंटिंग की चर्चा करूँगा तो फिर ये बोलेंगे कि वह तो इस सदन के सदस्य ही नहीं हैं। जो दो हैं, वे विदेश में हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो विदेश में इलाज कराने नहीं जा सकता है। इसलिए, मैं उसको छोड़ देता हूँ।

सर, मैं दूसरी बात कहूँ कि कुछ फाउन्डेशंस की बात कही गई ।...(व्यवधान) उन फाउन्डेशंस का क्या है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन फाउन्डेशंस को कोई बजटरी सपोर्ट का पैसा नहीं दिया गया, कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया का कोई पैसा नहीं दिया गया, जहाँ दिया गया, वहाँ से लेने का काम राजीव गाँधी फाउन्डेशन ने किया है, इसलिए आपको जवाब देना बहुत आवश्यक है।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

सर, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूँ, जो लोग इस ट्रस्ट के सचिव बने, असली खेल तो इनका रियल एस्टेट का था। चाहे जवाहर लाल नेहरू ट्रस्ट की जमीन हो, चाहे जवाहर भवन की हो और बाकी अन्य की हो, इन्होंने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा है, जिसमें अपने ट्रस्ट के नाम पर जमीन न ली हो। आज उसकी कीमत देखी जाए। क्या कोविड-19 के समय आप देश के लिए वे सारी जमीनें वापिस देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सारे फंड का पैसा देश में कोविड पर खर्च करने के लिए तैयार हैं? कितना पैसा इन्होंने अपने फंड से कोविड-19 के लिए खर्च किया? क्या आप देश को बताने के लिए तैयार हैं?

सर, यही नहीं, आज तक क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। यहाँ तक कि हैदराबाद हाउस जो केवल बड़े कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने वह भी, राजीव गाँधी फाउन्डेशन के कार्यक्रमों और कॉंफ्रेन्स के लिए इस्तेमाल किया। यही नहीं, एम.एच.आर.डी. जो अब शिक्षा मंत्रालय बन गया, इससे फ्लाइट्स टिकट्स भी इंटरनेशनल स्पीकर्स के लिए लेते थे। सर, कौन-सा विभाग इन्होंने परिवार के नाम पर छोड़ा है।

सर, जो अगली बात आती है, इनके ट्रस्ट में जो इनके सेक्रेटरी के नाम पर आए। वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 1998 तक पुलोक चटर्जी थे। इनको बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पी.एम. बनाया गया। वज़ाहत हबीबुल्ला एक और एग्जाम्प्ल है, जिनको पीएमओ, सीआईसी से लेकर माइनॉरटी कमीशन तक दिया गया।

सर, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ, which is the Statement of the then Vice-Chairman, Shri Abid Hussain. …(*Interruptions*) Sir, this shows their arrogance and non-Official control. …(*Interruptions*) It is best captured in this Statement made in 1995. You have to listen, Sir. …(*Interruptions*) It says:

“We are independent, free, and autonomous but the MEA and the PMO are very responsive to us because we work on the subjects in which they are terribly interested.”

सर, इसका क्या मतलब है? कौन-सी ऐसे सब्जेक्ट पर आप काम करते थे? क्या इन फाउन्डेशंस का उपयोग किया जाता था? वैसे वह पूरी सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन आपके ट्रस्ट उन कामों में लगे रहते थे। इस ट्रस्ट का इंट्रेस्ट भारत में था, या कहीं और था? इसे आपको बताना पड़ेगा। यहीं नहीं, मैंने चाइना, लक्ज़मबर्ग से लेकर बाकी सब की बात कर ही दी है। डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी से लेकर सभी की बात कर दी। नेशनल हेराल्ड तो मुझे लगता है कि देश के लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। सर, मेरा केवल इतना ही कहना है कि आप उनको बचाने की कोशिश करें, जो पहले बेल पर हैं। मैंने जितनी बातें यहाँ पर कही हैं, …(व्यवधान) मैं सदन में कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। …(व्यवधान)

सर, काँग्रेस के सदस्य ने अभी कहा कि यह …* है तो उनके नेता मेरे बाद बोलने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि अगर मैंने एक भी …* बोला है तो कृपया करके उस …* को अपनी ओर से पूरा तर्क देकर कहें कि यह …* है और उसका तथ्य देकर कहें, क्योंकि कल जब मैंने पूरे तथ्य देकर अपनी बात कही थी। मेरा एक शब्द भी, मेरी पिछले कल की पूरी स्पीच निकालिए, मेरा एक शब्द भी अनपार्लियामेन्ट्री नहीं था। केवल एक परिवार, एक ट्रस्ट या किसी के ऊपर मैंने बात अभी रखनी शुरू की थी, तो पूरा हंगामा खड़ा हो गया। …(व्यवधान) वाक आउट हो गया।…(व्यवधान)

सर, कहा गया हिमाचल का …*…(व्यवधान) फिर कुछ और भी कहा गया। …(व्यवधान) मैं इनके लिए सक्षम हूं । जब ये लोग यूपीए में घोटाले करते थे, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते सड़कों पर इनकी धज्जियां उड़ाता था और इनको उखाड़ फेंकने के लिए हमने काम किया है। हमने लाठियां खाई हैं, आंदोलन किए हैं, पानी की बौछारें खाई हैं। आपके

* Not recorded.

भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए आज तक मुकदमे झेल रहे हैं और आज भी आपके सारे भ्रष्टाचार को बेनकाब करूंगा। आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल का …* कौन? देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए, तो वे हिमाचल प्रदेश से हुए। कारगिल की लड़ाई में यह पहली बार हुआ कि शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचाया, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहुंचाया था। उस लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादत किसने दी, तो हिमाचल के… * ने दी थी। हमारी 70 लाख की आबादी है। उस लड़ाई में चार परमवीर चक्र विजेता हुए। छोटे से प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दो … *, अगर इनको …* शब्द ही पसंद है, तो मैं वैसे ही कह रहा हूं। हमारे वीर जवान परमवीर चक्र विजेता हुए। …(व्यवधान) कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफल मैन संजय कुमार, जो मेरी कांस्टीच्युएंसी से आते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि हां, मैं वीरभूमि का … * हूं, मैं हिमाचल का …* हूं। आपको गाली के शब्द कुछ और मिलते होते, आप वे भी ले लेते, मुझे उससे कोई परहेज नहीं था। आप पहली बार नहीं, बार-बार सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। You are a ... ** यह आपने पहली बार नहीं किया है। आप हर बार माफी मांगते हैं। आज मैं माफी मांगने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं इस विषय को भी नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन दर्द तब हुआ, जब रात को साढ़े 10 बजे के बाद जाकर ढंग से फिर वहां पर सुना। जिस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मंदिर के रूप में मानकर देश के प्रधान मंत्री मोदी जी शीश झुकाकर अंदर आते हैं, ये सामने बैठे कांग्रेस के लीडर उसको बाजार कहते हैं और इधर के सांसदों को … * कहते हैं। सर, ये शब्द हैं। मैं माफी मांगने के लिए इनको बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जितना इनको कहना है, जो इनके कारनामे हैं, उस पर मैं ज्यादा और नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया करके इन शब्दों को निकाल दिया जाए। यह उचित नहीं होगा। अगर सदन को लगता है कि निकालना चाहिए तो आप कह सकते हैं, अगर वे

---

* Not recorded.

** Expunged as ordered by the Chair.

उचित शब्द नहीं थे। अभी … * कह देना। मैंने हर बात तर्क देकर कही। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाए।

जो लोग उस ट्रस्ट के सदस्य थे, उन्होंने जो अब तक किया है, मैंने केवल उनकी बात रखी। एक ऐसा ट्रस्ट प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो आज तक रजिस्टर नहीं हुआ, जिसने सारी एग्जंप्शंस पाईं। क्या आप उसकी तुलना एक ऐसे काम से कर सकते हैं, जो कोविड-19 की लड़ाई के समय माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है? देश के लोगों की सेवा करने के लिए एक-एक कदम, 27 मार्च को उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर, उसकी 12 ए की रजिस्ट्रेशन से लेकर, 80 जी के एग्जंप्शन से लेकर, एफसीआरए से लेकर, शेड्यूल 7 ऑफ सीएसआर तक सबमें एक-एक कानून के तहत कदम उठाया गया। मैं आपके माध्यम से देश और सदन को आश्वास्त करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का आज तक का राजनीतिक जीवन देख लीजिए, ईमानदारी भरा, सुशासन भरा, पारदर्शिता भरा रहा है और पीएम केयर्स फंड भी इतना पारदर्शिता भरा ही रहेगा।

इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं और आपके समर्थन की उम्मीद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* Not recorded.

श्री अधीर रंजन चौधरी: सदन में चर्चा हो, जरूर आप यह चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं, यह मुझे लगता है। लेकिन कल से एक चीज मैं देख रहा हूं कि सोचे-समझे तरीके से कांग्रेस के खिलाफ ... * करके इल्जाम पर इल्जाम लगाकर, जिस विधेयक पर चर्चा होनी जरूरी है, उसमें सारी चीजों को भ्रमित करना और गुमराह करने का एक सोचा-समझा तरीका हम कल से देख रहे हैं। यहां जवाहर लाल नेहरू जी की धज्जियां उड़ाई गई कि 1948 में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, एक रिलीफ फंड बनाया, वह रिलीफ फंड रजिस्टर नहीं हुआ, उसमें घपला हुआ, उसमें काफी करप्शन हुआ। यही बात कही गई।

मैं एक बात जरूर कहता हूं, एक मिनट सुन लीजिए, कान में माइक लगा कर सुन लीजिए, मैं इंग्लिश में कहूंगा, ट्रांसलेशन सुन लीजिए।

> "*Death is certain, the body is ephemeral. The golden body that yesterday we consigned to the funeral pyre of sandalwood, was bound to end. But did death have to come so stealthily? When friends were asleep and guards were slack, we were robbed of a priceless gift of life.*
>
> *Bharat Mata is stricken with grief today — she has lost her favourite prince. Humanity is sad today — it has lost its devotee. Peace is restless today — its protector is no more. The down-trodden have lost their refuge. The common man has lost the light in his eyes. The curtain has come down. The leading actor on the stage of the world displayed his final role and taken the bow.*"

---

* Not recorded.

वर्ष 1964 में राज्य सभा में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिवंगत आत्मा नेहरू जी के सम्मान में ये बात कही थी। आपके पार्टी के इतने बड़े नेता, जिन्हें हम सभी मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी की मेमोरी में राज्य सभा में यह बात रखी। अगर इस सदन में उसकी निंदा होगी तो किसका अपमान किया जा रहा है? आप जवाहर लाल नेहरू का अपमान कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अपमान कर रहे हैं, दोनों का ही अपमान कर रहे हैं। इसके लिए आपको कहा कि हिमाचल का ...* तुम नहीं जानता, हिमाचल का ...* मतलब हिमाचल का बच्चा तू नहीं जानता, मतलब बॉय, बालक, हिमाचल का बालक तुम नहीं जानता, क्योंकि तुम कितनी बड़ा गलती कर रहा है, तुम नहीं जानते, हिमाचल का बालक, यही मैंने कहा। मैं पढ़ कर सुना देता हूं, आपको साल भी बता रहा हूं। After Prime Minister, Jawaharl Nehru's death in May, 1964, Atal Bihari Vajpayee, then a Rajya Sabha Member, paid homage in Parliament to India's first Prime Minister. उन्होंने और क्या-क्या कहा, सुनाऊं,

> *"In the Ramayana, Maharashi Valmiki has said of Lord Rama that he brought the impossible together. In Panditji's life, we see a glimpse of what the great poet said. He was a devotee of peace and yet the harbinger of revolution, he was a devotee of non-violence but advocated every weapon to defend freedom and honour."*

आप उनको ...* साबित करते हैं। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): स्पीकर साहब, मुझे एक बात बहुत विनम्रता से कहनी है। अधीर बाबू अपनी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने फिर उस शब्द का प्रयोग किया। चाहे भारत का प्रदेश हिमाचल, उत्तर प्रदेश,

---

* Not recorded.

राजस्थान या बंगाल हो, हर प्रदेश के नौजवान, बच्चे और बूढ़ों को सम्मान मिलना चाहिए। सदन में फिर उस शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि उसको रिपीट न करें। जो शब्द कहीं से भी आया, उसको डिलीट कर दें, मैं यही आग्रह कर रहा हूं। आपने फिर उस शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग मत कीजिए, यही मैं कह रहा हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं जो महसूस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बालक तुम इतना बुरा काम न करो। मैं यही कह रहा था। बालक तुम इतना बुरा काम न करो क्योंकि तुम्हारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिवंगत जवाहर लाल नेहरू की शरण में यह बात रखी थी। पंडित रवि शंकर जी आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप जरा सा पढ़ लीजिएगा और बालक को समझा दीजिएगा। मैंने उनको बालक कहा, मैंने उनका अपमान बिल्कुल नहीं किया, हमारा प्यारा बच्चा है। बीजीपी की घोल खाकर घूम रहा है, उनको भी नशा चढ़ गया है। उनको दिखाना है कि देखो मैं कितना कांग्रेस के विरोध में हूं, उसे दिखाकर पोस्ट बचाना चाहते हैं। इसलिए कहा कि बालक तुम ऐसा न कर।

तुम हिमाचल के बालक हो, हिंदुस्तान के बालक हो, लेकिन बालक तू ऐसा न कर, जवाहर लाल नेहरू जी का अपमान न कर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा नहीं सहेगी। मुझे यही बोलना था, और कुछ नहीं। …(व्यवधान) महोदय, रूल के हिसाब से बात की जाए तो कोई हर्ज नहीं है।

सर, कल भी मैं निर्मला सीतारमन जी की बात सुन रहा था। I recognised her as an accomplished lady of this Cabinet. I respect her. Certainly, she is deserved to be praised. मैडम, जब सदन में कोई विधेयक आता है, तब तो हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन अधिकार तो है। फिर भी जब चर्चा खत्म हो जाती है तब हम तुरंत जाकर कहते हैं - मैडम, सिस्टर या एल्डर सिस्टर, मेरा यह काम है। आप करते भी हैं। मैंने जब आपसे मांग की, आपने पूरी की। मेरी पार्टी के लीडर

प्रियरंजन दास मुंशी जी की मृत्यु हो गई थी, हम उनकी डैड बॉडी ले जाने में सक्षम नहीं थे। तब आप डिफेंस मिनिस्टर थीं, आपको मैंने एक बार कहा और आपने तुरंत इंतजाम कर दिया। आपने हैलीकॉप्टर दे दिया, प्लेन दे दिया। मैंने खुद आपको चिट्ठी लिखी – मैडम, आज जिस तरह से आपने हमारे दिवंगत नेता के लिए मदद की है, मैं जिंदगी भर आपको याद रखूंगा। मैंने यह लिखा। मैं क्यों नहीं लिखूंगा? You may be a Minister but you are like my elder sister.

हम आपके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब विधेयक आता है, हमारा कोई सवाल होता है, हमें पार्लियामेंट ने पूछने का अधिकार दिया है, कांस्टीट्यूशन ने दिया है। इसमें आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करें?

मुझे आज भी याद है, वर्ष 2019 में नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जब मुझे इस पद पर बिठाया गया था, मुझे पहली बार सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में बोलने का मौका मिला था। तब मैंने कहा था – देखिए आप लोगों ने हमें टूजी का चोर बनाया, कॉमन वैल्थ का चोर बनाया और भी तरह-तरह का चोर बनाया, कोयला घोटाले का चोर बनाया। …(व्यवधान) प्रधान मंत्री सारे हिंदुस्तान में घूम-घूम कर कहते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, मां-बेटे ने सारे देश की …* …(व्यवधान) जिस दिन सदन में यह चर्चा शुरू हुई, पहली चर्चा में मैंने नरेन्द्र मोदी जी से मांग की थी - नरेन्द्र मोदी जी, अगर मैडम सोनिया गांधी जी, हमारी नेता …* हैं, राहुल गांधी जी …* हैं तो सदन में क्यों बैठे हैं? वे जेल में अब तक क्यों नहीं गए?

सदन में आप सत्ता में आए हैं, पहले भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में सत्ता में थे।…(व्यवधान) फिर आप सत्ता में आए, दो बार आए। …(व्यवधान) आप लगभग 12-13 साल तो सत्ता में रहे हैं, और भी रहेंगे, जरूर रहना चाहिए।…(व्यवधान) लेकिन …* कब तक सुनेंगे? …* सदन में क्यों आते हैं? …* जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं रहते हैं? अगर हमारे

* Not recorded.

नेता ...[*] होते तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तरह भाग जाते। वे तो यहां सीना तानकर खड़े हैं।...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप भी तो हमें यह बात बोलते हैं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप ...* मत करो। ...(व्यवधान) बात करने दो। ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: यही बात उन लोगों की है। अरैस्ट करके क्यों नहीं दिखाया?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : ये उनकी नेत्री को दिखाना चाहते हैं, वो भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी किसी से कम नहीं हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय वित्त मंत्री जी हम जानकारी लेना चाहते हैं, हम यह जानकारी आपसे ही लेंगे, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं। यदि आप वित्त मंत्री नहीं रहतीं तो मैं सवाल नहीं पूछता। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसलिए पैरलेल फंड बनाने की जरूरत है। What is the need for creating a parallel fund? यह हम जानकारी लेना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बोलेंगी। एक पीएम नेशनल रिलीफ फंड एग्जिस्टिंग है तो पैरलेल फंड बनाने की क्या जरूरत है? यदि जरूरत है तो बता दीजिए। जब हम पूछते हैं कि जरूरत क्यों है तो आप कहते हैं कांग्रेस ने ट्रस्ट क्यों बनाए थे? इससे क्या ताल्लुकात है? मुझे पता नहीं है। पीएम केयर्स फंड को लेकर हिन्दुस्तान में बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए है कि पीएम केयर्स फंड के जो लूपहोल्स है और

---

[*] Not recorded.

इसमें जो सुविधा दी जा रही है, उस सुविधा को बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। फेवर के लिए या कुछ सहयोग के लिए, इसके पीछे राज क्या है? यह हम जानना चाहते हैं। जवाब देना या न देना आपकी मर्जी है। लेकिन, हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी नुमाइंदे बन चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि जब गलवान घाटी में हमारे हिन्दुस्तानी फौज शहादत देते रहे, उसके बाद भी आपने चीनी बैंक से पैसा उधार लिया? चीनी बैंक से पिछले अप्रैल से आज तक आपने कितना पैसा लोन लिया है या कोई अलग इंस्ट्रूमेंट के जरिए लिया है? आप इसके बारे में हमें बताइए।

मैडम, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारे चाइनीज कंपनियों ने PMCares Fund में डोनेशन दिया है। हमारे पास जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों के मुताबिक जियोमी ने 10 रुपये और हुआवेई ने 7 करोड़ डाले हैं। ये हुआवेई कौन है? It is in the US Pentagon's list of the Chinese companies that are owned or controlled by the Chinese military, the People's Liberation Army. वन-प्लस नाम से एक चीनी कंपनी ने एक करोड़ दी है, ओपो कंपनी ने एक करोड़, टिक-टॉक कंपनी ने 30 करोड़ और पेटीएम नाम की एक कंपनी है। It is over 50 per cent owned by the China-based companies. It collected Rs. 100 crore for the Fund. Its target is to collect Rs. 500 crore. यह सच है या नहीं है? यदि नहीं तो आप कह दीजिए कि बिल्कुल नहीं है, तब हम मान लेंगे कि नहीं है। लेकिन, मुझे आशंका इसलिए होती है, क्योंकि जब हमारे फौजियों की गलवान घाटी में शहादत होती है, शहादत होने के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि लद्दाख में न कोई चीनी फौज घुसी है, न कोई घुसा हुआ है और न हमारा कोई कैम्प चीन के कब्जे में है। दूसरे दिन, विदेश मंत्री जी कहते हैं कि बहुत सारे चीनी फौजों का इंट्रूजन हुआ है। राजनाथ सिंह जी भी राज्य सभा एवं लोक सभा में कहते हैं कि पैंगोंग और देपसांग इलाके में हमारे साथ फ्रिक्शन चल रहा है। बहुत सारे इलाके में चीनी फौज घुसी हुई है। हमारी फौज भी लड़ रही है।

माननीय अध्यक्ष : आपका गला खराब है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : वह लड़ेगी, क्योंकि हिन्दुस्तानी फौज ऐसी ही है। वह लड़कर अपने देश की सरज़मीं की रक्षा करेगी। यह हिन्दुस्तानी फौज का सबसे बड़ा धर्म है। हमें आशंका क्यों हुई? जब चीनी फौजें हमारी फौजों को मार रही हैं, हत्या कर रही हैं, हमारे फौजों ने उनसे बदला भी लिया है, उसके बाद अगर हमारे प्रधान मंत्री जी यह कहें कि न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारा कोई कैम्प चीन के कब्जे में है तो हमें तो शंका होगी।

हम जानना चाहते हैं कि इन डोनेशन्स के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का कोई तालुकात है या नहीं है। हम इसीलिए पूछ रहे हैं। सर, मैं बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आज आपका गला भी खराब है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : PMCARES fund appears to have been created to conceal the donations of private persons and corporates. यह हमारी शिकायत है। मैडम, हमने आपसे बहुत सुझाव मांगे हैं। कल भी कुछ सुझाव मांगे थे कि आप स्टेट को जीएसटी दीजिए। मैडम, जैसे आपने 'एक्ट ऑफ गॉड' के लिए कहा है। वर्ष 2014 में जब पीएम नरेन्द्र मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए बंगाल गए थे तो वहां के मुख्य मंत्री जी ने किसी बात पर कहा था कि यह 'एक्ट ऑफ गॉड' है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय प्रधान मंत्री जी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह 'एक्ट ऑफ गॉड' नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी का यह सबसे पहला बयान था। आप चाहे तो पता कर लीजिए। यह हमने नरेन्द्र मोदी जी से सीखा है कि 'एक्ट ऑफ गॉड' के बदले 'एक्ट ऑफ फ्रॉड' कहना मुनासिब है। यह हमने नेरन्द्र मोदी जी से सीखा है। क्या कोई एक्ट ऑफ फ्रॉड तो नहीं होता है? यह बड़ी गोलमोल चीज होती है। The PMCARES is not under the purview of the C&AG, the Chief Audit Agency, for all spending of national exchequer. No scrutiny of any kind is allowed of the PMCARES fund making it susceptible. It becomes susceptible to

mismanagement. ट्रांसपेरेंसी आपकी सरकार का रवैया है । यह आपकी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ऐसा क्यों हो रहा है। यह Hide and seek गेम हो रहा है। हमारे ये सवाल हैं। देखिए अगर हमें कोई डर होता या यूपीए सरकार को कोई डर होता तो हम Right to Information Act सदन में पारित नहीं करते। हमने Right to Information Act लागू करके यह साबित कर दिया है। मुँह से ट्रांसपेरेंसी बोलने से कुछ नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को Legal entitlement दिया जाए। हममें और आपमें यही फर्क हैं कि आप मुंह से कुछ और बोलते हैं, लेकिन काम कुछ अलग करते हैं। लेकिन हम जो भी मुंह से बोलते हैं, उस काम को करके दिखाते हैं। CSR Fund is eligible for donation to PMCARES fund. Would it mean that corporates instead of spending their mandatory CSR fund for developmental work prefer to spend it on the PMCARES fund? यहां बहुत सारे मैम्बर्स ने कहा है। सर, मेरा इस पर एक छोटा सा सवाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर जी को सीएसआर फंड मिलता है तो चीफ मिनिस्टर को सीएसआर फंड क्यों नहीं मिलता है? आपको यह भी देखना चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर को सीएसआर फंड क्यों नहीं देते हैं? उनको भी पैसे की जरूरत होती है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ बहुत पॉलिटिकल अग्रेशन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके अधिकार के लिए उनका समर्थन करता हूं। उनको जीएसटी दिया जाना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी के लिए सीएसआर फंड की सुविधा मुहैया की जाती है तो उनके लिए भी कराई जानी चाहिए। बंगाल में भी पैसे की जरूरत है। पंजाब को भी दिया जाना चाहिए, सभी को दिया जाना चाहिए । जीएसटी एक Constitutional agreement है। वर्ष 2017 में आपने एक बिल पास कराया था। यह Statutory commitment है। आपको कांस्टिट्यूशन का ऑब्लिगेशन तो मानना ही पड़ेगा। हमारी यही मांग है। आप घुमा-फिराकर कहते हैं कि एक्ट्स ऑफ गॉड, हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है । …(व्यवधान) It was a considered decision that the CSR should not be used to fund Government Schemes. A Government panel had

previously advised against allowing CSR contribution to the PMNRF on the grounds that the double benefit of tax exemption would be a regressive incentive. मेरे बहुत सारे साथियों ने इस मुद्दे को उठाया है और मैं भी उठाना चाहता हूं। The PMCARES fund has received exemption from all provisions of the law meant to regulate foreign donation. Although it does not seem to meet the precondition of being a body established and owned by the Government whose accounts are audited by the C&AG. C&AG हमारा वह इंस्टिट्यूशन है, जिसे हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि हम उसकी अहमियत समझते हैं।

सर, कल इंट्रोडक्शन के समय मैंने दो-तीन मुद्दे छोड़ दिए थे, आज की इस चर्चा के लिए वे भी बहुत अहम हैं । देखिए, the Bill provides certain relaxations on penalty and deadline related to tax compliance in the light of the pandemic in India. It also amends the Income Tax Act, 1961 to provide 100 per cent tax deduction for donation to the PM CARES Fund under Section 80G of the Income Tax Act relating to charity. सवाल इस पर आता है कि आपको पीएमकेयर्स फण्ड के लिए इतनी चिन्ता क्यों करनी पड़ रही है? क्या पीएम इतने चिन्तित हो रहे हैं? PM CARES Fund is a non-transparent fund. यह हमारा आपके खिलाफ इल्ज़ाम है। PM CARES Fund is a non-transparent fund. RTI applications seeking information about donation and donor have been rejected. That is why, we are raising various questions. You have given us the opportunity on a golden platter to ask as many questions as possible in regard to the PM CARES Fund.

आप 'विवाद से विश्वास' स्कीम लाए, फिर आपको क्या बोलने की जरूरत है, क्योंकि 'विवाद से विश्वास' स्कीम आप बाजार में लाए हैं, लेकिन इसका कोई फल जिस ढंग से आना चाहिए था, वह अभी तक नहीं आया है।

सर, मैं दो बातें इन लोगों को समझाने के लिए उठाना चाहता हूं। …(व्यवधान) ये कहते थे कि हमारे बहुत सारे चैरिटी ट्रस्ट्स थे, जो तरह-तरह से, सत्ता में रहने के लिए हमने अपनी पावर्स का बेजा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली की चिट्ठी है। इसमें कॉरपोरेट मिनिस्ट्री की तरफ से लिखा गया है:

> "As you are kindly aware the Prime Minister of India has constituted the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) with the primary objective of dealing with any emergency situation such as the ones posed by COVID-19 pandemic and to provide relief to the affected. These challenges of gigantic proportion cannot be met without such one of us going beyond the call of duty."

इसलिए कहते हैं कि चन्दा दो, मतलब कॉरपोरेट मिनिस्ट्री सबसे चन्दा मांगती है। चन्दा मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितना चन्दा आता है, वह कैसे इस्तेमाल होता है, यह पूछना क्या अन्याय होता है? हमारा सवाल यही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : जब आप रिलीफ फण्ड का पैसा खर्च नहीं कर सकते तो दूसरा पीएमकेयर्स फण्ड क्यों बनाते हैं? यही हमारा सवाल है । इसलिए, सर, ये तरह-तरह के हमारे सवाल हैं । हम जीएसटी का हिस्सा मांगते हैं, कल आपने कहा था कि हमने डिवोल्यूशन कर दिया है, लेकिन डिवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट …(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I would like to thank all the Members who have participated in the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill which is brought in because we want to replace an Ordinance.

The Members have definitely spoken on the various aspects of the Bill which is being brought in to replace the Ordinance. I thank the 21 Members who have participated in this debate. I am not reading their names for want of time. But I would certainly want to just highlight very quickly the features of this Bill.

We had to come up with an Ordinance because it was COVID-19 time and the Ordinance was largely for extension of various time limits for compliance and deadlines which were on the people and all of which required deferral because कोविड के समय में फाइलिंग करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना – इन सब में चूंकि लॉकडाउन था, लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कानूनन जो तय हो रखी हैं, उन डेट्स को पोस्टपोन करने के लिए ऑर्डिनेंस की आवश्यकता थी और उस ऑर्डिनेंस को अभी रिप्लेस करने के लिए बिल की भी आवश्यकता है।

<u>20.00 hrs</u>

It is because some dates are already part of the Act, कि फलां तारीख के अंदर इसे फाइल करना है, फलां तारीख के अंदर यह फार्म भरवाना है। ये सभी बातें कानून का अंग बन चुकी हैं, इसलिए इन्हें बदलने के लिए आर्डिनेंस के द्वारा, क्योंकि पैनडेमिक सिचुएशन थी, संसद सत्र के लिए इंतजार करना असंभव था और जनता को तुरंत राहत देनी आवश्यक थी,

इसलिए आर्डिनेंस लाया गया । उस आर्डिनेंस में ज्यादातर ऐसे डेफरल के लिए, कम्प्लायेंस की डेट पोस्टपोनमेंट करने के लिए और जब समय पर टैक्स नहीं भरा जाता है, तब उसके ऊपर पेनल्टी लगती है । उस पेनल्टी को वेवर करने का अधिकार किसी अधिकारी का नहीं होता है । यदि कम्प्लायेंस की डेट पोस्टपोन नहीं होती है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट करना भी आवश्यक होता है । चूंकि यह सब एक्ट का पार्ट है, इस चीज को बदलने के लिए आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ी । ज्यादातर अमेंडमेंट क्लाज-2 में, क्लाज-3 में उस समय इसलिए किए गए ताकि पेनल्टी न देनी पड़े । पहले पेनल्टी न देने पर प्रोसीक्यूशन होता था। उस प्रोसीक्यूशन को रोकने के लिए, लेट पेमेंट के लिए भी दंडनीय आरोप लग सकते हैं । उसे डेफर करने के लिए भी आर्डिनेंस की जरूरत पड़ी । डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जितना भी पोस्टपोनमेंट करना, पेनल्टी वगैरह पर जो असर पड़ता है, उसे स्थगित करने के लिए आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ी । अब उस आर्डिनेंस को बिल के रूप में अर्लीएस्ट् सैशन में लाया गया है ।

सुबह कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि आर्डिनेंस के अलावा भी आप इसमें कुछ जोड़ रही हो और चेयर से भी क्लीयरली फाइनल डायरेक्शन भी मिला कि इसमें कोई गलती नहीं है । सिर्फ आर्डिनेंस बिल के रूप में ही लाया जाना है और उसमें कुछ नई चीज नहीं जोड़नी है, ऐसा एक प्रश्न उठाया गया । उसके लिए चेयर से डायरेक्शन आया और उसमें कुछ गलत नहीं है कि आर्डिनेंस के अलावा अन्य विषय भी जोड़कर बिल लाया जा सकता है और ऐसे कुछ विषय जोड़कर बिल लाया गया है । बिल में आर्डिनेंस के अलावा जो भी नया विषय है, उसे क्यों जोड़ा गया और क्या नया है, उसके बारे में मैं संक्षेप में बोलना चाहती हूं । 'विवाद से विश्वास' आप लोगों को याद होगा, उसकी डेट पहले 31 मार्च थी और उसे बाद में जून तक आर्डिनेंस के द्वारा एक्सटेंड करवाया गया । अब उसे 31 दिसम्बर तक एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके लिए अभी बिल के द्वारा we are also taking the power in case stakeholders want to extend it further क्योंकि पैनडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तो 'विवाद से विश्वास' के लिए डेट 31 दिसम्बर तक

इस कानून के द्वारा एक्सटेंड करना चाहते हैं । यदि तब तक पैनडेमिन खत्म नहीं होता, दोबारा पार्लियामेंट के पास इस विषय को लेकर न आना पड़े, इसके लिए हम पावर ले रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो डेट एक्सटेंड की जा सके । ऐसे ही डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज में डेट डेफरल कर रहे हैं, उनके कम्प्लायेंस में दिक्कत आ रही है और ऐसे ही कस्टम्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज की भी डेट एक्सटेंड करनी थी । ऑल कम्प्लायेंस आर्डिनेंस के द्वारा 30 जून तक जो समय दिया गया था, अब उसे 30 सितम्बर तक एक्सटेंड करके छोड़ रहे हैं । वह बदलाव भी क्लाज-6 के अमेंडमेंट के द्वारा इस बिल में लाया जा रहा है । फिर सीजीएसटी एक्ट के ऊपर बहुत प्रश्न उठाए गए । Why do you need to change the CGST? आप इसमें क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी रिलेटेड कम्प्लायेंसेज में भी जीएसटी काउंसिल की अनुमति लेकर उस कम्प्लायेंस डेट को पोस्टपोन करने का भी प्रोविजन जीएसटी काउंसिल द्वारा लेकर आ रहे हैं ।

This is done on the recommendation of the GST Council. क्योंकि जीएसटी काँसिल ने उसे लागू करने के लिए हमें 20 तारीख से अनुमति दी थी, मगर लॉकडाउन एक्चुअली 24 तारीख से ही लागू हुआ, 24 तारीख को एनाउंसमेंट हुआ और यह 25 तारीख से लागू हुआ । हमें 20 तारीख को काँसिल से अनुमति प्राप्त हुई है, क्या उसको मान्यता नहीं दें? इसलिए हम उस लिमिटेड एक्सेटेंट तक रिट्रोस्पेंक्टिव में उसको ले रहे हैं । काउंसिल से रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन लेने के लिए सीजीएसटी कानून में इसलिए आवश्यकता पड़ी कि 23rd March was the first day and then, from 25th March, the lockdown started, but the notification came in April. So, to that limited extent, the Council said 'do it from 20th.' We are respecting only that much. मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि इस प्रोविजन से कॉम्पेनसेशन पेमेंट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है । क्या आप रेट्रोस्पेक्टिव में गड़बड़ करेंगे? कुछ नहीं । So, this is only for the sake of those date deferrals which we need to do. इस बिल के अमेंडमेंट के क्लॉज-7 में सीजीएसटी एक्ट से संबंधित विषय है । क्लॉज-8 के ऊपर, जैसा कि मैंने

पहले विवाद से विश्वास के बारे में बोला है, वैसे ही सब के विश्वास के लिए जो चलाया था, दिसम्बर, 2019 तक उसकी डेड लाइन थी, हम ने उसको मार्च तक एक्सटेंड करवाया। अभी वह जून तक थी, हम वह बात इसमें डाल रहे हैं। So, we have to include it because it happened during the Session of the Parliament. इसके अलावा आखिर में हम तीन-चार स्टेप्स इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ला रहे हैं। माननीय सदस्य ने आईएफएससी, गिफ्ट सिटी पर भी कमेंट किया है। हम इस देश में गिफ्ट सिटी, एक फाइनैंशियल सर्विसेज ग्लोबल सेंटर बना रहे है, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। इससे इसका मतलब कुछ और नहीं है, मुझे जितना भी कानूनन मालूम है, वह ओरिजनल कानून में और स्वर्गीय माननीय अरुण जेटली जी ने इस सभा में जवाब देते हुए कहा था कि इस देश में इस कानून के द्वारा जब-जब आवश्यकता पड़ती है, तब-तब एक इंटरनेशनल फाइनैंशियल सेंटर बना सकते हैं। It is not as if just one will be there. मगर जो वन अच्छा चल रही है, उसको पुष्टि देना है या नहीं देना है। हम किसी और का छीन कर कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसको निगेटिवली लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं उतना बोल पाऊं। सिमीलरली, आपको याद होगा, लास्ट ईयर एक गलतफहमी, हां मैं यह भी मानती हूं कि टैक्सेशन अधिकारीगण का एक गलत इम्प्रेशन मानने को तैयार हूं। मगर उसमें एकाध लोग कुछ गलती किए होंगे, उसकी वजह से टैक्स टेररिज्म-टैक्स टेररिज्म की फीलिंग हुआ करती थी। प्रधान मंत्री जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इसे फेसलेस बनाया, ताकि डायरैक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, उसमें एक इम्प्रेशन था कि पर्सनली मिलने में कुछ गड़बड़ी हो रही है। शायद एकाध गड़बड़ हुई है, मगर पूरे रेवन्यू सर्विस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जो अनावश्यक था, क्योंकि जेन्विनली, सिनसेयर ऑफिशियल्स हैं और वे जान को खतरे में डाल कर काम कर रहे हैं।

सर, कल-परसों की घटना आपके संज्ञान में जरूर होगी, फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूं, इससे पहले एक और ऐसी घटना हुई है, जिसमें गोल्ड स्मगल करने वाले की गाड़ी का पीछा हुआ, उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनकी गाड़ी से पांच किलोग्राम गोल्ड निकला। ऐसी एक घटना राजस्थान में हुई और दूसरी घटना केरल में हुई, जहां यह निकला। जब केरल में यह निकला तो

उनको धक्का मार कर गाड़ी गिराई, customs officials and DRI officials had to go with multiple bone fractures to the hospital.

जान खतरे में डालकर काम करने वाले अधिकारीगण रेवेन्यू सर्विसेज में हैं। गलतफहमी की वजह से पूरे रेवेन्यू सर्विस को निगेटिवली प्रोजेक्ट किया जाता था। प्रधानमंत्री जी की एडवाइस पर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज फेसलेस स्कीम के तहत 58 हजार टैक्स पेयर्स का पायलट टेस्ट करवाया गया। पायलट टेस्ट सक्सेसफुली होने के कारण प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरे देश में लागू करने के लिए उद्घाटन किया। बाद में कोई और आकर उसे बदल न पाए, इसलिए कानून में ही ऐसा प्रावधान किया जा रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इस देश में टैक्स ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको कानूनन लाया गया है।

टीडीएस और टीसीएस कलेक्शन इस समय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मन में ऐसा शक था, इसलिए उसका रेट भी 25 परसेंट कम कर रहे हैं। जहाँ सौ रुपए टीसीएस और टीडीएस में पे करना था, उसको 100 से कम करते हुए 75 तक करवाया ताकि किसी को इस पैंडेमिक के समय दुख न हो, इसमें वह भी शामिल है।

एकाध सदस्य ने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात की। जो नया सिस्टम 1 जून से लागू होना था, उसकी घोषणा 2019 के बजट में हुई। उसे अभी अगले साल तक पोस्टपोंड कर रहे हैं। यह सब कानूनन बोला गया, इसलिए अभी पैंडेमिक के संदर्भ में कानूनन बदलाव भी लाना है। इसमें अमेंडमेंट्स के रूप में इतना ही है।

एकाध विषय यह भी आया कि आप एआईआईबी के द्वारा क्यों फण्ड ले रहे हैं, वह चाइनीज है। सॉरी, यह गलतफहमी है। जैसे एडीबी है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, मल्टिलैटेरल फण्डिंग इंस्टिट्यूशंस हैं, जिनमें हमारे सब्सक्रिप्शंस भी हैं। इसीलिए चाइनीज फण्ड कहना, सॉरी, यह गलतफहमी है, फंडामेंटली रॉंग है। उस गलतफहमी को मन से हटा दीजिए।

आखिर में, मैं जिस विषय पर आ रही हूँ, उसकी बहुत ही चर्चा हुई है। I want to say this one completely in English क्योंकि मेरे कुलीग माननीय अधीर रंजन चौधरी जी अपने अपोजिशन के स्थान से वे बोल सकते हैं हिमाचल का *…* *, he is coming into the Parliament fourth time or fifth time. He may look young. He may have a mind of a young person. But he is a fairly experienced Parliamentarian. I am not saying this just because he is my colleague. Each one of us has reached this august House because of immense work and trial. We have put a lot of efforts to come here. Let us not do anything to undermine one another. We should answer each other's question. If you ask me a question, I should answer you. Similarly, if he asks you a question, you also will have to answer it. You call him '*balak*'. It does not matter whether you call him *…** locally or 'balak' in a nice Sanskritised way. But he is still an hon. Member of Parliament and he is still my colleague, hon. Minister of State. इसलिए अंडरमाइन नहीं कीजिए। This is the House which has seen eminent people. You have this wonderful picture of Mavlankar there. I thank God every day. Look at my fate. I sit in this House which has seen eminent people. I cannot even list out their names. We are all here because we have some strength. We have tried, we have worked, and we have earned it. You go about saying '*balak*' and *…** ! What is this Adhir Ranjan Chowdhury ji? प्लीज, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर हैं, you represent everybody on the other side of the aisle. …(*Interruptions*) You will talk. Let me conclude. You give me a lot of respect. I want to pay that respect

---

* Not recorded.

back to you. You have come there to be the Opposition Party leader of a very old Party of this country.

I have heard Opposition telling us, “Oh, you should have a large heart. You should be able to take a lot of maturity.” You were not even seen in some of the movements of the country. If you have come that far, Adhir Ranjan Ji, it is simply great. You have reached there. Look at the seat you are occupying. What an honour it is! From that position, please do not call anybody so, who has reached here purely because of his own efforts.

So, I would appeal to you to honourably tell the Chair to please withdraw that comment from the records. आपकी हिंदी की तरह ही मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूं। …(व्यवधान) माननीय स्पीकर जी, अगर मैं गलत बोल रही हूं तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, आपको यह शोभा नहीं देता है। …(व्यवधान) लीडर ऑफ दि अपोज़ीशन को एक मिनिस्टर को …* कहना शोभा नहीं देता है। …(व्यवधान) प्लीज़, आप भी उसे हटाने की अपील कीजिए।

Sir, with this, I want to say a few things in English about PM CARES Fund. I would have thought considering that Prime Minister’s National Relief Fund has been so strongly supported by everybody there. The Leader of the Congress Party would have given answers to the hon. MoS’s words, the questions that he asked. I would actually want you to give answer to those questions. Did the money go to various charity associations or was anybody given the money from there?

---

* Not recorded.

Are you asking for transparency? At least for the last 50 years, democracy in India was maturing. I would think democracy in India is in its DNA. From our earlier ancestors, we all have been democratic. Every one of our kings has shown democracy, whether you look at Nalanda, or you look at Kanchi or anywhere else in the South or anywhere else in the West. Democracy was practised in this country from very very ancient times. But in this form, in this Parliament's form, transparency is a virtue and I am glad that you are asking for it.

The Prime Minister, in 1948, thought it fit to appoint the President of the Congress Party as one of the Members of a trust, which, I guess, is an unregistered trust. Till today, you did not bother to ask for it to be registered. I do not understand the reason.

You should have actually asked, oh, we are running this trust; why did we not register it? Register it. No, there was not a single voice in that Party. It took 23 MPs to write a letter now after 50 years. Now, you did not ask for registration.

That is one point on which I wish to say to the Opposition benches that transparency, like charity, should start from home. Get your house in order; register your society. You did not do that. Does keeping only the Congress President permanently show transparency? Jan Sangh was there. …(व्यवधान) उनके अध्यक्ष को भी डाल देते, ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो जनसंघ के वरिष्ठ नेता को उसमें डाल देते,

श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसमें डाल देते। …(व्यवधान) कितने सारे वरिष्ठ सोशलिस्ट थे, राम मनोहर लोहिया जी को उसमें डाल देते। …(व्यवधान) ट्रांसपेरेंसी यह होती है। …(व्यवधान)

Congress Party, keeping just only the Congress President is not transparency …(*Interruptions*) One minute, Adhirji, I will patiently hear you. You have to answer us. If you are really keen on getting answers from us, I am giving you answers on every point comparatively.

He asked you some questions. Hon. Member who is my colleague, MoS, has been in this House long, long before even I came to this House. He has been here four times before me. So, do not take him lightly. He asked you questions. I would want you to answer that because that will give more power to your own questions, if you ask me.

You answer yours first before asking questions to us.

Now, I will go to the point on which I will compare as things stand today. As regards registration, PM CARES Fund is registered whereas PM National Relief Fund is not registered.

प्रो. सौगत राय (दमदम): आपने 6 साल में क्यों नहीं किया?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : I am coming to each one. You are always impatient, Prof. Listen to the answer. …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : You are combating today. …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : No combating. You have called me names. You have twisted my statements. You have gone on to give out untruth about me. So, you should have the thick skin to hear this, at least, from a woman. …(*Interruptions*)

Sir, as regards objectives, if I have to read it, both are similar. I want to give advantage to the PM National Relief Fund as much as I will give advantage to the PM CARES Fund. As regards the PM CARES Fund, the objective is to deal with any kind of emergency or distress situation like the one posed by COVID-19. As regards PM National Relief Fund, the Fund is to be utilized for various schemes announced by the PM. Funds are also utilized for medical assistance, floods, droughts, terrorist violence, etc. In spite of that there was a question, which hon. MoS asked him. There are floods in five-six States of the country, but do not give it away because Jawaharlal Nehru Museum might get less money. Is this true or not? Deny if it is not true, but deny and do not remain quiet as that is unlike the leader of an opposition Party, particularly, that of an old Party and that is not, particularly, if you are asking for transparency. …(*Interruptions*) Answer his questions or else you cannot have the right to ask questions of us. …(*Interruptions*) आप जवाब दीजिए, नहीं तो मुझे आपसे प्रश्न नहीं सुनने चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। अनुराग ठाकुर जी ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, अगर उनके जवाब आपसे नहीं मिलते हैं तो आपको पीएमकेयर्स फण्ड के ऊपर एक प्रश्न भी पूछने का अधिकार नहीं है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अगर कांग्रेस ने गलत किया तो क्या आपको गलत करने का लाइसेंस मिल गया है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Danish ji, hold on. I will give you a lot of answers. …(*Interruptions*) I am giving you answers. …(*Interruptions*) I am giving you comparison. I am giving answers for every one of the questions each one of you have raised on PM CARES. …(*Interruptions*) Do not worry and do not support them. They are in a mess. Do not support them. …(*Interruptions*)

Prof. Sougata Ray, if I have finished one issue, you will jump to the other. There is a beautiful Tamil saying that you sit on a platform and if somebody questions this, then you will move from this, but I will go to the next one and ask what about that. In English, they say keep changing the goalpost. I have addressed this, go to the next. I have addressed that, go to the third. We know your technique. …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): It is shifting the goalpost.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Yeah, you are more refined in English. Right? That is why, very good!

ऑडिट – दोनों का ऑडिट आज एसएआरसी एंड एसोसिएट्स कर रहा है I So, where is your worry about the transparency bit? But you should be worried because after the audit, जैसे, एमओएस ने बताया है कि वेबसाइट पर ऑडिटेड अकाउण्ट डाल रखा है, मगर पीएम नेशनल रिलीफ फंड में पिछले कितने सालों से मीटिंग तक नहीं हुई है? वर्ष 1985 से

मीटिंग की एक भी सिटिंग नहीं हुई है। वह पब्लिक फंड है, जरा उनसे भी पूछा कीजिए to please hold the meeting; please put-up the audited accounts; put it on the website; and distribute copies to all the MPs. वह भी कीजिए in the name of transparency.

Next, as regards applicability of RTI, आरटीआई से इतना लगाव है । As regards PM CARES, it is not applicable as it is not a public authority substantially funded by the Government. What is the status of PM National Relief Fund? It is not applicable as it is not a public authority substantially funded by the Government. इन दोनों में स्टेटस ऑन आरटीआई सिमिलर है, मगर आपका गुस्सा आरटीआई से हमारे ऊपर ही लगता है, अपने ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि उधर डर है। आरटीआई से उधर प्रश्न पूछने पर आपको डर लगता है।

23 सिग्नेटरी के लैटर का फेट आपको मालूम ही है। आरटीआई डालेंगे तो क्या होगा, पता नहीं? That is why you are very scared. I can understand that. On an honorary basis, Joint Secretary (Administration) of the PMO used to do it. दोनों का एक ही है I But where is the big difference? It is in the management. In the management of the PM CARES Fund, Prime Minister is an as ex-officio Member, and like the way. MOS said, every other trustee is there by virtue of the post that they are holding – the Home Minister, the Defence Minister, the Finance Minister and the nominated ex-officio trustees who are eminent persons from science, law, etc. They sit together and take a decision…(*Interruptions*) माइलपोस्ट शिफ्ट करने वाले काम को छोड़ दीजिए।

Management and decision making goes on record with regularly held meetings and recorded minutes. What is the management of the PM National

Relief Fund? The Management Committee consists of the Prime Minister, the President of the Indian National Congress – only Party. And that only Party's President will be in the Committee and transparency is achieved! इस देश में कितनी पार्टियां हैं, भाई साहब? माननीय स्पीकर जी, हजारों की संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज़ इस देश में हैं । सबको लगाइए । सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही क्या अहमियत है कि वे ही जीवन भर, डायनेस्टी भर वहीं रहेंगे। क्या यह ट्रांसपरेंसी का नमूना है?

Finally, how was income-tax concession given? Both of them received tax deduction under Section 80G. Donations are eligible for 100 per cent deduction under Section 80G for the PM CARES Fund. Donations are eligible for 100 per cent deduction under Section 80G for the PM National Relief Fund. वह क्यों दर्द नहीं देता है? सिर्फ यह वाला दर्द देता है, क्यों? उसके लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे लिए भी 80जी है, आप बोलिए । इनके प्रश्न का जवाब दीजिए । नहीं, क्योंकि जनता की मेमोरी कम है। वह उसको याद नहीं रखेगी, इसको याद रखेगी, क्योंकि यह गरम-गरम है। नहीं, हम सुनकर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम आपसे पूछेंगे। Income of the fund exempt from Income-Tax Act is equally for the PM National Relief Fund.

आखिर में, जिसके लिए सब के पेट में दर्द होता है, सीएसआर । …(व्यवधान) CSR Donations by companies classified as CSR for the purposes of the Companies Act, 2013 are applicable to the PM CARES Fund as much as donations by companies classified as CSR for the purposes of the Companies Act, 2013, applicable to the PM National Relief Fund. फिर इतना चिल्लाना क्यों है? It is because, only one person from the dynasty-led Party finds the place, nobody else. उसको कैसे कवर-अप किया जाए? दूसरे के ऊपर आरोप डालो, दूसरे के ऊपर चिल्लाते

रहो। अब चिल्लाना नहीं होगा। जब तक आपसे जवाब नहीं मिलता है, तब तक हम से एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आयी, वर्ष 2017 में बिहार में बाढ़ आयी, वर्ष 2017 में साइक्लोन ओखी आया और वर्ष 2019 में साइक्लोन फनी आया।

इन सारी आपदाओं में प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसी प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से घोषणा की है। जिन लोगों की मृत्यु हुई हैं, उन लोगों को दो लाख रुपए दिए हैं। आज आप यह बताइए कि वर्ष 2015 से 2019 तक प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसी नेशनल रिलीफ फंड से लोगों की मदद की है। आपको उस समय ये सब प्रश्न याद नहीं आए थे, लेकिन आज आपको याद आ रहे हैं। फर्क यह है कि किसी राजनीतिक दल ने प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड को राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा है, क्योंकि देश में अभी तक जितने भी प्रधान मंत्री हुए हैं, सभी ने प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से लोगों की मदद की है। अफसोस की बात यह है कि आज आप लोग प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड, जिससे न जाने कितने काम हुए हैं, जिससे आपके प्रधान मंत्री वाजपेयी जी और मोदी जी ने काम किए हैं, आज आप इसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं।

आप आज तक अपने-अपने जवाब में यह नहीं बता पाए हैं कि प्रधान मंत्री केयर्स फंड की स्थापना करने से आपको क्या नया फायदा मिल रहा है, जो आपको प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री केयर्स फंड में जो इतने पैसे आ रहे हैं, हम यह चाहते हैं कि इसका दुरुपयोग न हो, हम चाहते हैं कि इसका सदुपयोग हो।…(व्यवधान) आप यह बताइए कि जो 'धमन-1' वेंटिलेटर्स…(व्यवधान) राजकोट, गुजरात के अस्पताल में जो आग लगी थी, इस प्रकार से प्रधान मंत्री केयर्स फंड्स से जो 'धमन-1' वेंटिलेटर्स खरीदे गए थे, जिसमें लोग आहत हुए थे, उस पर आपने क्या कार्रवाई की है?

तीसरी बात, आप बहुत कह रहे हैं कि आपके सहयोगी मंत्री सम्माननीय अनुराग सिंह जी ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। मैं उन्हीं के एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। आपने बार-बार राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम लिया है। Rajiv Gandhi Foundation's reports are duly audited and filed under statutory returns and all income tax is filed. अब आप यह बताइए कि क्या

विवेकानंद फाउंडेशन के रिकार्ड्स फाइल हुए हैं? क्या इंडिया फाउंडेशन के रिकार्ड्स फाइल हुए हैं? आप यह बताइए कि ओवर्सीज़ फ्रेन्ड्स ऑफ बीजेपी, क्या इसके ऊपर आज की तारीख में अमेरिका में जांच हो रही है या नहीं हो रही है? क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे।…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, regarding the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, the focus of the reply and the discussion is entirely different from that of the original issues which have been stated regarding the Ordinance and the Bill. I am not going into the controversies. The hon. Finance Minister has just replied.

Yes, I fully agree that Madam has cited the objectives of both Prime Minister National Relief Fund as well as the PMCARES which are the same and the modalities which have been applied are also the same. There is no discrimination between the PMNRF and the PMCARES. The simple question which I would like to raise is, why do we have two organisations, PMCARES and PMNRF?

Secondly, at the time of moving the resolution also, I said, “subject to correction”. Madam has corrected me that the Corporate Social Responsibility is applicable to both PMNRF and PMCARES. Okay, I stand corrected.

Another point which I would like to highlight is regarding the Chief Minister’s Distress Relief Fund in all the States because the same situation is prevailing in the States also. To address the distress situation and calamities in the States, will these benefits be given or entrusted to CMDRF? Will they also

be entitled to avail all these benefits? These are the two questions which still remain unanswered.

I would like to seek these clarifications from the Government. If the hon. Minister responds, I shall be obliged to.

श्री अरविंद सावंत : महोदय, जैसे पीएम केयर्स फंड है, उसी तरह hon. Chief Minister of Maharashtra has created a fund which is Chief Minister Relief Fund – COVID-19. अगर आप उसके लिए भी 80जी की सहूलियत दे दें, तो हम बहुत उपकृत होंगे। मेरी आपसे केवल इतनी प्रार्थना है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam Minister, you were talking about transparency. I am offering you a glaring example where transparency has been trampled upon. This year, on 15th September, a question was asked by Shri Narain Dass Gupta. The question reads, "Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state whether the Ministry has received any fund from PM-CARES account towards the fight against corona virus; if so, the procedural details thereof; and if not, the reasons therefor?" जवाब में क्या आया है?

माननीय अध्यक्ष: दूसरे सदन की चर्चा नहीं करते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसीलिए हमारा शक होता है कि Transparency has been trampled upon by this Government. Here lies the crux of our questions.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा बहुत छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। अभी पीएम-केयर्स फंड के बारे में चर्चा हुई थी, उस पर कहा गया कि एक पार्टी के सदस्य उसकी मैनेजिंग कमेटी में बैठे हैं। क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस पर क्लैरिफिकेशन देंगी कि क्या इस पर सभी नैशनल पार्टी के सदस्यों को बिठाया जा सके, ताकि वे सुचारू रूप से इसका डिस्कशन कर सकें।

प्रो. सौगत राय: सर, अभी यह खबर है कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 9,677 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए हैं। कैसे इकट्ठा हुए हैं – रेलवे ने 151 करोड़ रुपये दिए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस पीएसयूज़ ने पांच सौ करोड़ रुपये दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष: दे सकते हैं।

प्रो. सौगत राय : It appears that Circulars were issued in various Government Departments asking employees to contribute one-day salary each month or to give their objection in writing. सर, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि अभी 4,308 करोड़ रुपये सरकारी एजेंसीज़ और स्टाफ ने दिये हैं, इससे माइग्रेंट लेबर के लिए, लॉकडाउन के बाद जो रास्ते पर मरे हैं, कितने रुपये दिए गए हैं और दो हजार करोड़ रुपये आपने वेंटिलेटर के लिए दिए हैं, इसका जवाब क्या है? …(व्यवधान) चीनी कंपनी के बारे में जो सवाल पूछा गया है, यह सही है कि चीनी कंपनी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, आप बोलना शुरू करें।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदय, अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी और माननीय वित्त मंत्री जी की बातचीत से जो लगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रस्ट – इन दोनों की जो कारगुजारियां हैं, और जो कांग्रेस के समय हुआ है, वह काफी गड़बड़ है। उसके लिए सीएजी ने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई और

पीएसी ने, श्री महताब भी उसके सदस्य थे, हम लोगों ने एक रिक्मेंडेशन दिया है कि पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रस्ट के ऊपर एक इंक्वायरी सेट-अप करनी चाहिए कि सन् 2014 के पहले किस तरह से उसको एग्ज़ंप्शन दिए गए हैं और किस तरह से उसमें चोरी चकारी हुई। उसमें नेशनल हेराल्ड से ले कर राजीव गांधी फाउंडेशन तक हैं । क्या माननीय मंत्री जी ट्रस्ट और चेरिटेबल ट्रस्ट की कारगुजारियों के लिए कोई एक कमेटी बनाएंगी या कोई ऐसी इनवेस्टिगेटिंग ऐजेंसी बनाएंगी, जिससे कि जनता का जो पैसा गया है, वह फिर से हम वापस ला पाएं और उसमें कई ट्रस्ट्स ऐसे हैं, बिना आरबीआई और बिना फाइनेंस मिन्स्ट्री के अप्रूवल के जिन्होंने विदेशों में पैसा दिया है। उसके बारे में यदि माननीय मंत्री जी बता देंगी तो अच्छा रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सभी का उत्तर आप एक साथ दे दीजिए।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): सर, मोटे तौर पर आखिर दो विषयों के ऊपर लगता है कि एक और स्पष्टीकरण देना मुझे आवश्यक है। Why the second one? एक ऑलरेडी प्राइम मिनस्ट्रिर्स नेशनल रिलीफ फंड है, उसको ही आगे बढ़ाते। Why do you want to form a second one? सर, कंपनीज़ बिल, 2013, मतलब यूपीए-2 के समय पारित हुआ, उसमें ऑरिजिनल शेड्यूल-7 में यह एक सैक्शन-135 के रोमन नंबर 9 में मैं कोट कर रही हूँ।

> "Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for the socio-economic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and women;"

This was passed in 2013. So, any other fund में फॉर्म करना और उसमें सीएसआर फंड कम्पनीज़ एक्ट के द्वारा आना, तब भी visionary leadership had included it. हमने इन्क्लूड नहीं किया। वह एक बात है।

दूसरा, फरवरी, 2014 में नई सरकार ने नहीं बनाया। चुनाव से पहले तब भी references to State Government funds were deleted at the time of making the amendments to Schedule 7 of the Act. सर, डिलीट करने वाले कौन हैं? स्टेट गवर्नमेंट फंड्स को सीएसआर फंड का बेनिफिट न मिले, ऐसे अमेंडमेंट करने वाले कौन हैं? वही यूपीए-II, आज स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या क्रोकोडाइल टियर्स हो रही है, हटाने वाले कौन हैं?…(व्यवधान) घड़ियाली आंसू।…(व्यवधान) सर, एक और विषय है…(व्यवधान) नहीं, नहीं, बहुत सारे नाम लिए। ये ट्रस्ट, वह फंड, यह फाउंडेशन…(व्यवधान) नहीं, हो गया जी। जवाब देना है, नहीं तो बिना जवाब दिए भाग गए, बोलेंगे ना। इसलिए सटीक जवाब दूंगी।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैडम, चाइनीज फंड के बारे में जरूर बताना।…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am coming to that point. You do not worry. You have a laundry list of questions to answer, Congress Party. So, do not worry about one question, which I am going to reply now.

Sir, list of foundations, लिस्ट बोल कर इनको कैसे फंड दिया, उनका भी डाल दो, अरे, कंसोलिडेटेड फंड से उनको पैसा नहीं जा रहा। पीएम केयर्स से भी उनको पैसा नहीं जा रहा, एक प्राइवेट फर्म को जहां हम पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उनका क्यों प्रश्न उठा रहे हो। मगर जब राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर हम प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए your deeds demand the question. पीएम नेशनल रिलीफ फंड से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, इसलिए हम मांग रहे हैं कि उसका एकाउंट दिखाओ। ये जो 10-15 नाम आपने सुनाएं और बीजेपी के ओवरसीज़ फ्रेंड्स वगैरह को पीएम केयर्स से कोई फंड नहीं जाता। आप गलतफहमियाँ न फैलाओ,

rumour mongering न करो । You are a responsible political party. आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए rumour mongering के साथ चलना अच्छा नहीं है । मुझे बिल्कुल याद है कि आपने राफेल के समय कितनी rumour mongering की और जनता ने आपको सही मुँह तोड़ जवाब दिया, दोबारा मिलेगा, ऐसा जवाब । धन्यवाद ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सदन की एक गरिमा रही है, जो कुछ भी सदन की कार्यवाही में छोकरा या बालक आया है, मैं उसका संशोधन करके माननीय कर रहा हूं। क्या सदन इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, माननीय करिए, पूजनीय करिए आपके ऊपर है। आप पूजनीय भी कर सकते हैं, माननीय भी कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, थैंक यू।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, though I have moved the Statutory Resolution, I absolutely agree with the Government because article 123(1) is applicable in promulgation of this Ordinance.

So, I seek the leave of the House to withdraw the Statutory Resolution.

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए?

सांविधिक संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लिया गया

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I withdraw the Statutory Resolution.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों को शिथिल करने और उनके संशोधन का उपबंध करने के लिए और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Relaxation of certain provisions of specified Act

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 18 and 19,--

for "31st day of December, 2020, or such other date after the 31st day of December, 2020"

Substitute "31st day of March, 2021, or such other date after the 31st day of March, 2021". (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 से 9 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

Page 2, line 20,--

for "specify"

substitute "extend the period". (7)

Page 3, line 14 to 16,--

substitute *"1st day of April, 2019".* *(8)*

Page 4, line 36,--

for *"three-fourth"*

substitute "one-fifth". (9)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Amendment of Act 43 of 1961

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, I beg to move:

Page 20, lines 32 and 33,--

omit “or an Assessing Officer, or a Tax Recovery Officer”. (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 10 से 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 7, line 6,--

for “five years”

substitute “three years”. (10)

Page 7, line 22,--

for “five years”

substitute “three years”. (11)

Page 7, line 28,--

for “three years”

substitute “one year”. (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 से 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 7 Insertion of new section 168A in Act 12 of 2017

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to move:

Page 37, line 29,--

for "complied with due to *force majeure*"

substitute "complied in good faith due to *vis major"*. (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20.48hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA* – Contd…

SECRETARY-GENERAL: I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th September, 2020."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th September, 2020."

2. Sir, I lay on the Table the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020 and the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020, as passed by Rajya Sabha, on the 19th September, 2020.

___

* Laid on the Table.

20.49 hrs

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2020

माननीय अध्यक्ष : अब हम आइटम नम्बर 16, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 लेते हैं।

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Companies Act, 2013, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो-नो।

कई माननीय सदस्य : सर, इसे कल ले लीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं। श्री मनीश तिवारी जी।

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से इस सदन में प्रस्तुत यह जो कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया गया है, इसके ऊपर मैं अपनी बात रखने के लिए आज सदन के समक्ष हाज़िर हुआ।

<u>20.50hrs</u> (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

यह जो विधेयक, कंपनीज के काम-काज को आसान बनाने के लिए लाया गया है, यह एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में लाया गया है जब देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही संवेदनशील और दुर्गम है। कोविड-19 की महामारी से पहले, लॉकडाउन से पहले सात क्वार्टर्स तक भारत की जी.डी.पी. की जो वृद्धि दर है, वह निरंतर और लगातार हर क्वार्टर में गिरती रही। जब कोविड की महामारी का प्रकोप शुरू हुआ, उसके बाद जब इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर के नतीजे आए, उसमें अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, वह माइनस 23.9 प्रतिशत हुआ। कुल मिलाकर, जब से इस सरकार ने नोटबंदी की और उसके बाद जिस प्रकार से जी.एस.टी. को लागू किया गया, उस समय से निरंतर और लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती गई। देश की अर्थव्यवस्था बैठती गई। आज जब यह विधेयक लाया गया है तो मुल्क के सामने यह परिस्थिति है कि डिमांड के नाम के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ी खामी है। जो गलती सरकार ने वर्ष 2019 में की थी कि जब डिमांड स्टीमुलस देने की जरूरत थी, इन्होंने 1,45,000 करोड़ रुपये देकर कॉरपोरेट टैक्स में कंपनीज़ को जो रिलीफ दिया, उसका इंजेक्शन लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की, वह पूरी तरह से विफल हो गई। आज वही गलती यह सरकार दोबारा दुहरा रही है। इस देश का जो गरीब आदमी है, जो शोषित है, जो वंचित है, जिसके ऊपर कोविड महामारी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, उसकी तरफ ध्यान देने की जगह जो सूट-बूट वाले हैं, जो कॉरपोरेट वाले हैं, उन्हें फिर दोबारा से रियायतें दी जा रही हैं। उनकी जिन्दगी को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। यह दर्शाता है कि इस सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, वे इस देश के आम नागरिक के साथ नहीं हैं, आखिरी कतार में खड़े हुए आखिरी नागरिक के साथ

नहीं हैं। पर, जो पूंजीपति है, जो सूट-बूट वाला है, यह सरकार सिर्फ उसकी ईज़-ऑफ-लिविंग की कदर करती है, उसकी जो सहूलियतें हैं, उनके ऊपर यह विशेष ध्यान देती है।

आज जो कानून लाया गया है, इसका तो इतिहास है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 1913 में सबसे पहली कोशिश की गई कि जो कंपनी का कानून है, उसको कोडिफाइ किया जाए, उसको अमली जामा पहनाया जाए। वर्ष 1913 में अँग्रेजी साम्राज्यवाद भारत में भारी था। 200 साल हो चुके थे, जब से ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत आई थी और उन साम्राज्यवादियों ने वर्ष 1913 में पहला कम्पनीज़ एक्ट बनाया, जो रेट्रोस्पेक्टिव्ली 1 अप्रैल, 1911 से लागू हुआ।

यह 137 सेक्शंस का एक्ट था। उसके बाद हालात बदले, भारत आजाद हुआ और वर्ष 1956 में उस कानून को रिपील करके एक नया कानून लाया गया। उसमें 658 अंक शामिल किए गए। वर्ष 1956 से लेकर वर्ष 2013 तक 25 बार उस कानून को संशोधित किया गया। वर्ष 1991 में भारत की उदारीकरण के बाद देश ने यह तय किया कि अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करेगा। आज जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, वे बदली हैं। यह पाया गया कि वर्ष 1956 का जो कानून है, उसमें संशोधन करने की जरुरत है। वर्ष 1991 में जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की समिति बनी और उसके बाद आर.डी.जोशी की समिति बनी। उनकी सिफारिशों के बाद बहुत सोच-समझ कर वर्ष 2013 में एक नए कंपनीज़ एक्ट को इस संसद ने अनुमति दी। आज फिर हमको यह कहा जा रहा है कि इस कानून को संशोधित करने की जरुरत है।

सभापति महोदय, विडंबना यह है कि वर्ष 2013 में उस कानून को लाया गया, वर्ष 2014 में वह सरकार बदली, एक नई सरकार आई और वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2020 तक इस कानून में 150 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। इन सात सालों में इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस, सर्कुलर्स और ऑडर्स हैं, वे शामिल नहीं हैं। इसका सीधा-सीधा तात्पर्य यह है कि कानून को जो एक सैक्रोसेंक्ट देने की जरुरत होती है, वह न देते हुए अपनी सुविधा के अनुसार उस कानून को बदलने की कोशिश करती है। आज फिर इस संसद के सामने यह संशोधन

विधेयक लाया गया है और उसका जो औचित्य है, वह औचित्य यह है कि एक कंपनी लॉ कमेटी सितंबर 2018 में बनाई गई और दो महीनों में उसने ऐसी क्राँतिकारी सिफारिशें कर दीं कि जो कानून का पूरा स्वरुप है, जो वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2013 तक अलग-अलग समितियों की सिफारिशों के ऊपर लोगों से राय-मशविरा करके स्थायी समिति की सिफारिशों को संज्ञान में लेकर जो कानून बनाया गया था, उसको पूरी तरह से परिवर्तित करने का आज मसौदा इस संसद के सामने लाया गया है। The first thing that this Amendment Bill seeks to achieve is to reduce the rigours which are attached to maleficence insofar as the Companies Act, 2013 is concerned.

Hon. Chairperson, Sir, it was after great deliberations that a very fine balance between coercive action and civil action was struck in the Companies Act of 2013. After all, time has demonstrated and all of us are aware that companies are not paragons of virtue. उनके कुछ सुर्खाब पेपर नहीं रखे हुए हैं। इस देश में खासकर पिछले छह साल में जितने तथाकथित घोटाले हुए हैं, जितने व्यवसायी भागकर बाहर गए हैं, शायद उसकी गिनती करना भी मुश्किल है।

21.00 hrs

यह कानून क्या करता है? यह कानून कंपनीज़ को जितनी फौजदारी के रिगर्स थे या जो क्रिमिनल लॉ के रिगर्स थे या अगर वे गलत काम करते हैं तो फौजदारी के कानून के तहत उनको जो यातनाएं दी जा सकती थीं, यह लगभग सभी को खत्म कर देता है। इस कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि किस तरह से लोग गलती करते हैं, उनको फौजदारी के कानून के तहत सजा देने की जगह उसको सिविल आफेंस में कैसे परिवर्तित किया जाए? उसका रैशनल क्या दिया जाता है? आप इस बिल का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़िए। इसमें जो चौथा पैराग्राफ है, उसमें लिखा है:

"4. The Companies (Amendment) Bill, 2020, *inter alia*, provides for the following, namely:— (a) to decriminalise certain offences under the Act in case of defaults which can be determined objectively and which otherwise lack any element of fraud or do not involve larger public interest; "

My question is that who is going to be the arbiter of this public interest. Who is going to determine what is in public interest and what is in private interest? What are those principles which are going to be applied in order to carry out that determination that this offence is a private interest offence and another offence is a public interest offence? With great respect, Mr. Chairman, Sir, I think, this is an extremely insidious classification which is being made and which will fall foul of any constitutional challenge which is mounted against this Bill.

The second object which this amendment Bill seeks to achieve is कि वर्ष 1956 के कानून में प्रोड्यूसर कंपनीज़ के बारे में एक अलग चैप्टर का प्रावधान था। वर्ष 2013 के कानून में वह प्रोड्यूसर कंपनीज़ का चैप्टर शामिल नहीं किया गया। यह कहा गया कि जो वर्ष 1956 के कानून में लिखा है, वही वर्ष 2013 के कानून में भी लागू होगा।

इस संशोधन विधेयक में एक नया चैप्टर 21 (ए) जोड़ा गया है, जो प्रोड्यूसर कंपनी से संबंधित है। अगर आप इस संशोधन को, जो 2 दिन पहले विधेयक लाए गए थे, कृषि के संबंध में, कांट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में, ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स के संबंध में, एपीएमसी का जो दायरा है उसके दायरे के बाहर खरीद-फरोख्त के संबंध में, अगर आप उससे जोड़कर देखिए, तो यह बहुत साफ हो जाता है कि यह एक रास्ता बनाया जा रहा है जिससे कि कंपनियां और बड़े-बड़े घराने, बड़े-बड़े व्यवसायी

किस तरह से कृषि के मार्केट में, कृषि के व्यवसाय में घुस सकते हैं। This entire provision with regard to producer companies when read in juxtaposition with the earlier Bills which pertain to contract farming as well as pertain to alternate feeding mechanisms, and to provide platforms for trading outside the APMC areas and when all of this is taken together, this is nothing but a backdoor to facilitate the entry of big corporates into the agricultural sector which is going to militate against the interest of the small and the marginal farmers. Over a period of time, it will have the impact of unravelling the first 15 amendments to the Indian Constitution from 1950 to 1965 which were carried in order to give land to the landless, in order to abolish the *zamindari* system, in order to ensure that the farmer who produces food for this country has both dignity of labour and permanency over his land.

Hon. Chairperson, Sir, I have two more points to make. Since these are important amendments, allow me to make those two points.

The penultimate point is with regard to relaxation of CSR guidelines. This Bill provides that your CSR commitments can be rolled over for a period of three years. अगर आपने इस साल ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है तो आप उसके अगले साल इसका फायदा ले सकते हैं। मैं बहुत संवेदनशीलता से यह बात कहना चाहता हूं कि इस देश में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी क्या है, अभी तक व्यवसायी जगत उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया है।

It is extremely difficult to get companies to implement or to enforce their Corporate Social Responsibility, and to give this kind of flexibility in the

Corporate Social Responsibility regime even before the law of the land has completely settled down, I think, is completely erroneous. कंपनी को एक रास्ता दिया जा रहा है कि अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी से कैसे भाग सकें और जिनका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी कॉरपस पचास लाख से कम है, उनको इसकी अनुमति भी दी जा रही है कि आपको अपने कंपनी में कॉरपोरेट सोशल रिस्पानसबिलिटी समिति बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत सहकार के साथ यह बात कहना चाहता हूं, इनकी मंशा है कि जो पहल 2013 के कानून में की गई थी, जो व्यवसायी कंपनियां हैं, उनकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। उसको पूरी तरह से शिथिल करने की कोशिश इस सशोधन की वजह से हो रही है।

मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इस संशोधन में बहुत राहत दी जा रही है। आप सभी को मालूम है। आईएल एंड एफएस घोटाले की जांच अभी भी चल रही है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस में जो हुआ है, उसका भुगतान अभी भी लोग कर रहे हैं। जब समय था कि एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर सरकार को लगाम कसनी चाहिए थी, उस समय सरकार लगाम ढीली करके उनको छूट दे रही है। जिस तरह से वे कार्य करते आए हैं, इससे अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, वह नुकसान होता रहेगा।

Sir, I will just conclude by saying that in the past six years this Government, through a regime of persecution, has created a climate of fear which has completely and absolutely derailed economic activity in this country. Now when the wheels of the economy have stopped turning, they are trying to self-correct and in the process of self-correcting they are going completely over-board and they are completely going over to the other side whereby they are introducing a kind of *Laissez Faire* in the economy whereby it will be a free

for all for the corporates to do what they like without any regulatory oversight of the Government.

Sir, with these words, I would like to strongly oppose the amendments to the Companies Act of 2013 and also would like to thank you for your indulgence.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Chairperson Sir, I consider it my privilege to be able to speak on the Companies (Amendment) Bill, 2020. I am immensely grateful to you for giving me this opportunity.

At the outset let me offer my compliments to the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Finance Ministry for taking this bold and much needed step to amend the Companies Act, 2013. With this amendment, the Central Government has proved that it is not only responsive to the changing requirements of the business community in the country, but also it is capable of taking timely and effective decision in this time of crisis.

This amendment will promote and encourage ethical business practice in the country and reinforce the belief of common and economic value creation. Sir, this amendment will result in ease of doing honest business and ease of doing ethical business.

Now, let me go back to the sequence of events. I just want to apprise the House about the sequence of events leading to the placement of this Bill today in this august House.

As all of us know, the Companies Act, 2013 was enacted on 29th August, 2013 to consolidate and amend the law relating to companies. The earlier Companies Act of 1956 had been repealed and, as told by my learned colleague in the Opposition, there were different amendments at different points of time. There were amendments in 2015, 2017 and 2019 but these

amendments took place because these amendments had to address the difficulties arising out of the operation of the Act.

The Government sees that there are operational problems when a particular Act is being implemented. We should remember that it is an Act of 2013. There were operational issues and that is why, amendments had to be brought in and that is why, amendments are being brought in today when I am speaking to you.

Sir, let me now tell you the entire sequence of events as I mentioned earlier. The Government led by hon. Prime Minister, Shri Modi, has been constantly endeavouring - and it is all written on the wall and everybody is aware of it – to facilitate greater ease of living for all including the law-abiding corporates. I underscore ‘for all including the law-abiding corporates’.

The Government constituted the Company Law Committee on 18th September, 2019 under the Chairmanship of the then Secretary, Corporate Affairs. The best part is that, in that particular Committee, there were eminent people from different segments and sectors. There were people from industry chambers, professional institutes and legal fraternity.

This particular Committee has been constituted to actually decriminalise penal provisions of Companies Act, 2013 based on their gravity and take other concomitant measures to provide further ease of living for law-abiding corporates in the country. This is the basic aim of this amendment. This

Committee submitted its Report after due deliberation on 18th November, 2019 before the Government.

Now the Department of Corporate Affairs actually submitted a note before the Union Cabinet on 10th December, 2019. I am harping on the sequence of events to say, to emphasise and to dwell on the fact that Government has duly considered all the steps and it has actually gone for stakeholder consultations. The Government has gone for all kinds of thinking through exercises and then it has come up with the proposal for amendment.

Interestingly, when it was sent to the Union Cabinet, there were two Groups of Minsters' meetings. It was not cleared by the Cabinet just at one go without much consideration. The Union Cabinet desired two GoMs. So, there were two Groups of Ministers meetings and these two meetings actually went into each of the provisions that have been recommended for amendment. The Union Cabinet considered and approved the proposal to introduce the Companies Amendment Bill on 4th March, 2020. As per the decision of the Union Cabinet, today, the Bill prepares to carry out amendments to 72 Sections of the Companies Act, 2013 and the Bill was brought in this Lok Sabha by the hon. Finance Minister on 17th March, 2020. I reiterate that the sequence of events indicates that there has been considerable deliberation, thinking through and stakeholder consultations before the amendments have been brought today before the House.

Now Sir, the question is, what the key changes are that are being proposed in this particular Bill, and what would be the benefits that would be accruing if these amendments are actually implemented on the ground. I would be categorising all the amendments that have been suggested, that have been proposed under seven different heads. Please give me some time as I am the first speaker from my Party. I would be just elaborating on some of the key changes and the benefits thereof. It is very important for this august House to appreciate and understand the kind of benefits that would be coming to us.

First, it empowers the Central Government to exclude certain companies from the definition of listed companies. This is Section 2 of the Bill, amending Section 2 of the Act. I am referring to the Section of the Act of 2013 that would be amended. Now what is the present scenario? What would be the benefit if this would be amended?

Sir, Section 2(52) of the Companies Act 2013 defines the listed company as any company which has any of its securities listed on any recognised Stock Exchange. Section 42 of the present Act, read with Securities and Exchange Board of India's regulations, indicates that in addition to public companies, certain private companies too, are permitted to list debt securities on a recognised stock exchange. By virtue of being a listed company, the private companies too are required to comply with stringent regulations, and the compliance requirements mentioned in the Act. These stringent compliance requirements disincentivize the companies from seeking listing of their debt

securities. बहुत सारी ऐसी कंपनियां थीं, जो हतोत्साहित हो रही थीं। इसलिए यह जरूरी था कि इन सभी को अनलिस्ट किया जाए, डीलिस्ट किया जाए।

Now what is the proposal? This Amendment Bill chooses to exclude or delist certain class of companies from the status of listed companies, and to delist it in consultation with SEBI. Hard work has been put in while drafting this proposal. By virtue of this amendment, the disincentivizing provisions of the Act applicable to other listed companies under the Act can be made inapplicable to such private listed companies. This is the first key change, and this is what we are going to do once this amendment is accepted by this august House.

The second key change is this. It proposes enabling of listing in foreign jurisdiction. A tremendous benefit would accrue if this is done. This is Section 5 of the Bill amending Section 23 of the Act. Now what is the present scenario? The Act of 2013 does not allow the domestic companies to list their securities in Stock Exchanges in foreign jurisdiction. Neither the companies in foreign jurisdiction can do the same in India. So, Sir, what is the amendment proposed? The Bill empowers the Central Government to allow certain classes of public companies to list permitted securities in stock exchanges and permissible foreign jurisdiction. Permitting the direct listing of debt securities in foreign jurisdiction will help the domestic public companies by offering them a chance to access a larger pool of capital. This is likely to help our start-ups tap overseas market to raise capital. Start-ups are often on the lookout, as we

know, Sir, to raise capital, and this would permit them to do so without migrating to a foreign jurisdiction.

Now the third and the most important proposal is the key change that we have been talking of and that I heard my dear friend talking about, that is, decriminalization of offences. This Amendment Bill introduces reforms in decriminalizing offences based on their gravity. I will be listing out four changes that have been proposed for the knowledge of the House.

One, 23 compoundable offences are referred to the In-house Adjudicating Mechanism, that is, IAM. Two, it proposes to omit seven offences which may be dealt with using other laws in force. Three, it proposes alternate framework for five offences. Four, a list of compoundable offences is restricted only to fine.

Sir, the benefit thereof would be that this Amendment Bill proposes to allow the company to pay the penalty, rectify their faults, and become compliant with the law through IAM Framework. This will promote ease of doing business. In fact, this is what the fear is all about. Why are we decriminalising? People will be going scot free; corporates will be going scot free. That is what has been raised. I was just listening to my dear friend. This will promote ease of doing business, this will boost the confidence of investors.

Here, I would just like to deviate from what I am saying. I will come to the fourth point. But before that, let me tell you that the World Bank's Doing Business Report has come. India is now at 63^{rd} rank; India was at 142^{nd} rank;

India has come up to 63rd rank; and this particular result has been due to all kinds of efforts that had been put in by the Central Government under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister Modi. We have come from 142nd rank to 63rd rank. Now, the point is, by bringing these amendments and implementing them, definitely our position will improve.

Sir, we are moving from good to better and better to best. As we say, 'Good, better, best; Never let it rest till your good is better and your better is best.'

HON. CHAIRPERSON: It is a good concluding sentence.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : Just for Prime Minister Modi we are better, but we have to be the best place. I am sure we will be able to do that and that is why it is very important to have this particular Bill implemented on the ground.

Sir, I will just take two-three minutes more. I am just putting forward the important issues that, I think, the House needs to know.

The fourth is the Corporate Social Responsibility. The Bill permits a company which spends in excess of the mandated two per cent to carry forward the excess spending towards their obligation for the next year. We have already discussed this. This is beneficial in case of CSR initiatives which require higher amount of capital as this allows the company to invest in CSR initiatives and have the excess being waived of from the CSR obligation arising

in the subsequent year. इससे सीएसआर इनिशिएटिव को बल मिलेगा और कंपनियों का उत्साह बढ़ेगा, इसलिए यह करना जरूरी है।

Sir, with introduction of a new Chapter on Producer Companies, and insertion of Chapter 21A to the Act of 2013, it will benefit the independent directors and this is, in fact, to encourage them. They will be given awards and they will be brought at par with the executive directors because they have contributed to the betterment of the company and they should be encouraged.

HON. CHAIRPERSON: Do not go into the details. Please conclude.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : Sir, please give me two minutes.

HON. CHAIRPERSON: Please come to the concluding part now.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : Exactly Sir.

This is the seventh key change that I was referring to. I talked of seven key changes. Benches of National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) will be set up in order to ease their burden and reduce the pendency of cases.

HON. CHAIRPERSON: It is very difficult to go into all the provisions of the Bill. Please conclude. Your former sentence was a very good sentence for conclusion.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : These are the concluding lines.

Sir, in periods like this when India is struggling to deal with a pandemic of such magnitude, boldness in policy making and debt financial management

is the key to recovery. With all the conviction at my command and with all humility too, I can say that this amendment would encourage business, investment and entrepreneurship in the country. So, I humbly make an appeal to all my colleagues to support this Bill.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Chairman, Sir, we heard two long speeches by Shri Manish Tewari and Shrimati Aparajita Sarangi.

HON. CHAIRPERSON : Saugata Rayji, let us be brief because the time is running out. It is Covid time and so, sitting late night is not good.

PROF. SOUGATA RAY : You are a marathon man and even you are getting tired.

HON. CHAIRPERSON: No; I am not getting tired. You are an elderly person and so, sitting very late is not good.

PROF. SOUGATA RAY : I will be brief.

All I want to say is that we are meeting in difficult times when the economy has gone into a tailspin. I was just reading the figures; growth is down by 23.9 per cent; Mrs. Sarangi is saying that we would get better.

Fiscal deficit has touched seven per cent of GDP. There is a 30.5 per cent fall in revenue in April-June. There is a 34 per cent fall in revenue from GST. There is a 13.1 per cent rise in expenditure. The economy is in a mess.

Now, when a person has cancer, you give him a placebo/palliative. This Companies Law, in these COVID times, is a placebo; it is a palliative. It is not going to change anything basically.

Both Mr. Tewari and Mrs. Sarangi have described the history behind the Bill. I was here in 2013 when the new Bill was passed. I spoke on the Bill at

that time. But in retrospect, I do feel that the Bill was somewhat harsh. It introduced a very good concept of Corporate Social Responsibility for which UPA-II should be given the credit. Otherwise, that Bill came on the back of the 'Satyam' scam and other scams in the country. So, it became a little harsh.

In the Companies Law, one has to strike a balance between 'strictness' and 'ease of doing business'. I think that this Bill has made some important changes in which they have decriminalised more than half of the existing compoundable offences under the Companies Law. It has also lowered the monetary penalties for violation by Start-ups amid efforts to further improve the ease of doing business in the country. I think, basically, we cannot quarrel with that.

I also say that a new Chapter on 'Producer Companies' has been introduced, and it seeks to decriminalise minor, procedural and technical defaults, which do not involve fraud or injury to the public interest. This will reduce the burden on the NCLT. The NCLT is already burdened with the cases under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). So, it is a good idea.

Lastly, under the Bill, companies having CSR obligations of less than Rs. 50 lakh will not be required to form a CSR Committee. The Bill also proposes to lower the monetary penalties for violation by Start-ups, thus, trying to encourage them. But as I said, the future of economy in the country will not depend on companies. They need a law. So, Parliament has given them a

law. They must discipline themselves so that there are no more scams, so that shareholders are not defrauded like it happened in the ‘Satyam’ case.

Sir, though I have given amendments, I shall not move them. Let this Bill be passed. If it gives some relief to some people, then that will be good.

With these words, I conclude.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Sir, it is an honour for me to speak for my party YSR(CP) on the Companies (Amendment) Bill, 2020.

This Bill is bringing reforms to minimise penalties for the act of omission without an intent to cheat. We welcome this Bill.

While I would recommend a more lenient approach to smaller companies, which I think, is a large portion in our country, I, on behalf of YSR (CP) support the Companies (Amendment) Bill, 2020 as a means of improving governance. But I would like to take this opportunity to bring to light the difficulties our State is facing in this economic crisis and also the misdeeds and the reckless fiscal policy practised by the previous Government.

Here, I would like to bring to light a few examples, especially, in the presence of our hon. MoS, Finance. As we took over the Government in 2019 under the leadership of our young Chief Minister, Jagan Mohan Reddy-garu, the first thing that came to light was that the previous Government towards the end of their term, even in the last few days, borrowed and spent over Rs. 30,000 crore for electoral gains, and left a total amount of Rs. 60,000 crore as unpaid bills.

Not only that, I have read, in the last two days, about the Tata Constructions bid for our new upcoming Parliament for Rs. 800 crore, which is a permanent structure, and I bet and I am sure that it will be one of the best in the world with the capacity of, at least, a thousand MPs for the Lower House. Looking back – we had a discussion on that, I would like the House to be

aware of this – in 2014, after bifurcation, under the then Chief Minister, an amount of Rs. 800 crore was spent to build a temporary structure for 175 State Legislators. This is a total fiscal indiscipline and it went totally unchecked. There is no accountability till date. I am just bringing a few points which are very glaring and easily understood by everybody.

Not only that, our Chief Minister spent just about Rs. 200 crore and he brought back to life 1,100 ambulances, the famous 108 and 104, which was started by our great Chief Minister Dr. Rajasekhara Reddy *garu*. The same amount or almost Rs. 250 crore was spent by the previous Chief Minister in taking people to the Polavaram Project just to make an impression that he was doing something again for electoral gains. The ambulances, which could have been bought at the same price, were defunct for the last five years of the previous Government rule.

Not only that, the then Ruling Party made a grand plan and got into an agreement dealing with 4,000 acres in the so-called Capital city of Amaravati. They declared it as a Capital. They had distributed 4,000 acres of land amongst their friends, family, kith and kin. We have, recently, realised that even the top officials, the then *… (Not recorded)*, are involved. Their plan was to get a simple 2,000 yards per acre or Rs. 10 crore per acre, that means, about Rs. 40,000 crore. Till date, we are trying to impress upon the Central Government to kindly hold a CBI inquiry and bring to accountability all the misdeeds that happened.

As far as our Government is concerned, we are doing our best. We made a promise to bring governance to the doorstep of the common man and we have done exactly that in the last year and a half.

HON. CHAIRPERSON : Sridhar ji, if you are speaking on the Bill, it will be okay but this is absolutely nothing.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: Sir, this is an opportunity we have. We, definitely, support the Bill. Just give me two minutes, I will finish.

We have built village secretariats. We have built agricultural support centres in every village. We have built health centres in every village. We have appointed three lakh volunteers to take care of 40 families per volunteer. They have listed out eligible candidates for every Government scheme. We do not see politics. We do not see caste.

HON. CHAIRPERSON: Shri Arvind Sawant ji.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: We have, even, made eligible poor sections of the forward class for every scheme that is available.

HON. CHAIRPERSON: Sridhar ji, please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you, Chairman, Sir. I would like to express my views on the Companies (Amendment) Bill, 2020.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: One second Arvind ji. Sridhar ji, please conclude your speech with one sentence.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI : Yes, Sir. We have been supporting the BJP Government on every Bill so far in Parliament. All we are saying is, we have about Rs. 15,000 crore, which is an accepted amount by the Central Government that is due to Andhra Pradesh under various heads. We request you all, once again, under these difficult times, to help us function and to deliver good governance to our people. Kindly make good your promise on the payment as soon as possible. As far as the Bill is concerned, on behalf of my Party, I support the Bill.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you, Chairman, Sir. I would like to express my views on the Companies (Amendment) Bill, 2020.

The total amendments which are being taking place in this Bill, sometimes, you feel, they are in favour of the businessmen. They need the support. We are expecting everybody to be honest. We have experienced some dishonest people also in the past.

I had the privilege to raise the issue in the Parliament regarding the Pancard company. You must be remembering as to how many people have been deceived by it. When you say it should be decriminalized, I feel an apprehension in my mind whether people would get justice. If the company owners have a feeling that nobody is going to punish them, they will decriminalize it, the penalty is also very minor, they will pay the money and they will carry out the business in this manner. I do not feel that any guarantee is there in this Amendment Bill right now. I do agree that businessmen, particularly in the pandemic, have suffered a lot. They need the support of all these things.

Anurag *ji*, particularly regarding start-ups and stand-ups, I would like to ask you or request you one thing. What is the number of startups? How much money we have spent on them or from MUDRA? What is the result of it? How many of them have done it successfully? How many have become unsuccessful? To them, you want to give an opportunity. We do agree that we must give them an opportunity to them because the youngsters are there.

They want to stand up in the business and accordingly we should give them an opportunity.

The Bill seeks to substitute section 446B of the Act to provide for payment of lesser monetary penalty by a start-up company, Producer Company, One Person Company or a small company on failure to comply with the provisions of the Act which attract monetary penalties. The view or the aim of this Government must be a good one that once it has paid, okay, let us give support. But still, you are going to decriminalize the major penalties. That is a little bit apprehensive. He has quoted names of some companies like Dewan Housing and other companies. The issues are pending for years together. Common people, who are serving somewhere, have invested their money in the Pancard company. Still SEBI could not give them justice till date. You wound not believe that they are still the sufferers. They are not getting the money back. Therefore, by amending this Bill, how are you going to deliver justice to the investors who have invested their money in Pancard and other companies?

Here again, for technical lapses, based on the recommendations of the CLC and internal review by the Government, it is proposed to amend various provisions of the Act to decriminalise minor procedural or technical lapses under the provisions of the said Act. It is accepted; there is no doubt about it. But who will decide it whether it is minor or not? I would like to know whether NCLT or some other company will decide. NCLT will be there. The hon.

Member who just spoke was saying that Adjudicating Committee will be there. That will look after these issues. On that, the answer has to be given by the Government.

The Amending Bill provides to empower the Central Government to exclude, in consultation with the Securities and Exchange Board, certain class of companies from the definition of “listed company”, mainly for listing of debt securities. What do you feel about it? You are an expert in law. How are you going to protect the people? Who are these? How will you decide? This Government will decide. Which are these companies? Certain class of companies are going to come out from the definition of “listed company”. What are the criteria to come out from the definition of “listed company”?

The amending Bill also provides to clarify the jurisdiction of trial court on the basis of place of commission of offence under section 452 of the Act for wrongful withholding of property of a company by its officers or employees, as the case may be. There again, your business is something else. You are holding properties somewhere else like the bankers which has happened in the case of the Yes Bank or the PMC bank. The Directors have purchased their properties somewhere else. Nobody knows about it. So many companies are coming into the picture. You would not believe it. I would quote a small example. In Mumbai, one person named Sheregar introduced a company and said that, see, Mr. Premachandran, hon. Chairperson, kindly invest your money and we will double the amount within three months or within six

months. You would not believe that learned people invested the money. Then, they were deceived by the company. Are you going to decriminalise such persons? This is what is happening. Therefore, my request to the Government is this. The intention of the Government may be a good one to relax provisions relating to charging of higher additional fees.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI ARVIND SAWANT : Sir, I will just conclude within a minute.

Charging of higher additional fees is there. What are you going to do for that? You are relaxing it for default on two or more occasions in submitting, filing, registering or recording of such document, fact or information, as may be prescribed, in Section 403. Once it is okay, twice also it is accepted. Two or more occasions is there. What is that ‘more’ occasions? What is that number? How many times you are going to forgive them? Number has to be specific. You should mention it. One or two or three occasions, that is all. Not more than that. If you say more occasions, he will keep on doing it. How are you going to control it? Therefore, while supporting or not supporting the Bill, the intentions are good but then take care of these things. I say take care. It should not become boomerang on the Government. That is what, I would like to express here. Thank you, Sir.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। जब हम देखते हैं तो पहली बार पढ़ने में लगता है कि गरीब, मजदूर और कमज़ोर लोगों के खिलाफ काम कर दिया और देश के पूंजीपति और कॉर्पोरेट सैक्टर के फेवर में काम कर दिया, लेकिन जब देखते हैं आज के माहौल को, जब देखते हैं कोरोना महामारी के बाद आर्थिक मंदी, जब देखते हैं पूरे वर्ल्ड को, तब लगता है कि प्रधान मंत्री जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं और हमारी वित्त मंत्री जी बहुत अच्छा सोच रही हैं। जिन करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, अगर बिज़नेस चलेगा और बिज़नेस बचेगा, जो हमारे शिव सेना के साथी कह रहे थे, तब ही गरीब लोगों को नौकरी मिल सकती है, तब ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं।

सभापति जी, जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, लोगों का काम है कहना, विपक्ष के लोग, हम लोग और कांग्रेसी भी कहेंगे ही, पर ज्यादातर लोगों के दो चेहरे हैं, दो तरह के चश्मे हैं, दो धारी तलवारें हैं, अपनी गलती, अपने लिए कोई बात हो तो हल्ला करेंगे, माफी मंगवाएंगे, लेकिन चार बार के एमपी को और जिनके घर में मुख्य मंत्री रहे हों, उनको …* कहेंगे और अपने शब्दों को वापस भी नहीं लेंगे। …(व्यवधान) जब आप बोलते हो तो हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। …(व्यवधान) मैं यह बात कहूंगा कि वे तो ऐसा कहेंगे ही, लेकिन जितनी भी छूट व्यापारियों को दी, कॉर्पोरेट सैक्टर को दी, जितने भी अमेंडमेंट्स किए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं। गुजरात और इनकी मुंबई की भाषा में धंधा, दिल्ली की भाषा में बिज़नेस और उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा की भाषा में व्यापार। …(व्यवधान)

सर, मैं आज देशहित में बोल रहा हूं, मैं आज नई बात बोल रहा हूं, जो आज तक हुई नहीं होगी, यह पक्की बात है। …(व्यवधान) हम उसको करते भी हैं, देखते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन असलियत में क्या कमी है और कहां है, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर रिसर्च किया जाए या जो डॉक्ट्रेट की डिग्री है, कोई भी चीज़ जो आज सबसे बेहतर है, उस पर

---

* Not recorded.

ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेसी जब कानून बना रहे थे तो सोचते थे हमने बढ़िया बनाया। इन लोगों ने हजारों अमेंडमेंट्स कर दिए, ये सोचते हैं हमने इसे ठीक कर दिया। …(व्यवधान)

सर, मैं बिलकुल काम की बात पर आ रहा हूं। …(व्यवधान) असलियत यह है कि एक ऐसा मंत्रालय बनाना चाहिए, जो मंत्रालयों को कोऑर्डिनेट करे और एक मंत्रालय जो दूसरे मंत्रालय को कानूनी रूप से मार रहा है, उदाहरण के तौर पर कॉर्पोरेट्स भी आ जाते हैं, कंपनीज़ भी आ जाती हैं, एनसीएलटी में जाते हैं, एक छोटा सा आदमी जाकर पूरी कंपनी को डुबो देता है, पूरा कॉर्पोरेट सैक्टर मार देता है। यह कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है, उनके मंत्रालय को इस मंत्रालय ने मार दिया, इसलिए असलियत यह है कि आपस में तालमेल बैठाने के लिए एक मंत्रालय का कानून दूसरे मंत्रालय के कानून को न मारे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले और आगे न बढ़ पाएं, वहीं के वहीं खड़े रहें, अगर कोऑर्डिनेशन का बढ़िया तालमेल बैठ जाए, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को सपोर्ट करे तो आने वाले समय में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, देश तरक्की करेगा और देश की आर्थिक स्थिति संभल जाएगी। मोदी जी का जो पांच ट्रिलियन का सपना है, वह तब ही सफल हो सकता है, नहीं तो सफल नहीं हो पाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, undoubtedly the changes proposed by the Companies Amendment Bill, 2020 have the potential of conferring long term benefits on stakeholders and investors by facilitating 'Ease of Doing Business' and providing a swifter redressal and enforcement mechanism for corporate non-compliance in India.

In addition, decriminalisation of offences under the Act is likely to yield intangible benefits in the form of protection of goodwill of a company that could otherwise get tarnished by criminal sanctions being imposed for minor technical or inadvertent lapses. As the Law Committee Report aptly observed while criminal sanctions are more grievous and permanent in nature, the cost of civil penalties may be absorbed as part of running a business in the ordinary course.

However, the legislators should not lose sight of the fact that decriminalization of certain offences under the Act could turn it into a toothless tiger which may fail to seek adequate and necessary compliance by the companies even in relation to matters of grave importance. Another concern, which is worth deliberating upon, is if the decriminalization proposed by CAB, 2020 will have the effect of encouraging an unbridled corporate culture of purging defaults by merely expending funds, then it is defeating the legislative intent with which the CAB, 2020 was introduced.

It is peculiar that CAB, 2020 has been proposed less than a year after CAA, 2019 was notified. Both these legislations are propelled by similar

objectives and they seek to amend overlapping matters. The short time period, which has elapsed between enactment of CAA, 2019 and introduction of CAB, 2020 seems inadequate for the effects of legislative changes to corporate laws to percolate down the line to the intended beneficiaries, that is, the corporate entities.

While it would take some time for companies to reap the benefits of the amendments relating to decriminalization of offences and recategorization of penalties proposed under CAB, 2020, the balance, which is critical to attain the overall objectives of the Act itself, must not be lost.

HON. CHAIRPERSON : Now, come to the last portion.

SHRI B. B. PATIL : Lastly, I also request the hon. Finance Minister to release the outstanding dues from the power distribution companies to renewable energy producers of Telangana State as quoted in the PRAAPTI portal of the Union Power Ministry.

I also request the hon. Finance Minister to release Rs.5,420 crore towards GST compensation and another Rs.2,700 crore towards IGST dues to the Telangana State.

Our Telangana State was also denied its rightful entitlement in the grants to the urban local bodies recommended by the Fourteenth Finance Commission relating to the period, 2015-2020. While the Commission recommended unconditional basic grant of Rs.2,711 crore, the amount

released by the Centre was Rs.2,502 crore, and thus there was a shortfall of Rs.208.22 crore.

HON. CHAIRPERSON : Patil Ji, please conclude.

SHRI B. B. PATIL : Though the State had fulfilled all the conditions attached to the performance grant of Rs.677.79 crore, the amount released to the State was only Rs.235.81 crore. Here again there was a shortfall of Rs.441.98 crore. Thus, the State was denied Rs.650.20 crore of the statutory grant to urban local bodies, though the full amount was released to some other States.

HON. CHAIRPERSON: You can place it on the Table.

*[*]***SHRI B. B. PATIL:** In this context, I request you to arrange the immediate release of all pending dues under the Finance Commission, that is, a total of Rs.1,433.95 crore which includes the overdue first instalment of grant of Rs.468 crore to million-plus cities, the balance second instalment of grant of Rs.315.75 crore to the non-million plus cities and the pending statutory grants of Rs.650.20 crore recommended by the Fourteenth Finance Commission.

With these few words, I conclude. Thank you.*

[*] …* This part of the Speech was laid on the Table.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आज जिस बिल पर बोलने वाला हूं, इस बिल का मूल उद्देश्य यह है कि कुछ ऑफेंसेज जो पहले क्रिमिनल इन नेचर थे, आज इस बिल के द्वारा उनको सिविल में कन्वर्ट करके डिक्रिमिनलाइज कर रहा है। इस बिल का मूल प्रावधान यही है। मेरी एक चिंता है, जिसे मैं आपके द्वारा व्यक्त कर रहा हूं। अगर आप वर्ष 2014 से देखें कि क्या प्रक्रिया रही है? आपने वर्ष 2014 में सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण बिल लाने की कोशिश की – किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल। उसके बाद आपने लेबर कोर्ट रिफॉर्म की कोशिश की, उसके बाद आप रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स बिल लाए।

आज देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है और एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। हाल ही में कौन सा बिल पारित हुआ, वह किसान का बिल था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, जिससे कॉर्पोरेट इंडिया का फायदा हो। मैं आपके द्वारा इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कॉपोरेट इंडिया को कितनी सुविधाएं इस सरकार के द्वारा मिल रही हैं? आज उनके क्रिमिनल ऑफेंसेज सिविल हो गए, उनका टैक्स रेट डिडक्शन हो गया और जैसा लेबर कोर्ट उन्होंने मांगा, वैसा लेबर कोर्ट उनको मिलने वाला है। वे कृषि क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो आज वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा इस क्षेत्र में घुस पा रहे हैं। लैण्ड एक्विज़िशन बिल के द्वारा विभिन्न-विभिन्न राज्य सरकारों से जो किसान की जमीन है, उसे ले रहे हैं। वास्तव में जो क्रिमिनल ऑफेंडर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी हैं, आज भी देश के बाहर हैं।

कॉर्पोरेट इंडिया को आपकी सरकार से इतना मिला, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया ने आज भारत को क्या दिया? आप डीक्रिमनलाईजेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या आज क्रिमिनल ऑफेंसेज नहीं हो रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ? यस बैंक में क्या हुआ? आज भी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी बाहर हैं। आपने कॉर्पोरेट इंडिया के टैक्स रेट कम कर दिए। मैं बार-बार विभिन्न स्टेंडिंग कमेटीज में पूछता हूं कि भारत सरकार ने यह जो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, उससे भारत सरकार के रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ है? कॉर्पोरेट इंडिया ने टैक्स रेट रिडक्शन

होने के बाद से कितना प्राइवेट इंवेस्टमेंट किया है? कितने एडिशनल जॉब्स क्रिएट हुए हैं? आज तक यह ब्यौरा मुझे नहीं मिला है? कॉर्पोरेट टैक्स कम होने के बाद से कितना प्राइवेट इंवेस्टमेंट हुआ है? आज आप लेबर लॉ को डिफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में बेरोजगारी की समस्या कितनी बढ़ रही है? कॉर्पोरेट इंडिया कोविड-19 का बहाना लेकर लोगों को नौकरी से बाहर निकाल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब सरकार यह नियम लाए तो यह इंश्योर करे कि corporate India creates jobs, creates private investment and practices clean business. Thank you.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity to support the Companies (Amendment) Bill, 2020.

Sir, I take this opportunity to appreciate the hon. Finance Minister, who has initiated the bill to amend the Companies Act, 2013. This Bill is beneficial as it is a huge reform for trade and commerce.

I represent the State of Tamil Nadu whose economy is the third largest in the country and is bound to get a boost and become a preferred destination for business and investment. I would like to highlight that with strong financial infrastructure and a favourable business environment, which can be brought in by this Bill, Tamil Nadu can exponentially increase its GDP which is currently pegged at US$ 23 billion.

In pursuance of insertion of a new Section 418 A in this Bill, I welcome the move by the Union Government to establish a new bench of National Company Law Appellate Tribunal in Tamil Nadu at Chennai having jurisdiction of States like Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Lakshadweep and Puducherry.

I also welcome the timely introduction of Companies Fresh Start Scheme (CFSS) by the Union Government through a separate notification dated 30th March, 2020 to benefit the corporates during the unprecedented situation created due to spread of COVID-19. It allows companies to complete their pending statutory filing without being subjected to any additional fees or penalty.

With these words, I support this Bill.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

इस कम्पनी एक्ट को वर्ष 2013 में लाया गया था ताकि समय पर कम्पनी से संबंधित नियम को मजबूत बनाया जा सके और समय आने पर जरूरतों के अनुसार इसमें अमेंडमेंट यानी सुधार किया जा सके। मजबूत बदलाव जैसे अकाउंटिबिलिटी, इंवेस्टर्स को प्रोटेक्शन और कॉर्पोरेट गर्वेनेंस का समाधान आसानी से बिना क्रिमिनल कोर्ट केस के किया जा सके।

<u>21.54 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

वर्ष 2019 में सरकार ने कम्पनी लॉ कमेटी का गठन किया ताकि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रोविजन को गम्भीरता के आधार पर दंडमुक्त करने और देश में कॉर्पोरेटरों के लिए बेहतर ईज़ ऑफ लिविंग की व्यवस्था बनायी जा सके। इस कमेटी ने 62 रिकमण्डेशन दिए हैं। कम्पनी एक्ट 2013 में बदलाव से 62 एक संबंधित है। कमेटी में यह भी सुझाव आया कि क्रिमिनेलिटी को कुछ केसों में से कैसे दूर किया जा सके, जो कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में सहायक हो और जिन केसों में फ्रॉड शामिल नहीं हो। कुछ मामलों की स्वीकृति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया गया। समिति ने डिसक्रिमिनेशन यानी भेदभाव के पहलू पर इस 96वें प्रोविजन में बदलाव का सुझाव दिया।

महोदय, इस संबंध में एजेन्सियों के द्वारा गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं में शामिल भारतीयों के साथ-साथ…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी स्पीच पढ़ी हुई मान ली गई है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री दिलेश्वर कामैत : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। आपराधिक जांच का सामना कर रहे भारतीयों की संख्या 72 है और इन मामलों के अपराधों से की गई कमाई की भारी रकम शामिल है। मैं आज की इस चर्चा में इस कंपनी (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

21.55 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

17th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, I present the 17th Report of the Business Advisory Committee.

21.56 hrs

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2020 – Contd.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I thank you very much. I will take only two minutes.

Sir, the original Companies Act of 1956 was drastically amended and the entire law relating to the companies' law was consolidated, and the Companies Act of 2013 had been enacted. It was a consolidated and comprehensive legislation enacted by this Parliament and the Companies Act of 2013 has come into existence, but it is quite unfortunate to note that subsequent to 2013, if we examine, every year during the last six years, not less than six amendments have taken place to the Companies Act of 2013. That is not a good, healthy legislative process because piecemeal amendments to the original Act, and consecutive and consistent amendments to the Act, will be creating so many problems which have to be avoided. Thereby, much legislative wisdom has also not been applied. The hon. Minister in the opening remarks has already said that during the operational defects, they are doing these consecutive amendments, but that has to be taken care of.

Regarding the contents of the Bill, it is being done absolutely in the name of ease of doing business. If we examine the Government from the day of its inception in office, it is always talking about the ease of doing business. Gaurav Gogoiji has just now told us that in almost all the legislation – even we have discussed the last day the legislation relating to farming – everything is

oriented towards the corporate houses and the business houses in the country. We have to respect the business houses for they are also doing a wonderful job and playing a very important role in the economic growth of the country, but the entire administration – governance or legislation – is concentrated on the beneficial interest of the corporate houses and business houses. It is not good.

Here also, the decriminalisation of provisions is being done. It has already been stated that 75 changes are taking place and 64 sections are being amended by this Amendment Bill. So many criminal punishments leading to imprisonment are being taken away and the fine is becoming very less. As Arvindji has rightly said, that will be giving a very good message to the corporates and the companies, that is, the entire criminal offences are being taken away and they will benefit from it. So, stringent measures have to be taken to see that all the offences are being dealt with in a serious way.

The last point which I would like to make is regarding my constituency. Hon. Finance Minister may be knowing very well that not only in my State, but in four South Indian States, the big and popular finance companies have been defrauding and cheating thousands and thousands of poor people. In this regard, the State Government has requested for a CBI inquiry. The High Court has also approved a CBI inquiry. I would urge upon the Government of India to immediately order a probe by CBI. These people have defrauded more than Rs. 3,000 crore and after defrauding, they have left the country. This is happening everywhere in the country. That has to be checked. So, I urge upon

the Government of India to order a CBI inquiry into the popular finance scams which are affecting depositors and customers of four South Indian States.

With these words, I conclude. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : कुंवर दानिश अली जी, आप बस दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इस कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बिल का जिस्ट यह समझ में आता है कि कई क्रिमिनल अफेन्सेज़ को डिक्रिमिनलाइज्ड किया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश है कि जो लॉज़ हैं, उनको पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से लागू कराया जाए, जो नहीं हो रहे हैं।

मैं अभी पिछले हफ्ते जब अपने क्षेत्र में था तो इतने गरीब लोग मेरे पास आए कि साहब कंपनी थी, वह पैसा इकट्ठा कर के भाग गई। मेरी कंस्टीट्यूएंसी जैसे छोटे व गरीब इलाके में कंपनी सैकड़ों-करोड़ों रुपये ले कर भाग गई। कोई बोट बाईक के नाम पर, कोई किसी चीज़ के नाम पर। मेरा सीधा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि अभी कोरोना के दौरान विशाखापटनम के अंदर एक बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें गैस लीक हुई थी, कोई एलजी कंपनी थी, जिसमें कई लोग मारे गए। ऐसा ही एक हादसा मेरी कंस्टीट्यूएंसी में अमरोहा में गजरौला के अंदर टेवा एपीआई लिमिटेड कंपनी में रात में गैस लीक होने से हुआ। हमारा डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर वहां जाता है, मल्टी नेशनल कंपनी है, बीस मिनट तक डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है और वह ऑन रिकॉर्ड है, उसका वीडियो पर भी बयान है, अखबारों में है। लेकिन इन कंपनियों को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वे कोई कानून मानने को तैयार नहीं हैं और बदकिस्मती इस बात की है कि कहीं न कहीं हमारे जो अफसर लोग हैं – राज्य सरकार के हों या केन्द्र सरकार के हों, वे कहीं न कहीं उनको बचाने का काम करते हैं। मेरी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यही अपील है कि जो कानून कंपनीज एक्ट में मौजूद हैं, उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और ऐसी दुर्घटना, जैसी विशाखापटनम में हुई, ऐसी दुर्घटना से मेरे अमरोहा क्षेत्र के गजरौला को बचाया जाए और टेवा एपीआई जैसी कंपनियों को यह खुला लाइसेंस न दिया जाए कि रात में गैस लीक हो और वे हमारे अधिकारियों की भी न सुनें।

धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکرصاحب، آپ نے مجھے اس کمپنے امینڈمینٹ بِل پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔ اس بِل کا جِسٹ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کئی کریمِنل اوفینسز کو ڈیکریمِنلائزڈ کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن میری آپ کے ذریعہ سے عزّت مآب منتری جی سے گزارش ہے کہ جو لاز ہیں، ان کو پوری طریقے سے اچھی طریقے سے لاگو کرایا جائے، جو نہیں ہو رہے ہیں۔

میں ابھی پچھلے ہفتہ جب اپنے پارلیمانی حلقہ میں تھا تو اتنے غریب لوگ میرے پاس آئے کہ صاحب کمپنی تھی، وہ پیسہ اکٹھہ کرکے بھاگ گئی۔ میرے پارلیمانی حلقہ جیسے چھوٹے و غریب علاقے میں کمپنی سیکڑوں کروڑوں روپئے لے کر بھاگ گئی۔ کوئی بوٹ بائک کے نام پر، کوئی کسی چیز کے نام پر۔ میری سیدھی آپ کے ذریعہ سے گزارش ہے کہ ابھی کورونا کے دوران وشاکھاپٹنم میں ایک بڑی دُرگھٹنا گھٹی، جس میں گیس لیک ہوئی تھی، کوئی ایل۔جی۔ کمپنی تھی، جس میں کئی لوگ مارے گئے، ایسا ہی ایک حادثہ میرے اپنے پارلیمانی حلقہ امروہہ میں گجرولہ کے اندر ٹیوا اے۔پی۔آئی۔ لِمیٹیڈ کمپنی میں رات میں گیس لیک ہونے سے ہوا۔ ہمارا ڈسٹرکٹ فائر آفیسر وہاں آتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، 20 منٹ تک ڈسٹرکٹ فائر آفیسر کو اندر نہیں گھُسنے نہیں دیا جاتا ہے، اور وہ آن ریکارڈ ہے، اس کا ویڈیوں پر بھی بیان ہے، اخباروں میں ہے۔ لیکن ان کمپنیوں کو اتنے حقوق دے دئے گئے ہیں کہ وہ کوئی قانون ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے افسر لوگ ہیں۔ ریاستی سرکار کے ہوں یا مرکزی سرکار کے ہوں وہ کہیں نہ کہیں ان کو بچانے کا کام کرتے ہیں۔ میری آپ کے ذریعہ منتری جی

سے یہی اپیل ہے کہ جو قانون کمپنیز ایکٹ میں موجود ہیں، ان قانونوں کو سختی سےلاگوں کیا جائے، اور ایسے حادثات جیسے وشاکھاپٹنم میں ہوا، ایسے حادثات سے میرے امروہہ پالیمانی حلقہ کے گجرولہ کو بچایا جائے اور ٹیوا اےپی-آئی- جیسی کمپنیوں کو یہ کھلا لائسنس نہ دیا جائے کہ رات میں گیس لیک ہو اور وہ ہمارے افسران کی بھی نہ سُنیں۔

(ختم شد)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): स्पीकर सर, आपका धन्यवाद और मैं दस बजे के समय जवाब दे रही हूँ, इसीलिए मैं संक्षेप में उत्तर दे रही हूँ।

सर, करीब 10-11 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं समझ रही हूँ कि जो कंसर्न एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने वायस किया कि बार-बार हम इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक विषय प्रेमचन्द्रन जी के सामने रखना चाह रही हूँ कि कंपनीज़ एक्ट में सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ही नहीं हैं, एमएसएमई और छोटी कम्पनियां भी कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर हुई कंपनीज़ हैं, जो डीक्रिमिनलाइज़ेशन हम कर रहे हैं, वह छोटी कंपनीज़ को भी फायदा देगा। इसीलिए उधर छोटे-छोटे ऑफेंसेज़के लिए उनको पकड़ कर जेल में डालने से एक परिवार और छोटा कारोबार सब सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए डीक्रिमिनेलाइज़ेशन का यह प्रयत्न आप सबसे मैं चाहती हूँ, सपोर्ट के साथ पारित होना है। डीक्रिमिनेलाइज़ेशन कब से है? सन् 2013 में जब यह कानून बनाया, तब से 134 सैक्शंस में पीनल प्रोविज़ंस थे और आज भी वे 134 से कम होते-होते आज अगर हम इसको पारित करते हैं, तो 124 तक कम हो जाएंगे, मगर इसमें अहम बात यह है कि जो बहुत सीरियस ऑफेंसेज़ हैं, उसको नॉन-कम्पाउंडेबल ऑफेंसेज़ कहते हैं, उसका नंबर 2013 में भी और आज भी वही 35 रहेगा। नॉन-कम्पाउंडेबल ऑफेंसेज़ कौन से हैं? जिसमें फ्रॉड होता है, जो अभी माननीय सदस्य दानिश अली ने बताया कि सीरियसली मेरी कंस्टीट्यूएंसी में यह हुआ, विशाखापतनम में वह हुआ, ऐसे फ्रॉड वाले काम करने वाले या इंजरी टू पब्लिक इंट्रेस्ट करने वाले या तो डिसीट करने वाले, फ्रॉड, डिसीट और इंजरी टू पब्लिक करने वाले, जो उदाहरण माननीय सदस्य ने दिए हैं, उनको छोड़ने के कुछ भी प्रावधान इधर नहीं हैं। नॉन-कम्पाउंडेबल ऑफेंसेज़ की संख्या सन् 2013 में 35 थी, आज भी वही 35 है, उसमें हम छूट देने का कोई साहस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं, इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, उसमें 48 ऐसे सैक्शंस को चेंज कर रहे हैं, जिससे डीक्रिमिनेलाइजेशन होगा। 17 ऐसे हैं, जिससे ईज़ ऑफ लिविंग होगा। ईज़ ऑफ लिविंग मतलब जो कंपनी चला रहा है, उसको यह करो, यह फाइलिंग करो, यह ऑफिस ऐसे रन करो, यह सब भी बर्डनसम रहता है, इसीलिए उसका कम रहे हैं।

एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण लेवल पर बार-बार कम्पनीज़ एक्ट और आईबीसी की चर्चा में एग्रीकल्चर के बारे में बोलते हैं, किसानों के बारे में बोलते हैं, जो सही बात है। अभी हम जो कर रहे हैं, एक पुराना चैप्टर कंपनीज़ एक्ट, 1956 से निकाल कर, वह तो सबस्यूम हो गया है, 2013 के कानून में, मगर उसमें एक चैप्टर लाकर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो, ऐसा एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं। यह भी इस कानून में है। क्यों जोड़ रहे हैं? जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकार ने प्रोत्साहन देकर उसका सीड कैपिटल, उसका फंड वगैरह भी अरेंज करके उनसे डायरेक्टली मार्केट करने का प्रावधान किया है। एफपीओज़- फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन्स उदाहरण के लिए ले रही हूँ, ये प्रोड्यूसर्स कम्पनी सब को वर्तित है। मगर पर्टिक्यूलरली, बिकॉज एग्रीकल्चरल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इस सरकार के द्वारा ऐसे एफपीओ फॉर्म करने के लिए 10 हजार नम्बर रखे हैं, उन सब को भी इस प्रावधान से फायदा मिलेगा। इसलिए डिक्रिमिनलाइजेशन का 48 है। नया चैप्टर 17 जोड़कर, 17 ईज़ ऑफ लिविंग के लिए है। संक्षेप में इतना ही बोलूंगी। बाकी सब मैम्बर्स ने इसमें ध्यान से सोच-विचार करके ही आपको इनपुट दिए हैं। Largely, my answers answer all Members' concerns.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of Section 2

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 2, line 3,–
omit "or intend to list". (1)
Page 2, line 4,–
for "in consultation with"
substitute "with the consent of". (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Amendment of Section 8

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 2, lines 7 and 8,–

for “three years or” shall be omitted’

s*ubstitute* “five years or” shall be substituted’. (3)

Page 2, lines 9 and 10,–

for “twenty-five lakh rupees”

substitute “thirty lakh rupees, or with both”. (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 और 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Amendment of Section 16

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 2, line 13,–

for "three months"

substitute "four months". (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Amendment of Section 26

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: These are very valid amendments. Sir, I beg to move:

Page 2, lines 35 and 36,–

for "three years or" shall be omitted'
substitute "four years or" shall be substituted'. (6)

Page 2, line 37,–

for “three lakh rupees”

substitute “four lakh rupees, or with both”. (7)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 7 to 66

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving the amendment No. 8.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 7 से 66 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 66 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही रविवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2020 को तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

22.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock on Sunday, September 20, 2020/ Bhadrapada 29, 1942 (Saka)